प्रथम परिनियमावली

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–29, 1974) द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित तथा सरकारी अधिसूचना संख्याः शिक्षा (10)9268/दस–15–10–10–2(1)–71, दिनांक–10जनवरी, 1974 में अंगीकृत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या–10,1973) की धारा 50 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के लिए निम्नलिखित प्रथम परिनियमावली बनाते हैं :–

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

प्रथम परिनियमावली

अध्याय–1

प्रारम्भिक

धारा 50 (1)

1.01 (1) यह परिनियमावली **जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया** प्रथम परिनियमावली, 2017 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 01जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

1.02 (1) विश्वविद्यालय के ऐसे सभी विद्यमान नियम और ऐसे सभी विनियम जो इस परिनियमावली से असंगत हों ऐसी असंगति की सीमा तक एतद्द्वारा विखंडित किये जाते हैं और तुरन्त प्रभावहीन हो जायेंगे, सिवाय उन बातों के सम्बन्ध में, जो इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व की गयी हों या की जाने से छूट गयी हों।

(2) सरकारी अधिसूचना संख्या–7251/15–10–75–60(115)–73, दिनांक–20 अक्टूबर, 1975 द्वारा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या–4546/15–10–75, दिनांक 25 जुलाई, 1975 के साथ जारी की गयी उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली (अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु, वेतनमान और अर्हतायें), 1975, **जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया** के सम्बन्ध में इस परिनियमावली के प्रारम्भ के दिनांक से निरस्त हो जायेगी;

धारा 50 (1)

1.03 इस परिनियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) **'अधिनियम'** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या–10, 1973) से है जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974) द्वारा पुनः अधिनियमित है और समय–समय पर संशोधित है;

(ख) **'खण्ड'** का तात्पर्य परिनियम के उस खण्ड से है जिसमें उक्त पद आया हो;

(ग) **'धारा'** का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;

(घ) **'विश्वविद्यालय'** का तात्पर्य **जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया** से है; और

(ड.) ऐसे शब्दों तथा पदों के, जो इस परिनियमावली में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए दिये हैं।

धारा 49 तथा 50

1.04 इस परिनियमावली में, किसी अध्यापक की आयु के सम्बन्ध में सभी निर्देश सम्बद्ध अध्यापक के जन्म दिनांक के अनुसार आयु के प्रति, जो उसके हाईस्कूल प्रमाण–पत्र में या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य परीक्षा प्रमाण–पत्र में उल्लिखित हो, निर्देश समझे जायेंगे।

अध्याय – 2

विश्वविद्यालय के अधिकारी और अन्य कार्यनिर्वाहक

कुलाधिपति

धारा 10(4) तथा 49(ग)

2.01(1) कुलाधिपति किसी ऐसे विषय पर जो उन्हें धारा 68 के अधीन निर्दिष्ट किया जाय, विचार करते समय, विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध पक्षकारों से ऐसे दस्तावेज अथवा सूचना जिसे वह आवश्यक समझें, माँग सकते हैं और किसी अन्य मामले में विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना माँग सकते हैं।

(2) जहाँ कुलाधिपति खण्ड (1) के अधीन विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना माँगे, वहाँ कुलसचिव का यह सुनिश्चित करना कर्तब्य होगा कि ऐसा दस्तावेज या सूचना तुरन्त उन्हें भेज दी जाय।

(3) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति जानबूझ कर अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है और यदि कुलाधिपति को यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जिसे वह उचित समझे, कुलपति को आदेश द्वारा हटा सकते हैं।

(4) कुलाधिपति को खण्ड (3) में निर्दिष्ट किसी जाँच के विचाराधीन रहने के दौरान अथवा उसको अनुध्यात करते हुए, कुलपति को निलम्बित करने की शक्ति होगी।

कुलपति

धारा 13, 13 (9) और 49 (ग)

2.01 (क) कुलपति को किसी सम्बद्ध महाविद्यालय से अध्यापन, परीक्षा, अनुसन्धान, वित्त अथवा महाविद्यालय में अनुशासन अथवा अध्यापन की कार्य क्षमता को प्रभावित करने वाले किसी विषय के सम्बन्ध में जिस दस्तावेज या सूचना को वह उचित समझे उसको माँगने की शक्ति होगी।

वित्त अधिकारी

धारा 9 (ङ)

2.02 जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो अथवा जब वित्त अधिकारी अस्वस्थता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तब्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो उसके पद के कर्तव्यों का पालन कुलपति द्वारा संकायाध्यक्षों में से नाम–निर्दिष्ट किसी एक संकायाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा और यदि किसी कारण से ऐसा करना साध्य न हो, तो कुलसचिव द्वारा अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसे कुलपति नाम–निर्दिष्ट करें।

धारा 15(7) और धारा 49(ग)

2.03 वित्त अधिकारी के कर्त्तब्य एवं शक्ति :

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा;

(ख) किसी वित्तीय मामले में परामर्श या तो स्वतः या उसका परामर्श अपेक्षित होने पर, दे सकता है;

(ग) नकद या बैंक बैलेंस की स्थिति तथा विनिधान की स्थिति पर सतत दृष्टि रखेगा;

(घ) विश्वविद्यालय की आय का संग्रह और संदायों का वितरण करेगा और उसके लेखे रखेगा;

(ड.) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर तथा उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं, और विश्वविद्यालय में उपस्कर तथा उपयोग में आने वाली अन्य सामग्रियों के स्टाक की नियमित जाँच की जाती है;

(च) किसी भी अप्राधिकृत ब्यय तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं की सूक्ष्म परीक्षा करेगा और सक्षम प्राधिकारी को दोषी ब्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विषयक सुझाव देगा;

(छ) विश्वविद्यालय के किसी विभाग अथवा इकाई से ऐसी कोई सूचना अथवा विवरणी, जिसे वह अपने कर्तब्यों के पालन के लिए आवश्यक समझें, मंगा सकेगा;

(ज) विश्वविद्यालय के लेखों की निरन्तर आन्तरिक सम्परीक्षा के संचालन का प्रबन्ध करेगा, और उन बिलों की सम्परीक्षा प्रारम्भ में ही करेगाा जो तत्सम्बन्धी किसी भी स्थायी आदेश द्वारा अपेक्षित हो;

(झ) वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे कार्य परिषद् अथवा कुलपति द्वारा सौंपे जायें;

(ञ) अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सहायक कुलसचिव(लेखा) के पद से न्यून विश्वविद्यालय के सम्परीक्षा और लेखा अनुभाग के समस्त कर्मचारियों पर परिनियम 2.06 के खण्ड (2) और (3) के अर्थान्तर्गत अनुशासनिक नियंत्रण रखेगा और उप/सहायक कुलसचिव(लेखा) और लेखा अधिकारी के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा।

धारा 13 (9), 15 (7) तथा 49 (ग)

2.04 यदि वित्त अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के सम्बन्ध में किसी विषय पर कुलपति और वित्त अधिकारी के बीच कोई मतभेद उत्पन्न हो जाय तो वह प्रश्न राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा और दोनों अधिकारी उससे बाध्य होंगे।

कुलसचिव

धारा 13 (9), 16 (4), 29

2.05 (1) अधिनियम तथा परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कुलसचिव का विश्वविद्यालय के निम्नलिखित कर्मचारियों से भिन्न अन्य सभी कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण होगा, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारीगण;

(ख) विश्वविद्यालय के अध्यापकगण, चाहे वह अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हों या पारिश्रमिक वाले किसी पद पर हों या किसी अन्य हैसियत से, यथा परीक्षक या अन्तरीक्षक के रूप में कार्य कर रहे हों;

(ग) पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष,

(घ) उपकुलसचिव और सहायक कुलसचिव;

(ड.) विश्वविद्यालय में लेखा और संपरीक्षा अनुभाग के कर्मचारी।

(2) खण्ड(1) के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही करने की शक्ति के अर्न्तगत उक्त खण्ड में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को पदच्युत करने, हटाने, पंक्तिच्युत करने, प्रतिवर्तित करने, उसकी सेवा समाप्त करने अथवा उसे अनिवार्य रूप से सेवा–निवृत्त करने का आदेश देने की शक्ति होगी, और ऐसे कर्मचारी को जाँच होने तक या जाँच के विचार से निलम्बित करने की भी शक्ति होगी।

(3) खण्ड (2) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक ऐसी जाँच न कर ली जाय, जिसमें उसे अपने विरूद्ध दोषारोपों से अवगत करा दिया गया हो और उन दोषारोपों के सम्बन्ध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो और जहाँ ऐसी जाँच के पश्चात् उस पर कोई शास्ति आरोपित करने की प्रस्थापना हो, वहाँ जब तक उसे प्रस्थापित शास्ति की बाबत अभिवेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दिया जाय, किन्तु उक्त अभिवेदन ऐसी जाँच के दौरान दिये गये साक्ष्य के ही आधार पर हो सकेगा : परन्तु, यह खण्ड निम्नलिखित मामलों में नहीं लागू होगा, यद्यपि आदेश का आधार कोई आरोप हो (जिसमें दुराचरण या अक्षमता का आरोप भी सम्मिलित है), यदि ऐसे आदेश से प्रत्यक्षतः यह प्रकट न होता हो कि वह ऐसे आधार पर पारित किया गया था :–

(क) किसी स्थानापन्न प्रोन्नत व्यक्ति को उसकी मूल पंक्ति में प्रतिवर्तित करने का आदेश।

(ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवा को समाप्त करने का आदेश।

(ग) किसी कर्मचारी को, उसके 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात्, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का आदेश।

(घ) निलम्बन का ओदश।

धारा 21 तथा 49

2.06– परिनियम 2.05 में निर्दिष्ट किसी आदेश से व्यथित विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, उस पर ऐसे आदेश के तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, परिनियम 8.01 के अधीन गठित अनुशासनिक समिति को (कुलसचिव के माध्यम से) अपील कर सकता है जिसकी प्रतिलिपि कुलपति को पृष्ठांकित कर सकता है। ऐसी अपील पर समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

धारा 16

2.07–अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कुलसचिव का निम्नलिखित कर्त्तब्य होगा :–

(क) विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्ति का अभिरक्षक होना जब तक कि कार्य परिषद् द्वारा अन्यथा ब्यवस्था न की गयी हो;

(ख) धारा 16 (4) में निर्दिष्ट विभिन्न प्राधिकारियों के अधिवेशनों को सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बुलाने के लिए समस्त सूचनायें जारी करना और ऐसे समस्त अधिवेशनों का कार्यवृत्त रखना;

(ग) सभी, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् के अधिकृत पत्र–ब्यवहार का संचालन करना एवं कार्य परिषद की कार्यवृत्त को कुलाधिपति कार्यालय को प्रेषित करना,

(घ) ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करना जो कुलाधिपति, कुलपति अथवा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों अथवा निकायों के, जिनका कार्य वह सचिव के रूप में करता हो, आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो;

(ड.) विश्वविद्यालय के द्वारा या विरूद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामे पर हस्ताक्षर करना तथा अभिवचनों का सत्यापन करना।

धारा 16–क

परीक्षा नियंत्रक

2.07 (1) परीक्षा नियंत्रक के कार्य, अधिकार तथा दायित्व उ0 प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में वर्णित/विहित प्राविधानों के अनुरूप होंगे। अधिनियम की धारा 16–क(8) के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा नियंत्रक के पद के रिक्ति की स्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय के किसी आचार्य अथवा अधिकारी को परीक्षा नियंत्रक के सभी कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु नियुक्त कर सकते हैं।

संकायों के संकायाध्यक्ष

धारा 27 (4) और 49 (ख)

2.08 (1) यदि किसी संकाय के संकायाध्यक्ष के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति हो तो ज्येष्ठतम आचार्य और जहाँ उस संकाय में कोई आचार्य उपलब्ध न हो वहाँ संकाय का ज्येष्ठतम उपाचार्य संकायाध्यक्ष के कर्तब्यों का पालन करेगा।

(2) कोई व्यक्ति उस पद पर न रह जाने पर, जिसके आधार पर वह संकायाध्यक्ष का पद धारण कर पाया, संकायाध्यक्ष नहीं बना रहेगा।

धारा 27(4), 64(2) तथा 74 (3) (ख)

2.09 (1) ऐसे संकाय को छोड़कर जिसमें केवल एक आचार्य हो, कोई ऐसा अध्यापक जिसने इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक को –

(क) तीन वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि के लिये संकायाध्यक्ष का पद धारण कर लिया हो, यह समझा जायेगा कि वह अपनी बारी पूरी कर चुका है और ज्येष्ठता क्रम में पात्र अगला अध्यापक इस परिनियमावली के प्रारम्भ के दिनांक से संकायाध्यक्ष का पद धारण करेगा।

(ख) संकायाध्यक्ष के रूप में में तीन वर्ष पूरे न पूरे किये हों, तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक संकायाध्यक्ष का पद धारण किये रहेगा और ऐसी अवधि पूर्ण होने पर, ज्येष्ठताक्रम में पात्र अगला अध्यापक संकायाध्यक्ष के रूप में पद धारण करेगा।

(2) ऐसी अवधि की, जिसमें किसी अध्यापक ने संकायाध्यक्ष का पद धारण किया हो, गणना के प्रयोजनार्थ–

(क) जिस अवधि में ऐसे अध्यापक को विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के या किसी न्यायालय के आदेश द्वारा संकायाध्यक्ष का पद धारण करने या उस पर बने रहने से निषिद्ध किया गया था, उसको निकाल दिया जायेगा।

(ख) जिस अवधि में किसी अध्यापक को विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के या किसी न्यायालय के आदेश के अधीन संकायाध्यक्ष का पद धारण करने की अनुमति दी गयी हो, उस अवधि की गणना यदि अन्ततः यह पाया जाय कि उसे उस अवधि में उस पद को धारण करने का विधिक हक नहीं था संकायाध्यक्ष की पदावधि के प्रयोजनार्थ उसकी बारी अगली बार आने पर की जायेगी।

धारा 18 तथा 49(ग)

2.10 संकायाध्यक्ष के निम्नलिखित कर्त्तब्य तथा शक्तियाँ होंगी :–

(1) वह संकाय–बोर्ड के समस्त अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा और यह देखेगा कि बोर्ड के विभिन्न विनिश्चय कार्यान्वित किये जाते हैं।

(2) वह संकाय की वित्तीय तथा अन्य आवश्यकताओं को कुलपति की जानकारी में लाने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) वह संकाय में समाविष्ट विभागों के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा अन्य परिसम्पत्तियों की उचित अभिरक्षा तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक उपाय करेगा।

(4) उसे अपने संकाय से सम्बन्धित अध्ययन बोर्डों के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने तथा बोलने का अधिकार होगा किन्तु, जब तक वह उसका सदस्य न हो, उसे उसमें मतदान करने का अधिकार न होगा।

(5) दीक्षान्त समारोह में अपने संकाय के उपाधि प्राप्तकर्त्ताओं को प्रस्तुत करेगा।

छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष

धारा 18, 21 (1), (xvii) और 49 (ग)

2.11 छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति विश्वविद्यालय के उन अध्यापको में से, जिन्हे कम से कम दस वर्ष का अध्यापन कार्य का अनुभव हो और जो उपाचार्य से निम्न पंक्ति के न हों, कार्य परिषद् द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जाएगी।

धारा 11 तथा 49

2.12 छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त अध्यापक, अध्यापक के रूप में अपने कर्त्तब्यों के अतिरिक्त संकायाध्यक्ष के कर्त्तब्यों का भी पालन करेगा।

धारा 49

2.13 छात्र–कल्याण के संकायाध्यक्ष की पदावधि तीन वर्ष के लिए होगी, जब तक कि कार्य परिषद् द्वारा पहले ही समाप्त न कर दी जाय; परन्तु इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को संकायाध्यक्ष का पद धारण करने वाला छात्र–कल्याण का संकायाध्यक्ष परिनियम 2.11 के अधीन नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

धारा 18 तथा 49(ग)

2.14 (1) छात्र–कल्याण के संकायाध्यक्ष की सहायता अध्यापकों का (जिनका चयन अध्यादेशों में निर्धारित रीति से किया जायेगा) एक दल करेगा, जो अध्यापकों के रूप में अपने सामान्य कर्त्तब्यों के अतिरिक्त उक्त कर्त्तब्यों का पालन करेगाा। इस प्रकार चुने गये अध्यापक छात्र–कल्याण के सहायक संकायाध्यक्ष कहलायेंगे।

(2) छात्र–कल्याण के सहायक संकायाध्यक्षों में से एक सहायक संकायाध्यक्ष विश्वविद्यालय की महिला अध्यापकों में से नियुक्त किया जायेगा जो छात्राओं के कल्याण की देखभाल करेंगी।

धारा 18 तथा 49(ग) और (घ)

2.15(1) छात्र–कल्याण के संकायाध्यक्ष तथा छात्र कल्याण के सहायक संकायाध्यक्षों का यह कर्त्तब्य होगा कि वे छात्रों को ऐसे मामलों में जिनमें सहायता तथा मार्ग दर्शन अपेक्षित है सामान्यतः सहायता प्रदान करें, तथा विशेषतया, छात्रों तथा भावी छात्रों को;

(i) विश्वविद्यालय तथा उसके पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने,

(ii) उपयुक्त पाठ्यक्रम तथा अभिरूचि का चुनाव करने,

(iii) निवास स्थान ढूँढ़ने,

(iv) भोजन–व्यवस्था करने,

(v) चिकित्सकीय सलाह तथा सहायता प्राप्त करने,

(vi) छात्रवृत्तियां, वृत्तिका, अंशकालिक नियोजन तथा अन्य आर्थिक सहायता प्राप्त करने,

(vii) अवकाश के दिनों तथा शैक्षिक अध्ययन यात्राओं के लिए यात्रा–सुविधायें प्राप्त करने;

(viii) विदेश में अग्रेतर अध्ययन की सुविधायें प्राप्त करने, और

(ix) विश्वविद्यालय की परम्परायें अक्षुण्ण रहे, इस उद्देश्य से उन्हें विद्या अध्ययन करने में उचित रूप से संचालित होने में सहायता करना और सलाह देना।

(2) छात्र–कल्याण का संकायाध्यक्ष किसी छात्र के संरक्षक से किसी मामले के सम्बन्ध में, जिसमें उसकी सहायता, अपेक्षित हो, आवश्यकतानुसार सम्पर्क कर सकता है।

(3) छात्र–कल्याण संकायाध्यक्ष अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के जीवन बीमा किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

धारा–49(ग)

2.16 छात्र–कल्याण का संकायाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा के अधीक्षक अथवा सहायक अधीक्षक, यदि कोई हो, तथा विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी पर सामान्य नियन्त्रण रखेगा वह ऐसे अन्य कर्तब्यों का पालन करेगा जो कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा उसे सौंपे जायें।

धारा–13(9)

2.17 कुलपति किसी छात्र के विरूद्ध अनुशासनिक आधार पर कोई कार्यवाही करने के पूर्व छात्र–कल्याण के संकायाध्यक्ष से परामर्श कर सकते हैं।

धारा–49(घ)

2.18 छात्र–कल्याण के संकायाध्यक्ष को विश्वविद्यालय की निधियों से ऐसा मानदेय दिया जा सकता है, जैसा कुलपति, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से निश्चित करें।

विभागाध्यक्ष

धारा–49

2.19 (1) विश्वविद्यालय के अध्यापन के प्रत्येक विभाग का एक विभागाध्यक्ष होगा जो अधोलिखित प्रक्रिया से नियुक्त होगा। विभागाध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति द्वारा, यथासम्भव, चक्रानुक्रम के सिद्धान्तों का अनुपालन करते हुए की जायेगी। ऐसी नियुक्तियाँ कार्य परिषद् को संसूचित की जायेंगी।

(2) खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कारणवश किसी वरिष्ठ शिक्षक की विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्ति सम्भव नही हो सकी, जो वर्तमान (चक्रानुक्रम) में विभागाध्यक्ष के रूप में सेवा कर चुके अथवा सेवा कर रहे कनिष्ठ शिक्षक/शिक्षकों से वरिष्ठ है, तो यह कुलपति के अधीन है कि वह सम्बन्धित विभाग में जब भी विभागाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उस वरिष्ठ शिक्षक को विभागाघ्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, यदि वह इस प्रकार की नियुक्ति की पात्रता रखता है।

(3) विभागाध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। एक व्यक्ति, सामान्यतः, दूसरी क्रमिक अवधि के लिये विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्त नहीं होगा।

(4) खण्ड (2) में किसी बात के होते हुए भी, विभागाध्यक्ष की नियुक्ति लम्बित रहने तक अथवा अवकाश या अनुपस्थित रहने की स्थिति में, कुलपति पूर्णरूपेण स्थानापन्न आधार पर, स्थिति का आंकलन करते हुए, विभाग के आचार्य अथवा किसी उपाचार्य को विभागाध्यक्ष का तात्कालिक कर्त्तब्य निवर्हन करने अथवा विभागाध्यक्ष की भॉति कार्य करने का, जैसा भी प्रकरण हो, निर्देश दे सकते हैं।

टिप्पणी: चक्रानुक्रम का सिद्धान्त वरिष्ठता क्रम से लागू होगा। जो व्यक्ति विभागाध्यक्ष के रूप में पहले सेवा कर चुका है अथवा कर रहा है, उसके तत्काल बाद जो वरिष्ठ शिक्षक है, वही विभागाध्यक्ष पद का अधिकारी होगा।

(5) प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष एक आचार्य ही होगा, परन्तु यदि किसी विभाग मे केवल एक ही आचार्य है अथवा कोई आचार्य विभागाध्यक्ष बनने की पात्रता नही रखता, तो उपाचार्य विभागाध्यक्ष नियुक्त हो सकता है और जब विभाग में कोई भी आचार्य या उपाचार्य विभागाध्यक्ष होने की पात्रता नहीं रखता तो सम्बद्ध संकायाध्यक्ष उस विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(6) जिन विभाग के विभागाध्यक्षो ने अपना तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है उन्हें परिवर्तित कर दिया जाये तथा जिन विभागाध्यक्षो ने तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया है उन्हें विभागाध्यक्ष के रूप में शेष कार्यकाल पूरा करने के बाद ही परिवर्तित किया जाये।

(7) परन्तु यह भी कि औषधि विज्ञान संकाय एवं दन्त विज्ञान संकाय के विभागों में नियुक्त वही प्राध्यापक विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु अर्ह होंगे जो क्रमशः भारतीय चिकित्सा परिषद अथवा दन्त परिषद् द्वारा निर्धारित स्नातकोत्तर उपाधि धारित करते हों।

निदेशक

धारा 2(7)

2.19. (क) प्रत्येक संस्थान का आचार्य/उपाचार्य ज्येष्ठताक्रम में पात्रता के आधार पर चक्रानुक्रम से उसका निदेशक होगा जो विभागाध्यक्षों के दायित्वों का निर्वहन करेगा।

पुस्तकालयाध्यक्ष

धारा 49 (ग)

2.20 (1) विश्वविद्यालय में एक पूर्णकालिक पुस्तकालयाध्यक्ष होगा। पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति चयन समिति की संस्तुति पर कार्य परिषद् द्वारा की जायेगी। चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(क) कुलपति;

(ख) पुस्तकालय विज्ञान के दो विशेषज्ञ, जो कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(2) जब तक खण्ड (1) के अधीन नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्ष अपने पद का कार्य–भार न सम्भाले तब तक कार्य परिषद् ऐसी अवधि के लिए कुलपति की संस्तुति पर जिसे वह उचित समझे, विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी को अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है।

2.21 पुस्तकालयाध्यक्ष, उपपुस्तकाध्यक्ष एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की अर्हतायें ऐसी होंगी जैसी परिनियम खण्ड–12.02(V) में व्यवस्था की जाय।

2.22 पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की परिलब्धियाँ ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाय।

धारा–49(ग)

2.23 विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का अनुरक्षण तथा उसकी सेवाओं को ऐसी रीति से जो अध्यापन–कार्य तथा अनुसंधान कार्य के हित में सर्वाधिक सहायक हो, संगठित करना पुस्तकालयाध्यक्ष का कर्त्तब्य होगा।

धारा–49(ग)

2.24 पुस्तकालयाध्यक्ष कुलपति के अनुशासनिक नियंत्रण में रहेगा। परन्तु उसे अनुशासनिक कार्यवाहियों में अपने विरूद्ध कुलपति द्वारा दिये गये किसी आदेश के विरूद्ध कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा।

कुलानुशासक (प्राक्टर)

धारा 18 तथा 49(ग)

2.25 कुलानुशासक विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से, कुलपति की सिफारिश पर, कार्य परिषद द्वारा नियुक्त किया जायेगा। कुलानुशासक कुलपति को विश्वविद्यालय के छात्रों के सम्बन्ध में अनुशासनिक प्राधिकार का प्रयोग करने में सहायता देगा, और अनुशासन के सम्बन्ध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तब्यों का पालन भी करेगा जो उसे कुलपति द्वारा इस निमित्त सौंपे जायें।

धारा 49(ग)

2.26 कुलानुशासक की सहायता के लिए सहायक कुलानुशासक होंगे जिनकी संख्या कार्य परिषद् द्वारा समय–समय पर निश्चित की जायेगी।

धारा 49(ग)

2.27 कुलपति कुलानुशासक के परामर्श से सहायक कुलानुशासक नियुक्त करेंगे।

धारा 49(ग) तथा 49 (ङ)

2.28 कुलानुशासक तथा सहायक कुलानुशासक एक वर्ष के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे;

परन्तु जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाय, प्रत्येक कुलानुशासक अथवा सहायक कुलानुशासक पद पर बना रहेगा;

परन्तु यह और कि कार्य परिषद् कुलपति की सिफारिश पर कुलानुशासक को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व हटा सकती है;

परन्तु यह भी कि कुलपति किसी सहायक कुलानुशासक को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व हटा सकते हैं।

धारा 49(ग) तथा 49 (ङ)

2.29 कुलानुशासक तथा सहायक कुलानुशासकों को विश्वविद्यालय की निधियों से ऐसा मानदेय दिया जा सकता है जैसा कुलपति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से निश्चित करें।

अध्याय–2–क

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी

धारा 9(झ)

2.01 **(क)** कार्य परिषद् के सदस्य विश्वविद्यालय के अधिकारी होंगे।

धारा 9(झ)

2.01 (ख) निदेशक–महाविद्यालय विकास समिति

1. निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद की नियुक्ति विश्वविद्यालय के आचार्यों में से कुलपति की संस्तुति पर कार्य परिषद द्वारा की जायेगी।
2. निदेशक द्वारा कुलपति के विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के नियमन तथा विकासात्मक कार्य सम्बन्धी प्राधिकारों के अनुपालन में सहायता एवं सलाह प्रदान की जायेगी और वह नियमन तथा विकासात्मक कार्य के सम्बन्ध में उन अधिकारों के परिपालन तथा कत्तव्यों के निष्पादन को सुनिश्चित करेगा जो कि उन्हें समय–समय पर कुलपति द्वारा सन्दर्भित किया जायेगा।

3. निदेशक एक वर्ष के लिए पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति के वह अर्ह होंगे। यह भी व्यवस्था है कि पद अवधि के समाप्त होने के पूर्व भी कुलपति की संस्तुति पर कार्य परिषद् द्वारा निदेशक को पदमुक्त किया जा सकेगा।

2.01 (ग) निदेशक, अकादमिक मामले

1. निदेशक–अकादमिक मामले की नियुक्ति कुलपति की संस्तुति पर कार्य परिषद द्वारा विश्वद्यिालय के आचार्यों में से किसी एक आचार्य की जायेगी।
2. निदेशक द्वारा विभिन्न अकादमिक नीतियों के निरूपण कार्यक्रमों, विस्तार तथा शोध के विकास एवं नियमन के सम्बन्ध में कुलपति को उनके अकादमी अधिकारों के अनुपालन में सहायता तथा सलाह प्रदान की जायेगी और वह अकादमिक कार्यक्रमों के विकास एवं नियमन के सम्बन्ध में उन अधिकारों के परिपालन तथा कर्त्तब्यों के निष्पादन को सुनिश्चित करेगा जोकि उन्हें समय समय पर कुलपति द्वारा सन्दर्भित किया जायेगा।
3. निदेशक एक वर्ष के लिए पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति के लिए वह अर्ह होगा। यह भी व्यवस्था है कि पदावधि के समाप्त होने के पूर्व भी कुलपति की संस्तुति पर कार्य परिषद द्वारा निदेशक को पद मुक्त किया जा सकेगा।

अध्याय – 3

कार्य परिषद्

धारा 20 (1) (ग)

3.01 संकायों के संकायाध्यक्ष, जो धारा 20 (1) (ग) के अधीन कार्य परिषद् के सदस्य होंगे, उसी क्रम में चुने जायेंगे जिस क्रम में विभिन्न संकायों में नाम परिनियम, 7.01 में प्रगणित हैं।

धारा 20 (1) (ड.)(i)

3.02 धारा–20 (1)(ड.)(i) के अधीन विश्वविद्यालय के आचार्यों (प्रोफेसर्स), उपाचार्यों (एसोसिएट प्रोफेसर्स) तथा प्राध्यापकों (असिस्टेन्ट प्रोफेसर्स) का (जो संकाय के संकायाध्यक्ष न हों) प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार से होगाः

(क) दो आचार्यों (प्रोफेसर्स) जिनका चयन ज्येष्ठता–क्रम में चक्रानुक्रम से किया जाएगा।

(ख) दो उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर्स)जिनका चयन ज्येष्ठता–क्रम में चक्रानुक्रम से किया जाएगा।

(ग) दो प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर्स) जिनका चयन ज्येष्ठता–क्रम में चक्रानुक्रम से किया जाएगा।

धारा 20 (1) (घ) (2)

3.03 धारा 37 के खण्ड (1) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के प्राचार्यों, उपाचार्यों (एसोसिएट प्रोफेसर्स) तथा प्रवक्ताओं (असिस्टेंट प्रोफेसर्स) का प्रतिनिधित्व इस प्रकार होगा–

(अ) सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य (स्नातकोत्तर महाविद्यालयों से एक प्राचार्य तथा स्नातक महाविद्यालयों से दो प्राचार्य)

(ब) सम्बद्ध महाविद्यालयों से एक उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर)

(स) सम्बद्ध महाविद्यालयों से एक प्राध्यापक (असिस्टेण्ट प्रोफेसर)

3.04 राजकीय एवं अनुदानित सम्बद्ध महाविद्यालयों के 3 प्राचार्य, एक उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) तथा एक प्रवक्ता (असिस्टेंट प्रोफेसर) जो धारा 37 खण्ड (1) के अन्तर्गत कार्य परिषद् के सदस्य होगें उनका

चयन प्राचार्य, उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) अथवा प्रवक्ता (असिस्टेंट प्रोफेसर) के चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष के लिए किया जायेगा।

धारा 20 (1) (च)

3.05 धारा 20 (1) के खण्ड(च) के अधीन चुने गये व्यक्ति बाद में विश्वविद्यालय या छात्र निवास या छात्रावास का छात्र होने या उसकी सेवा स्वीकार कर लेने पर कार्य परिषद के सदस्य नहीं रह जायेंगे।

धारा 20 (1) (ग ग)

अनसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के आचार्य अथवा उपाचार्यों में से दो सदस्य तथा अन्य पिछड़े वर्ग के आचार्यों अथवा उपाचार्यों में से दो सदस्य कुलपति जी द्वारा वरिष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से नामित किये जायेगें।

धारा 20 (1) (घ घ)

शहीद स्मारक ट्रस्ट द्वारा अपने सदस्यों में से चयनित एक प्रतिनिधि एक वर्ष के लिये।

धारा 49 (क) तथा (ख)

3.06 कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से कार्य परिषद का न तो सदस्य होगा और न सदस्य बना रहेगा, और जब कभी कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से कार्य परिषद का सदस्य हो जाय, तो वह उसके दो सप्ताह के भीतर यह चुन लेगा कि वह किस हैसियत से कार्य परिषद् का सदस्य रहना चाहता है और दूसरा स्थान रिक्त कर देगा। यदि वह इस प्रकार चुनाव न करे, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस स्थान को उपर्युक्त दो सप्ताह की अवधि की समाप्ति के दिनांक से रिक्त कर दिया है, जिस पर समय की दृष्टि से वह पहले से आसीन था।

धारा 21 (8)

3.07 कार्य परिषद् अपनी कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा पारित संकल्प से विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को अपनी ऐसी शक्तियाँ, जिन्हें वह ठीक समझे, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें संकल्प में निर्दिष्ट किया जाय, प्रत्यायोजित कर सकती है।

धारा 20 तथा 49 (ख)

3.08 कार्य परिषद् के अधिवेशन कुलपति के निर्देश से बुलाये जायेंगे।

धारा 20 तथा 49 (ख)

3.09 कार्य परिषद ऐसे किसी प्रस्ताव पर जिसमें वित्तीय प्राविधान अन्तर्ग्रस्त हो, विचार करने के पूर्व, वित्त अधिकारी की राय प्राप्त करेगी।

अध्याय – 4

सभा

अध्यापकों आदि का प्रतिनिधित्व

धारा 22 (1) (vii)

4.01 विश्वविद्यालय के छात्रावासों के वार्डेन के दो प्रतिनिधियों का जिसमें विश्वविद्यालय परिसर स्थित छात्रावासों से एक तथा राजकीय एवं अनुदानित सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्थित छात्रावासों से एक का, जो धारा 22(1) के खण्ड (VII) के अधीन सभा के सदस्य होंगे, चयन वार्डेन के रूप में उनकी लगातार दीर्घकालिक सेवा के आधार पर चक्रानुक्रम से किया जायगा।

धारा 22 (1) (ix)

4.02(1) विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग (संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण को सम्मिलित करते हुए) तथा राजकीय एवं अनुदानित सम्बद्ध महाविद्यालयों के ऐसे पन्द्रह अध्यापकों का जो धारा 22(1) के खण्ड (ix) के अधीन सभा के सदस्य होंगे, चयन निम्नलिखित रीति से किया जायगा,

(क) विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग के तीन आचार्य,

(ख) विश्वविद्यालय अध्ययन विभाग के दो उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर),

(ग) विश्वविद्यालय अध्ययन विभाग के दो प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर),

(घ) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष।

(ड.) राजकीय एवं अनुदानित सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य (स्नातकोत्तर महाविद्यालय का एक प्राचार्य, स्नातक महाविद्यालय के दो प्राचार्य),

(च) राजकीय एवं अनुदानित सम्बद्ध महाविद्यालय के दो उपाचार्य(एसोसिएट प्रोफेसर)

(छ) राजकीय एवं अनुदानित सम्बद्ध महाविद्यालय के दो प्राध्यापक(असिस्टेंट प्रोफेसर)

4.02(2) उपर्युक्त आचार्यों, उपाचार्यों (एसोसिएट प्रोफेसर्स) और प्राध्यापकों (असिस्टेंट प्रोफेसर्स) तथा राजकीय एवं अनुदानित सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा अन्य अध्यापकों का चयन, यथास्थिति, आचार्य, उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) या प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) तथा प्राचार्य, उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) एवं प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) के रूप में उनकी ज्येष्ठताक्रम में किया जायेगा।

4.02(3) सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रबन्ध तन्त्र के दो प्रतिनिधि (अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय प्रत्येक से एक–एक) धारा 22 (1) के खण्ड (x) के अनुसार सभा के सदस्य होगें। दीर्घतम् अवधि वाले महाविद्यालयों के इन दोनों सदस्यों को एक वर्ष के लिए कुलपति जी द्वारा चक्रानुक्रम से नामित किया जायेगा।

स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण तथा सभा में उनका प्रतिनिधित्व

धारा 16 (4) तथा 49 (थ)

4.03 कुलसचिव अपने कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का एक रजिस्टर रखेगा, जिसे आगे इस अध्याय में रजिस्टर कहा गया है।

धारा 49 (थ)

4.04 रजिस्टर में निम्नलिखित विवरण होंगे–

(क) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का नाम तथा पता।

(ख) उनके स्नातक होने का वर्ष।

(ग) विश्वविद्यालय का नाम।

(घ) रजिस्टर में स्नातक का नाम दर्ज किये जाने का दिनांक एवं शुल्क का विवरण

(ड़) ऐसे अन्य ब्योरे जिनके बारे में कार्य परिषद् समय–समय पर निर्देश दे।

टिप्पणी– ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के नाम काट दिये जायेंगे जिनकी मृत्यु हो गयी हो।

धारा 49 (थ)

4.05 विश्वविद्यालय का प्रत्येक स्नातक कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में आवेदन–पत्र देने पर और पाँच सौ रूपये की फीस देने पर रजिस्टर में अपना नाम उस दीक्षान्त समारोह के दिनांक से दर्ज कराने का हकदार होगा जिसमें वह उपाधि प्रदान की गई थी या उसके उपस्थित रहने पर प्रदान की गयी होती

जिसके आधार पर उसका नाम दर्ज करना है। आवेदन पत्र स्नातक द्वारा स्वयं दिया जायेगा और उसे या तो स्वयं कुलसचिव को दिया जा सकता है या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकता है। यदि दो या उससे अधिक आवेदन–पत्र एक ही आवरण में प्राप्त हों, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

धारा 49 (थ)

4.06 आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कुलसचिव, यदि ये ज्ञात हो कि स्नातक सम्यक रूप से अर्ह है और विहित फीस दे दी गयी है, आवेदक का नाम रजिस्टर में दर्ज करेगा।

धारा 49 (थ)

4.07 कोई रजिस्ट्रीकृत स्नातक, जिसका नाम निर्वाचन की अधिसूचना के दिनांक के पूर्ववर्ती 30 जून को एक वर्ष या उससे अधिक अवधि से रजिस्टर में लिखा हो, रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के प्रतिनिधियों के नर्वाचन में मत (वोट) देने का हकदार होगा।

धारा 22 (1) (xi) तथा 49 (थ)

4.08 कोई रजिस्ट्रीकृत स्नातक धारा 22(1) के खण्ड (XI) के अधीन निर्वाचन में खड़े होने के लिए पात्र होगा, यदि उसका नाम निर्वाचन के दिनांक के पूर्ववर्ती 30 जून, को कम से कम तीन वर्ष तक रजिस्टर में दर्ज रहा हो।

धारा 22 (1) (xi) तथा 49 (थ)

4.09 धारा 21 (1) क खण्ड (XI) के अधीन निर्वाचित रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का प्रतिनिधि विश्वविद्यालय छात्रावास की सेवा में प्रवेश करने पर अथवा छात्र हो जाने पर सदस्य नहीं रह जायेगा, और इस प्रकार रिक्त हुए स्थान को ऐसे उपलब्ध व्यक्ति द्वारा, जिसे पिछले निर्वाचन के समय ठीक बाद में पड़ने वाले अधिकतम मत प्राप्त हुए हों, शेष कार्यकाल के लिए भरा जाएगा।

धारा 22 (1) (xi) (xii)

4.10 कोई रजिस्ट्रीकृत स्नातक, जो पहले से ही किसी अन्य हैसियत से सभा का सदस्य हो रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन में खड़ा हो सकता है, और इस प्रकार उसके निर्वाचित हो जाने पर, परिनियम 3.06 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

धारा 22 (1) (xi)

4.11 इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का निर्वाचन परिशिष्ट 'क' में निर्धारित आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा।

धारा 22 (2) तथा 49 (ख)

4.12 सभा के सदस्यों का कार्यकाल सभा के प्रथम अधिवेशन के दिनांक से प्रारम्भ होगा।

अध्याय–5

विद्या परिषद्

धारा 25 (2) (viii) तथा 49 (ख)

5.01 विद्यापरिषद का गठन इस प्रकार किया जायेगा–

(i) कुलपति,

(ii) प्रतिकुलपति यदि कोई हो,

(iii) समस्त संकायों के संकायाध्यक्ष,

(iv) विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय के संस्थानों के निदेशक यहि कोई हो एवं जहाँ पर विश्वविद्यालय में किसी विषय हेतु विभाग नहीं है तो सम्बद्ध राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों से सम्बन्धित संकाय के अन्तर्गत विषय के चक्रानुक्रम से वरिष्ठतम् अध्यापक (तदर्थ एवं स्ववित्त पोषित अध्यापक को छोड़कर) नामित किया जायेगा।

(v) विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग के समस्त आचार्य जो विभागाध्यक्ष न हों।

(vi) स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के स्थायी रूप से नियुक्त सभी प्राचार्य (ऐसे स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को छोड़कर जहाँ पर स्नातकोत्तर स्तर पर चलाये जा रहे विषय स्ववित्तपोषित आधार पर चलाये जा रहे हैं)।

(vii) सम्बद्ध राजकीय एवं अनुदानित स्नातक स्तरीय महाविद्यालयों के दो प्राचार्य वरिष्ठता आधार पर होंगे बशर्ते वे उस महाविद्यालय में स्थायी रूप से नियुक्त हों।

5.02 ऐसे पन्द्रह अध्यापकों का, जो धारा 25(2)(VIII) के अधीन विद्यापरिषद् के सदस्य होंगे जिनका चयन एक वर्ष के लिए निम्नलिखित रीति से किया जायेगा :–

(क) ज्येष्ठता–क्रम में चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग के चार उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर)।

(ख) ज्येष्ठता–क्रम में चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग के चार प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर)।

(ग) सम्बद्ध राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालों के चार उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) ज्येष्ठता क्रम से चक्रानुक्रम में।

(घ) सम्बद्ध राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालों के तीन प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) ज्येष्ठता क्रम से चक्रानुक्रम में।

5.03 विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित आचार्यो अथवा उपाचार्यो (एसोसिएट प्रोफेसर्स) में से दो सदस्य तथा अन्य पिछड़ी जातियों से सम्बन्धित आचार्यो अथवा उपाचार्यो (एसोसिएट प्रोफेसर्स) में से दो सदस्य (यदि उक्त संवर्ग में आचार्य एवं सह आचार्य की उपलब्धता न हो तो कुलपति उक्त वर्गों के सहायक आचार्यों का नाम वरिष्ठता के क्रम में सदस्यता हेतु निर्दिष्ट कर सकेंगे)

धारा 25 (2) (xi) तथा 49 (ख)

5.04 शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित पाँच व्यक्तिओं का, जो धारा 25(2) के खण्ड (XI) के अधीन विद्यापरिषद् के सदस्य होंगे, सहयोजन के उक्त धारा के खण्ड (i) से (IV) और (VIII) से (X) में उल्लिखित सदस्यों द्वारा, जिनका अधिवेशन कुलसचिव बुलायेगा, उन व्यक्तियों में से किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय छात्र निवास या छात्रावास के कर्मचारी न हों।

धारा 25 (3) तथा 49 (ख)

5.05 धारा 25(2) के खण्ड (VIII) और (XI) के अधीन सदस्य तीन वर्ष के लिए पद धारण करेंगे।

धारा 25 (1) (ग)

5.06 अधिनियम, इस परिनियमावली तथा अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, विद्या–परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी अर्थात् :–

(i) अध्ययन बोर्ड के द्वारा संकायों के माध्यम से प्रेषित पाठ्यक्रम विषयक प्रस्तावों की संवीक्षा करना और उन पर अपनी सिफारिश करना तथा कार्य परिषद् के विचारार्थ उन सिद्धान्तों और मापदण्डों की सिफारिश करना जिनके आधार पर परीक्षकों और निरीक्षकों को नियुक्त किया जाय,

(ii) सभा अथवा कार्य परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किये गये या सौंपे गये किसी भी विषय पर रिपोर्ट देना,

(iii) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के डिप्लोमा तथा उपाधियों को मान्यता देने और विश्वविद्यालय के डिप्लोमा तथा उपाधियों या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित इण्टरमीडियट परीक्षा के प्रति उनकी समकक्षता के विषय में कार्य परिषद् को सलाह देना,

(iv) विश्वविद्यालय की विभिन्न उपाधियों तथा डिप्लोमा के लिए विषय विशेष में शिक्षण देने वाले व्यक्तियों की अपेक्षित अर्हताओं के संबंध में कार्य परिषद् को सलाह देना और –

(v) शिक्षा सम्बन्धी विषयों के सम्बन्ध में ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे सभी कृत्यों को करना, योजना एवं मूल्यांकन परषिद द्वारा अकादमिक मामलों लिये गये निर्णयों पर पर विचार करना जो अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन उचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो।

धारा 25 तथा 49 (ख)

5.07 विद्या–परिषद् की अधिवेशन कुलपति के निर्देश से बुलाया जाएगा।

अध्याय–6

वित्त समिति

धारा 49 (ख)

6.01 धारा 26(1) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति की सदस्यता की अवधि एक वर्ष होगी, परन्तु वह अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचन तक पर पद बना रहेगा। कोई भी ऐसा सदस्य लगातार तीन बार से अधिक पद धारण नहीं करेगा।

धारा 26 (3) तथा 49 (क)

6.02 व्यय की ऐसी नई मदें, जो पहले से ही वित्तीय अनुमान में सम्मिलित न हों निम्नलिखित दशा में वित्त समिति को निर्दिष्ट की जायेगी–

(I) अनावर्ती व्यय, यदि उसमें पचास हजार रूपये या उससे अधिक का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो,

(II) आवर्ती व्यय, यदि उसमें पन्द्रह हजार रूपये या इससे अधिक का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो,

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यह अनुमति न होगी कि वह किसी ऐसे मद को, जो एक बजट शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली अनेक विभागों में विभाजित की गयी हो, छोटी–छोटी धनराशियों की बहुत सी मदें मानकर कार्य करें और वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत न करें।

धारा 26 (3) तथा 49 (क)

6.03 वित्त समिति ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व जिसकी अध्यादेशों द्वारा इस निमित्त व्यवस्था की जाय, परिनियम 6.02 अथवा परिनियम 6.04 के अधीन उसको निर्दिष्ट की गयी व्यय की समस्त मदों पर विचार करेगी और उन पर अपनी सिफारिशें यथाशीघ्र देगी और कार्य परिषद् को सूचित करेगी।

धारा 26 (1) तथा 49 (क)

6.04 यदि कार्य परिषद् वार्षिक वित्तीय अनुमान (अर्थात् बजट) पर विचार करने के पश्चात् किसी समय उसमें किसी ऐसे पुनरीक्षण का प्रस्ताव करें, जिसमें परिनियम 6.02 में निर्दिष्ट आवर्ती या अनावर्ती धनराशि का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो तो कार्य परिषद् वित्त समिति को प्रस्ताव निर्दिष्ट करेगी।

धारा 28 (3) तथा 49 (क)

6.05 वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किया गया विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा वित्तीय अनुमान वित्त समिति के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा और तत्पश्चात कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

धारा 26 (3) तथा 49 (क)

6.06 वित्त समिति के किसी सदस्य को असहमति भी लिखित करने का अधिकार होगा, यदि वह वित्त समिति के किसी विनिश्चय से सहमत न हो।

धारा 26 (3) तथा 49 (क)

6.07 लेखा की परीक्षा करने तथा व्यय के प्रस्तावों की समीक्षा करने के लिए वित्त समिति का प्रतिवर्ष कम से कम दो बार अधिवेशन होगा।

धारा 15 (7) तथा 49 (ग)

6.08 वित्त समिति के अधिवेशन कुलपति के निर्देश से बुलाये जायेंगे और वित्त अधिकारी द्वारा ऐसे अधिवेशनों को बुलाने के लिए सभी नोटिस दस दिन पूर्व जारी की जाएगी और सभी अधिवेशनों का कार्य वृत्त रखा जाएगा।

अध्याय–7

संकाय

धारा 27 (1)

7.01 विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे, अर्थात्

(क) मानविकी संकाय

(ख) समाज विज्ञान संकाय

(ग) समाज कार्य संकाय

(घ) वाणिज्य एवं प्रबन्ध शास्त्रसंकाय

(ड़) शिक्षा संकाय

(च) विधि संकाय

(छ) विज्ञान एवं जीवन विज्ञान संकाय

(ज) प्रौद्योगिकी संकाय

(झ) चिकित्सा विज्ञान संकाय

(ञ) कृषि विज्ञान संकाय

(ट) पत्रकारिता संकाय

धारा 27 (3)

7.02 प्रत्येक संकाय का बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित किया जाएगा –

(I) संकाय का संकायाध्यक्ष जो अध्यक्ष होगा।

(II) संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषयों के विभागाध्यक्ष तथा आचार्य

(III) संकाय को सौंपे गये प्रत्येक अध्यापन विभाग से प्रतिवर्ष ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से, एक उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) तथा एक प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) जो विभागाध्यक्ष न हो।

(IV) जिस संकाय में स्नातकोत्तर उपाधि के लिए अथवा स्नातकोत्तर उपाधि की परीक्षा के भाग–1 अथवा भाग–2 के लिए स्वतंत्र पाठ्यक्रम विहित हो उस संकाय में पढ़ाये जाने वाले पाठ्य का ज्येष्ठतम अध्यापक जब तक की ऐसे विषय की प्रत्येक शाखा किसी अन्य शीर्षक के अन्तर्गत आने वाले सदस्य द्वारा न पढ़ायी जाती हो।

(V) राजकीय एवं अनुदानित स्नातकोत्तर महाविद्यालय का एक प्राचार्य जो विषय से सम्बन्धित है जो कि सम्बन्धित संकाय के अन्तर्गत आता है, चक्रानुक्रम से वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष के लिए ।

(VI) राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के दो उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) तथा दो प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) संकाय के सदस्य होंगे जो कि सम्बन्धित संकाय के अन्तर्गत आने वाले विषयों से सम्बन्धित है, ऐसे सदस्य चक्रानुक्रम से वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष के लिए होंगे।

(VII) जो व्यक्ति विश्वविद्यालय छात्रावास अथवा छात्रावास की सेवा में न हो, उनमें से पाँच से अनधिक ऐसे व्यक्ति, जिनको संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषयों में विशेषज्ञ होने के कारण विद्या–परिषद नाम निर्दिष्ट करे।

(VIII) सम्बन्धित संकाय के संकायाध्यक्ष की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा नामित दो वाह्य विषय विशेषज्ञ तीन वर्ष के लिए सदस्य होंगे जिसमें से एक सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

धारा 27 (2)

7.03 मानविकी संकाय में निम्नलिखित विभाग/केन्द्र होंगे :–

(1) अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाएं

(2) हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाएं

(3) संस्कृत और अन्य प्राच्य भाषाएं

(4) प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व
(5) मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास
(6) दर्शनशास्त्र
(7) ललितकला
(8) पुस्तकालय विज्ञान
(9) नव शिक्षा
(10) उर्दू विभाग
(11) मंचकला
(12) संगीत
(13) पं0 हजारी प्रसाद द्विवेदी भोजपुरी अध्ययन एवं शोध केन्द्र
(14) बौद्ध अध्ययन एवं शोध केन्द्र

7.04 समाज विज्ञान संकाय में निम्नलिखित विभाग/केन्द्र होंगे :–
(1) अर्थशास्त्र
(2) समाजशास्त्र
(3) राजनीति शास्त्र
(4) मनोविज्ञान
(5) महिला अध्ययन
(6) जननायक चन्द्रशेखर नीति अध्ययन एवं शोधपीठ

7.05 समाजकार्य संकाय में निम्नलिखित विभाग/केन्द्र होंगे :–
(1) समाजकार्य
(2) पं0 दीन दयाल उपाध्याय शोध पीठ
(3) डॉ0 भीमराव अम्बेडकर अध्ययन एवं शोध केन्द्र

7.06 वाणिज्य एवं प्रबन्धशास्त्र संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :–
(1) वाणिज्य
(2) प्रबन्ध शास्त्र
(3) पर्यटन प्रबन्धन

7.07 शिक्षा संकाय में निम्नलिखित विभाग होगा :–
(1) शिक्षा विभाग

अधोलिखित पाठ्यक्रम संचालित होगे–

1. एम0ए0 शिक्षाशास्त्र
2. बी0एड0
3. एम0एड0
4. बी0एल0एड0
5. बी0ए0 बी0एड0/बी0एस–सी बी0एड0

(2) शारीरिक शिक्षा एवं योग

(3) जीवन पर्यन्त अध्ययन (Life Long Learning)

7.08 विधि संकाय में निम्नलिखित विभाग होगा –

विधि विभाग – अधोलिखित पाठ्यक्रम संचालित होगे–

1. एकीकृत पंचवर्षीय विधि पाठ्यक्रम
2. एल–एल0बी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रय
3. एल–एल0बी0

7.09 विज्ञान संकाय में निम्नलिखित विभाग होगे :–

(1) गणित
(2) सांख्यिकी
(3) भौतिक विज्ञान
(4) रसायन विज्ञान
(5) वनस्पति विज्ञान
(6) प्राणि (जन्तु) विज्ञान
(7) गृह विज्ञान
(8) अर्थ साइंस (भू–भौतिकी एवं भू–भौमिकी)
(9) पर्यावरण विज्ञान
(10) जैव भौतिकी
(11) भूगोल
(12) जीव रसायन विज्ञान (स्त्रातजिक)
(13) रक्षा अध्ययन/सैन्य विज्ञान
(14) आहार एवं पोषण
(15) सूक्ष्म जैविकी
(16) औद्योगिक मत्स्य एवं मत्स्य पालन
(17) औद्योगिक रसायन
(18) रेशम कीट संवर्धन

7.10 प्रौद्योगिकी संकाय में निम्नलिखित विभाग होगे :–

(1) कम्प्यूटर विज्ञान
(2) ग्रामीण प्रौद्योगिकी
(3) पुस्तक मुद्रण एवं प्रकाशन प्रौद्योगिकी
(4) हथकरघा विज्ञान
(5) जैव प्रौद्योगिकी/जैव तकनीकी

7.11 पत्रकारिता संकाय में निम्नलिखित विभाग होगे :–

(1) पत्रकारिता
(2) जनसंचार

7.12 (च) चिकित्सा विज्ञान संकाय में निम्नलिखित पाठ्यक्रम होंगे :–

(1) आधुनिक चिकित्सा
(2) आयुर्वेदिक चिकित्सा
(3) यूनानी चिकित्सा
(4) दन्त चिकित्सा
(5) समन्वित चिकित्सा
(6) वैकल्पिक चिकित्सा
(7) चिकित्सकीय तकनीकी पाठ्यक्रम

उक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु निम्नलिखित विभाग होंगे :–

(1) शरीर रचना
(2) शरीर क्रिया
(3) समन्वित एवं वैकल्पिक चिकित्सा सिद्धान्त
(4) व्याधिकी विज्ञान
(5) वैषज्य विज्ञान
(6) सामुदायिक चिकित्सा
(7) न्यायिक चिकित्सा
(8) औषधि
(9) शल्य
(10) मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं प्रसूति
(11) आयुर्वेद
(12) होमियोपैथ
(13) समन्वित शल्य
(14) समन्वित चिकित्सा
(15) वैकल्पिक चिकित्सा
(16) वैकल्पिक शल्य
(17) व्यावहारिक चिकित्सा
(18) दन्त चिकित्सा
(19) योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा
(20) यूनानी
(21) पैरामेडिकल एवं नर्सिंग

7.13 (छ) कृषि विज्ञान संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :–

(1) कृषि प्रसार (Agriculture Extension)
(2) कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान (Agriculture Chemistry & Soil Science)
(3) कृषि कीट विज्ञान (Agriculture Entomology)

(4) कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी (Agriculture Economics and Statistics)

(5) आनुवंशिकी एवं पादन प्रजनन (Genetics and Plant Breeding)

(6) उद्यानिकी (Hortieulture)

(7) पादप रोग विज्ञान (Plant Pathology)

(8) पशुपालन एवं दुग्ध उद्योग (Animal Husbandry and Dairying)

(9) भूमि संरक्षण (Soil Conservation)

(10) कृषि अभियन्त्रण (Agrieultural Engineering)

(11) शस्य विज्ञान (Agronomy)

धारा 27 (3) तथा 49 (ख)

7.14 (1) इस अध्याय में उपबन्धित के सिवाय संकाय के बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(2) संकाय के बोर्ड का अधिवेशन, उसके अध्यक्ष के निर्देश से बुलाया जायेगा।

धारा 27 (3)

7.15 अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संकाय के बोर्ड की निम्नलिखित शक्ति होगी, अर्थात्

1– शिक्षा के पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में सम्बद्ध अध्ययन बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् विद्या–परिषद् को सिफारिश करना।

2– विश्वविद्यालय के अध्यापन और अनुसंधान कार्य के सम्बन्ध में संकाय को सौंपे गये विषयों में से विद्या परिषद् को सिफारिश करना।

3– अपने कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में किसी प्रश्न पर जो उसे आवश्यक प्रतीत होती हो और विद्या परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट मामले पर विचार करना, और विद्या परिषद् को सिफारिश करना।

अध्याय – 8

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी तथा निकाय

अनुशासन समिति

धारा 49

8.01 (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय में ऐसी अवधि के लिए जिसे वह उचित समझे एक आनुशासनिक समिति का गठन करेगी जिसमें कुलपति और कार्य परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अन्य व्यक्ति होंगे –

परन्तु यदि कार्य परिषद् समीचीन समझे तो वह विभिन्न मामलों या मामलों के वर्गों पर विचार करने के लिए एक से अधिक समिति गठित कर सकती है।

(2) जिस अध्यापक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का कोई मामला विचाराधीन हो, वह उस मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करने वाली अनुशासनिक समिति के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेगा।

(3) कार्य परिषद् कोई मामला एक अनुशासनिक समिति से किसी दूसरी अनुशासनिक समिति को किसी भी प्रक्रम पर अन्तरित कर सकती है।

8.02 (1) अनुशासनिक समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे –

(क) परिनियम 2.06 के अधीन विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी अपील पर विनिश्चय करना,

(ख) ऐसे मामलों में जाँच करना, जिसमें विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक या पुस्तकालयाध्यक्ष के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अन्तर्ग्रस्त हो,

(ग) उपर्युक्त उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी ऐसे कर्मचारी को निलम्बित करने की सिफारिश करना जिसके विरूद्ध जाँच विचाराधीन या अनुध्यात हो,

(घ) ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो उसे समय–समय पर कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं।

(2) समिति के सदस्यों में मतभेद होने की दशा में, बहुमत का विनिश्चय अविभावी होगा।

(3) अनुशासनिक समिति का विनिश्चय या उसकी रिपोर्ट यथाशीघ्र कार्य परिषद् के समक्ष रखी जायेगी जिससे कार्य परिषद् मामले में अपना विनिश्चय कर सके।

विभागीय समितियाँ

धारा 49

8.03 परिनियम 2.19 के अधीन नियुक्त विभागाध्यक्ष की सहायता के लिए विश्वविद्यालय में, प्रत्येक अध्यापन विभाग में, एक विभागीय समिति होगी।

धारा 49

8.04 विभागीय समिति में निम्नलिखित होंगे –

(I) विभागाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा।

(II) विभाग के समस्त आचार्य, और यदि कोई आचार्य न हो तो विभाग के समस्त उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर)।

(III) यदि किसी विभाग में आचार्य तथा उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) भी हों तो ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से तीन वर्ष की अवधि के लिए दो उपाचार्य।

(IV) यदि किसी विभाग में उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) तथा प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) भी हों तो एक प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर), और यदि किसी विभाग में कोई उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) न हो तो ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से दो प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) तीन वर्ष की अवधि के लिए :

परन्तु किसी विषय या विद्या विशेष से विशेषतः सम्बद्ध किसी मामले के लिए उस विषय या विद्या विशेष का ज्येष्ठतम् अध्यापक यदि उसे पूर्ववर्ती शीर्षकों में पहले ही सम्मिलित न किया गया हो, उस मामले के लिए विशेषतः आमन्त्रित किया जाएगा।

(V) राजकीय एवं अनुदानित स्नातकोत्तर महाविद्यालय का एक प्राचार्य जो उस विभाग में आने वाले विषय से सम्बन्धित है, चक्रानुक्रम से वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष के लिए

(VI) राजकीय एवं अनुदानित सम्बद्ध महाविद्यालय के दो उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) तथा दो प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) चक्रानुक्रम से वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष के लिए

धारा 49

8.05 विभागीय समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे –

(I) विभाग के अध्यापकों में अध्यापन कार्य के वितरण के सम्बन्ध में सिफारिश करना,

(II) विभाग में अनुसंधान कार्य और अन्य कार्यों के समन्वय के सम्बन्ध में सुझाव देना,

(III) विभाग में ऐसे कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में जिसके लिए विभागाध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी हो, सिफारिश करना एवं नवाचार

(IV) विभाग के सामान्य और विद्या विषयक रूचि के मामलों पर विचार करना।

(V) छात्रों से प्राप्त फीडबैक की विश्लेषण एवं अध्यापन की गुणवक्ता का आकलन करना।

धारा 49

8.06 समिति का अधिवेशन एक तिमाही में कम से कम एक बार होगा। अधिवेशन के कार्यवृत्त संकायाध्यक्ष के माध्यम से कुलपति को प्रस्तुत किया जायेगा।

अध्ययन समिति

8.07– (1) अध्ययन समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगाः–

(i) विश्वविद्यालय के सम्बन्धित अध्ययन विभाग का विभागाध्यक्ष	संयोजक
(ii) संकाय का संकायाध्यक्ष	पदेन सदस्य
(iii)	विभाग के समस्त आचार्य सदस्य
(iv)विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग के दो उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) तथा दो प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) (चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष हेतु)	सदस्य
(v) राजकीय एवं अनुदानित स्नातकोत्तर महाविद्यालय का एक प्राचार्य जो विभाग के सम्बन्धित विषय से सम्बन्धित है। (चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष हेतु)	सदस्य

(vi)राजकीय एवं अनुदानित सम्बद्ध महाविद्यालयों के दो उपाचार्य(एसोसिएट प्रोफेसर)

तथा दो प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) सदस्य

(चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष हेतु)

(vii) सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा नामित दो वाह्य सदस्य तीन वर्ष के (तीन अकादमीक सत्र हेतु) लिए सदस्य। दो वाह्य सदस्यों में से एक सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(2) इस समिति का मुख्य कार्य अपने विषय का पाठ्यक्रम बनाना, आवश्यकतानुसार संशोधन की संस्तुति करना, परीक्षाओं के प्राश्निक और परीक्षकों की नामिका तैयार करना होगा।

(3) जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया की किसी परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम और पुस्तकों में सामान्यतया तीन वर्ष से पूर्व परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(4) अध्ययन समिति की बैठक संयोजक बुलायेगा और उसकी कार्यवाही को लिपिबद्ध करके समबन्धित संकायाध्यक्ष को भेजेगा, परन्तु परीक्षकों की नामिका बैठक के तत्काल बाद लिफाफे में कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक को प्रेषित की जायेगी।

स्पष्टीकरण:– विश्वविद्यालय परिसर में चल रहें विषयों/पाठ्यक्रमों के संयोजक विश्वविद्यालय अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष होंगे। जिन विषयों का पठन–पाठन परिसर में स्थायी रूप से अध्यापकों द्वारा नहीं किया जा रहा है और वे विषय सम्बन्धित महाविद्यालयों में विनियमितीकरण के आधार पर स्थायी अध्यापकों द्वारा किया जाता है उस विषय का संयोजक चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार एक वर्ष हेतु राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर)/प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) होंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में अध्ययन समिति की बैठक सम्बन्धित संकायाध्यक्ष की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय परिसर में आहूत की जायेगी तथा आवश्यक अभिलेख आदि विश्वविद्यालय में रखे जायेंगे।

शोध उपाधि समिति

8.08 – शोध उपाधि समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से होगा:–

(1)	कुलपति	– अध्यक्ष
(2)	प्रतिकुलपति (यदि कोई हो तो)	– पदेन सदस्य
(3)	संकाय का संकायाध्यक्ष	– पदेन सदस्य
(4)	विभाग का विभागाध्यक्ष	– संयोजक सदस्य
(5)	विभाग के समस्त आचार्य	– सदस्य
(6)	विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग का एक उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) (चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष हेतु)	– सदस्य
(7)	विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग का एक प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) (चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष हेतु)	– सदस्य
(8)	राजकीय एवं अनुदानित स्नातकोत्तर महाविद्यालय का एक प्राचार्य जो उस विषय से सम्बन्धित हो	– सदस्य

(9) राजकीय एवं अनुदानित सम्बद्ध महाविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग का एक उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) (चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष हेतु) – सदस्य

(10) राजकीय एवं अनुदानित सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग का एक प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) (चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष हेतु) – सदस्य

(11) कुलपति जी द्वारा नामित दो वाह्य विषय विशेषज्ञ दो वर्ष के कार्यकाल हेतु – सदस्य

नोटः– कुलपति जी की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता प्रतिकुलपति द्वारा की जायेगी। प्रतिकुलपति की अनुपस्थिति में सम्बन्धित संकाय का संकायाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा।

बैठक में एक वाह्य विशेषज्ञ की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

स्पष्टीकरण:– विश्वविद्यालय परिसर में चल रहें विषयों/पाठ्यक्रमों के संयोजक विश्वविद्यालय अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष होंगे। जिन विषयों का पठन–पाठन परिसर में स्थायी रूप से अध्यापकों द्वारा नहीं किया जा रहा है और वे विषय सम्बन्धित महाविद्यालयों में विनियमितीकरण के आधार पर स्थायी अध्यापकों द्वारा किया जाता है उस विषय का संयोजक चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार एक वर्ष हेतु राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर)/प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) होंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में अध्ययन समिति की बैठक सम्बन्धित संकायाध्यक्ष की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय परिसर में आहूत की जायेगी तथा आवश्यक अभिलेख आदि विश्वविद्यालय में रखे जायेंगे।

अकादमिक सह प्रशासनिक समितियाँ

1. प्रवेश समिति

धारा 28 (1)

8.09– प्रवेश समिति का गठन अधोलिखित प्रकार से होगाः–

(1) कुलपति – अध्यक्ष

(2) प्रति कुलपति (यदि कोई हो) – सदस्य

(3) समस्त संकायाध्यक्ष – सदस्य

(4) समस्त विभागाध्यक्ष – सदस्य

(5) विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग के दो उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) ज्येष्ठताक्रम में (1वर्ष के लिए) – सदस्य

(6) विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग के दो प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) ज्येष्ठताक्रम से चक्रानुक्रम मे (1 वर्ष के लिए) – सदस्य

(7) विश्वविद्यालय अध्ययन विभाग की एक महिला अध्यापक (1 वर्ष के लिए) – सदस्य

(8) विश्वविद्यालय अध्ययन विभाग का अनुसूचित जाति का एक अध्यापक

(1वर्ष के लिए) सदस्य

(9) विश्वविद्यालय विभाग के अन्य पिछड़ा वर्ग का एक अध्यापक (1 वर्ष के लिए) सदस्य

(10) मुख्य गृहपति सदस्य

(11) कुलानुशासक सदस्य

(12) राजकीय एवं अनुदानित सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के दो स्थायी प्राचार्य चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष हेतु सदस्य

(13) राजकीय एवं अनुदानित सम्बद्ध स्नातक महाविद्यालयों के दो स्थायी प्राचार्य चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष हेतु सदस्य

(14) कुलसचिव सचिव

नोट :– कुलपति की अनुपस्थिति में प्रतिकुलपति और दोनों की अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम आचार्य समिति की अध्यक्षता करेंगे।

2. समकक्षता समिति

धारा 51 (1)

8.10– जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया में प्रवेश हेतु विभिन्न बोर्डों एवं विश्वविद्यालयों की परीक्षा को पारस्परिकता के आधार पर मान्यता प्रदान करने हेतु एक समकक्षता समिति होगी जो अपनी संस्तुतियां विद्या परिषद् को प्रेषित करेगी। समकक्षता समिति का गठन अधोलिखित प्रकार से होगा

(1) कुलपति अध्यक्ष

(2) प्रतिकुलपति (यदि कोई हो) सदस्य

(3) विद्या परिषद् द्वारा नामित संकायाध्यक्ष (जिनका कार्यकाल 1वर्ष का होगा) सदस्य

(4) सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के एक स्थायी प्राचार्य चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष कार्यकाल हेतु सदस्य

(5) विचारणीय उपाधि से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष सदस्य

(6) कुलसचिव सचिव

नोट :–कुलपति की अनुपस्थिति में प्रति कुलपति तथा दोनों की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम संकायाध्यक्ष समिति की अध्यक्षता करेंगे।

3. परीक्षा समिति

धारा 29 तथा 49 (क)

8.11 – परीक्षा समिति, धारा 29 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों या उप समिति की सिफारिश पर किसी परीक्षार्थी को किसी भावी परीक्षा या परीक्षाओं में बैठने से वंचित कर सकती है, यदि समिति की राय में ऐसा परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में दुर्व्यवहार या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का दोषी हो।

परीक्षा समिति का गठन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा।

(1)	कुलपति	अध्यक्ष
(2)	प्रतिकुलपति (यदि कोई हो)	सदस्य
(3)	संकायों के समस्त संकायाध्यक्ष	सदस्य
(4)	कार्य परिषद् के प्रतिनिधि के रूप में एक अध्यापक	सदस्य
(5)	विद्वत परिषद के प्रतिनिधि के रूप में एक अध्यापक जो विद्धत परिषद् का सदस्य न हो	सदस्य
(6)	राजकीय एवं अनुदानित सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के एक प्राचार्य जिसकी नियुक्ति स्थायी प्रकृति की हो चक्रानुक्रम से वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष के लिए	सदस्य
(7)	राजकीय एवं अनुदानित सम्बद्ध स्नातक महाविद्यालयों के एक प्राचार्य जिसकी नियुक्ति स्थायी प्रकृति की हो चक्रानुक्रम से वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष के लिए	सदस्य
(8)	विभाग का विभागाध्यक्ष जिस विषय के सम्बन्ध में परीक्षा समिति विचार करने जा रही हो।	आमन्त्रित–सदस्य
(9)	कुलसचिव	सदस्य
(10)	परीक्षा नियन्त्रक	सदस्य–सचिव

अध्याय – 9

प्रशासनिक परिषदें

1. छात्र कल्याण परिषद्

धारा 49 तथा 51

9.01(1)– छात्र कल्याण बोर्ड का गठन अधोलिखित प्रकार से होगाः–

1.	कुलपति	अध्यक्ष
2.	संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण	सचिव
3.	सभी संकायाध्यक्ष	सदस्य
4.	कुलानुशासक	सदस्य
5.	पुस्तकालयाध्यक्ष	सदस्य
6.	मुख्य गृहपति–विश्वविद्यालय छात्रावास	सदस्य
7.	कुलपति द्वारा मनोनीत एक महिला स्थायी अध्यापक जिसे कम से कम 5वर्ष के अध्यापन कार्य का अनुभव हो (अधिकतम तीन वर्ष के लिए)	सदस्य

8. कुलपति द्वारा मनोनीत कार्य परिषद् का एक सदस्य जो अध्यापक न हो (अधिकतम तीन वर्ष के लिए) — सदस्य
9. कुलपति द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्येक वर्ग से एक–एक अध्यापक — सदस्य
10. राजकीय एवं अनुदानित सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के दो स्थायी प्राचार्य तथा सम्बद्ध स्नातक महाविद्यालयों के दो स्थायी प्राचार्य चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष के लिए — सदस्य
11. विश्वविद्यालय सेवायोजना केन्द्र का प्रमुख — सदस्य
12. पिछले सत्र का स्वर्ण पदक प्राप्त एक छात्र जो वर्तमान सत्र में अध्ययन कर रहा हो (1वर्ष के लिए) — सदस्य
13. पिछले सत्र की स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षा भाग एक में सर्वोच्च अंक प्राप्त एक–एक छात्र (प्रत्येक संकाय से) (1वर्ष के लिए) — सदस्य
14. वित्त अधिकारी — सदस्य
15. कुलसचिव — सदस्य– सचिव

9.01 (2) बोर्ड की शक्ति तथा कार्य

1. सेवायोजन के क्रियाकलापों को गतिशील बनाना।
2. छात्रों को रोजगार की रिक्तियों की सूचना देना।
3. बेरोजगार शिक्षित छात्रों के लिए ब्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करना तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना।
4. बेरोजगार छात्रों (शोध छात्र सहित) की अद्यावधि सूची रखना।
5. बुक बैंक से पाठ्यक्रम की पुस्तकों को निर्बल वर्ग के छात्रों में वितरित कराने की व्यवस्था करना।
6. रोजगार से सम्बन्धित पत्र–पत्रिकाओं को छात्रों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराना।
7. छात्रों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में उचित व्यवस्था करना।

अन्य छात्रोपयोगी कृत्य जो समय–समय पर कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किये जायें।

2. क्रीड़ा परिषद

9.02 (1) क्रीड़ा परिषद का गठन निम्नलिखित प्रकार से होगा :–

1. कुलपति — अध्यक्ष

2. कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय का एक आचार्य एक वर्ष के लिए उपाध्यक्ष
3. संकायों का एक संकायाध्यक्ष चक्रानुक्रम में एक वर्ष के लिए — सदस्य
4. राजकीय एवं अनुदानित सम्बद्ध महाविद्यालयों के शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रभारी — पदेन सदस्य
5. राजकीय एवं अनुदानित स्नातकोत्तर महाविद्यालय का एक प्राचार्य चक्रानुक्रम में एक वर्ष हेतु — सदस्य
6. राजकीय एवं अनुदानित स्नातक महाविद्यालय का एक प्राचार्य चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष हेतु — सदस्य
7. कुलपति द्वारा नामित एक महिला अध्यापक एक वर्ष के लिए — सदस्य
8. कुलपति द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग का एक–एक अध्यापक एक वर्ष के लिए — सदस्य
9. कुलपति द्वारा नामित एक प्रख्यात खिलाड़ी एक वर्ष के लिए — सदस्य
10. राजकीय एवं अनुदानित सम्बद्ध महाविद्यालयों के शारीरिक शिक्षा विभाग के एक उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) तथा एक प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष के लिए — सदस्य
11. वित्त अधिकारी — सदस्य
12. कुलसचिव — सदस्य
13. कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग का एक अध्यापक एक वर्ष के लिए — सदस्य–सचिव

3. नियोजन परिषद्

9.03–(1) नियोजन परिषद् का गठन निम्नलिखित प्रकार से होगा :–

1. कुलपति — अध्यक्ष
2. प्रति कुलपति (यदि कोई हो) — सदस्य
3. वित्त अधिकारी — सदस्य
4. विश्वविद्यालय के सहायक अभियन्ता — सदस्य
5. प्रभारी यू0जी0सी0यूनिट — सदस्य
6. वरिष्ठता क्रम से चक्रानुक्रम में संकायों का एक संकायाध्यक्ष — सदस्य

एक वर्ष के लिए

7. राजकीय एवं अनुदानित स्नातकोत्तर महाविद्यालय का एक प्राचार्य सदस्य
   चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष हेतु
8. कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग का एक सदस्य आचार्य एक वर्ष के लिए
9. कुलपति द्वारा नामित एक प्रख्यात शिक्षाविद् तीन वर्ष के लिए सदस्य
10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य से एक प्रत्येक संवर्ग में से एक अध्यापक वरिष्ठता में चक्रानुक्रम वर्ष के लिए
11. कुलसचिव सदस्य–सचिव

9.03–(2) परिषद् का कार्य निम्नलिखित होगाः–

1. विश्वविद्यालय के भावी विकास के लिए योजना तैयार करना।
2. विश्वविद्यालय के अकादमिक विकास की प्रक्रिया का निरूपण करना।
3. राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं अन्य राष्ट्रीय स्तरीय नियमन सम्बन्धी संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना।
4. समय–समय पर कार्य परिषद् द्वारा स्वीकृत योजनाओं को क्रियान्वित करना।
5. विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्देशन के अनुरूप अन्य अकादमिक एवं वित्तीय योजनाओं को लागू करना।

अध्याय – 10

अध्यापकों का वर्गीकरण, अर्हताएँ और नियुक्तियाँ सेवाशर्तें तथा छुट्टियाँ

भाग–1

अध्यापकों का वर्गीकरण

धारा 31 तथा 49 (घ)

10.01 (1)– विश्वविद्यालय के अध्यापकों के निम्नलिखित वर्ग होंगे :–

(1) आचार्य (प्रोफेसर)

(2) उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर)

(3) प्राध्यापक (असिस्टेन्ट प्रोफेसर)

धारा 31 तथा 49 (घ)

10.01 (2)– विश्वविद्यालय के अध्यापक विषयों के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान में पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किये जायेंगे :

धारा 31 तथा 49 (घ)

10.01 (3)– कार्य परिषद्, विद्या परिषद् की सिफारिशों पर, निम्नलिखित को नियुक्त कर सकती है :–

(1) इस निमित्त अध्यादेशों के अनुसार विशिष्ट शर्तों पर शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट योग्यता के आचार्य।

(2) अवैतनिक सेवा मुक्त आचार्य–

(क) जो विशिष्ट विषयों पर व्याख्यान देंगे;

(ख) जो अनुसंधान–कार्य का मार्ग–दर्शन करेंगे;

(ग) जो सम्बद्ध संकाय बोर्ड के अधिवेशनों में उपस्थित होने तथा उसके विचार–विमर्श में भाग लेने के हकदार होंगे किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा;

(घ) जिन्हें, यथासम्भव, विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं में अध्ययन तथा अनुसंधान–कार्य करने की सुविधायें प्रदान की जायेंगी; और

(ड.) जो समस्त दीक्षान्त समारोह में उपस्थित होने के हकदार होंगे;

परन्तु कोई व्यक्ति केवल विभाग में अवैतनिक सेवामुक्त आचार्य के रूप में आचार्य का पद धारण करने के आधार पर विश्वविद्यालय में या उसके किसी प्राधिकारी या निकाय में कोई पद धारण करने का पात्र नहीं होगा।

धारा 21 (1) (xvii), 31 तथा 49 (ण)

10.01 (4)– शिक्षक अथवा अध्यापन अनुसंधान सहायक ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर जिनकी अध्यादेशों में व्यवस्था की गयी हो, कार्य परिषद द्वारा नियुक्त किये जा सकते हैं।

भाग – 2

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अर्हताएं और नियुक्ति

धारा 49

10.02–(i)(क) शिक्षण प्रशिक्षण (प्राध्यापक/असिस्टेन्ट प्रोफेसर, बी0एड0/एम0एड0) की शाखा को छोड़कर अन्य ज्ञान की शाखाओं में प्राध्यापक/असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद हेतु न्यूनतम अर्हता निम्नवत् होगी :–

उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम् 55 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा उसके समतुल्य सात सूत्रीय वर्गमाप में बी0ग्रेड के साथ राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अथवा उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (स्लेट) उत्तीर्ण।

(ख) शिक्षण प्रशिक्षण (बी0एड0,एम0एड0) पाठ्यक्रमों में प्राध्यापक (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) हेतु न्यूनतम् अर्हता निम्नवत् होंगी :–

(i) उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ शिक्षा/एम0एड0 में न्यूनतम् 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समतुल्य सात सूत्रीय वर्गमाप में बी0ग्रेड।

(ii) किसी स्कूल विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।

(iii) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अथवा उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण।

(ग) विश्वविद्यालय में प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) खेलकूद/प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) शारीरिक शिक्षा के पद हेतु न्यूनतम् अर्हता निम्नवत् होगी :–

उत्तम शैक्षिक अभिलेखों के साथ शारीरिक विज्ञान त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम अथवा खेलकूद में स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम् 55 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा यू0जी0सी0 के सात सूत्रीय वर्गमाप में बी0ग्रेड।

अर्न्तविश्वविद्यालयी/अर्न्तमहाविद्यालयी क्रीड़ा तथा खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने अथवा राष्ट्रीय क्रीड़ा तथा खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं में राज्य का प्रतिनिधित्व करने का प्रमाण पत्र।

शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अथवा उत्तर प्रदेश समतुल्य राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

नोट :– उपर्युक्त क, ख तथा ग श्रेणी में प्राध्यापक (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) या राज्य पात्रता परीक्षा (स्लेट) उत्तीर्ण होना अनिवार्य अर्हता होगी। परन्तु यदि कोई अभ्यर्थी सम्बन्धित विषय में डाक्टर ऑफ फिलासफी की उपाधि धारित करता हो तो उसे नेट या स्लेट परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा।

स्नातक स्तर पर अध्यापन के लिए सम्बन्धित विषय में मास्टर ऑफ फिलासफी उपाधि धारित करने वाले अभ्यर्थी भी अर्ह होंगे तथा इनके लिए नेट या स्लेट परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य नही होगा।

यह भी कि ''ऐसे अभ्यर्थी जो पी–एच0डी0 उपाधि धारी हों तथा वर्ष 1991 के पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त किये हों तथा विश्वविद्यालय की व्यवस्था में पूर्व से सम्मिलित, कार्यरत हों, को प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) एवं असिस्टेन्ट लाइब्रेरियन के पद पर नियुक्ति हेतु 5 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुए अर्हता अंक 55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत होगी।

<u>उत्तम शैक्षिक अभिलेख</u>

''सुसंगत स्नातक उपाधि में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक परन्तु नेट/स्लेट एवं उनके समकक्ष पी–एच0डी0 उपाधि धारक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत की छूट''

आचार्य सीधी भर्ती

10.02 (ii) ऐसा प्रख्यात विद्वान जिसकी प्रख्यापित रचना उच्च कोटि की हो और विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में अनुसंधान कार्य में सक्रिय रूप से लगे हों तथा जिसे परास्नातक कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव तथा अनुसंधान के कार्य के मार्गदर्शन का अनुभव भी शामिल हो;

या

विषय का ख्यातिलब्ध मूर्धन्य विद्वान जिसने ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया हो।

उपाचार्य सीधी भर्ती

10.02 (iii) उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ डाक्टरेट की उपाधि या सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा सात सूत्रीय वर्ग माप में बी0ग्रेड।

विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में शिक्षण का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव तथा शोध के अनुभव के साथ ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि जो अभ्यर्थी द्वारा प्रकाशित रचना, शैक्षिक क्षेत्र में अभिनवीकरण, नवीन पाठ्यक्रमों की रूपरेखा में किये गये योगदान, इस हेतु किये गये योगदान अथवा नवीन पाठ्यक्रमों, की रूपरेखा में किये गये योगदान से प्रमाणित हो।

यह भी कि वर्तमान में जो अभ्यर्थी पूर्व से यूनिवर्सिटी सिस्टम में उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर), प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) पदों पर नियमित रूप से चयनित एवं कार्यरत हैं, के लिए सीधी भर्ती के उपाचार्य एवं आचार्य पदों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर 55% की अनिवार्यता नहीं होगी।

10.02 (iv) चिकित्सा विज्ञान संकाय के अध्यापकों की अर्हतायें वही होंगी जो कि किंग जार्ज मेडिकल लखनऊ के अध्यापकों को अनुमन्य है।

(क) पुस्तकालयाध्यक्ष विश्वविद्यालय

10.02 (v) उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ पुस्तकालयी विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाकूमेन्टेशन पाठ्यक्रम में स्नातक स्तर पर न्यूनतम 55% प्राप्तांक अथवा समतुल्य परीक्षा में सात सूत्रीय वर्ग माप में बी0ग्रेड।

विश्वविद्यालय पुस्तकालय में उपपुस्तकालयाध्यक्ष पद पर न्यूनतम 13 वर्ष के कार्य का अनुभव अथवा महाविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर न्यूनतम 18 वर्ष के कार्य का अनुभव।

पुस्तकालयी सेवा में अविनवीकरण तथा प्रकाशित रचना को संगठित करने का प्रमाण।

वांछित अर्हता –

पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान डाकूमेन्टेशन संग्रहालय तथा हस्तलेखों के रख–रखाव में एम0फिल0 अथवा पी–एच0डी0 उपाधि।

(ख) उपपुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) अनिवार्य अर्हता

10.02 (v) (अ) उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाकूमेन्ट्री में स्नातक स्तर पर न्यूनतम 55% अंक अथवा समतुल्य उपाधि में यू0जी0सी0 के सात सूत्रीय वर्ग माप में बी0ग्रेड।

(ब) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) या पुस्तकालयाध्यक्ष (महाविद्यालय) के पद पर 5 वर्ष के कार्य का अनुभव।

(स) पुस्तकालय सेवा में अभिनवीकरण का प्रमाण, प्रकाशित रचनाओं और ब्यावसायिक प्रतिबद्धता, पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण का प्रमाण।

वांछित–पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाकूमेन्टेशन/संग्रहालय तथा हस्तलेखों के रख रखाव, पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण में एम0फिल0 अथवा पी0एच0डी0 की उपाधि।

नोट– पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) के पदों के लिए उत्तम शैक्षिक अभिलेख वही होगा, जो कि प्रवक्ता पद हेतु निर्धारित है।

यह भी कि वर्तमान में जो अभ्यर्थी पूर्व में यूनिवर्सिटी सिस्टम में पुस्तकालयाध्यक्ष तथा उप पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर नियमित रूप से चयनित एवं कार्यरत हैं, के लिए सीधी भर्ती के पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) पदों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर 55 प्रतिशत की अनिवार्यता नहीं होगी।

(ग) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय)

10.02 (v) अनिवार्य उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/ डाकूमेन्टेशन अथवा समतुल्य व्यावसायिक उपाधि में न्यूनतम 55% प्राप्तांक अथवा यू0जी0सी0 के सात सूत्रीय वर्ग माप में बी0ग्रेड अथवा पुस्तकालय के कम्प्यूटराईजेशन का ज्ञान।

सुसंगत पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाकूमेन्टेशन में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) या राज्य पात्रता परीक्षा (स्लेट) उत्तीर्ण होना अनिवार्य अर्हता होगी परन्तु कोई अभ्यर्थी सम्बन्धित विषय में डॉक्टर ऑफ फिलासफी की उपाधि धारित करता है तो उसे नेट या स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा।

यह भी कि ऐसे अभ्यर्थी जो पी–एच0डी0 उपाधि धारी हों तथा वर्ष 1991 के पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त किये हों तथा विश्वविद्यालय की व्यवस्था में पूर्व से सम्मिलित हों, को सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु 5 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुए अर्हता अंक 55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत होगी।

नोट :– उपर्युक्त सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों के लिए उत्तम शैक्षिक अभिलेख वही होगा जो प्राध्यापक (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) पद हेतु वर्तमान में निर्धारित है।

10.02 (v)(घ) विश्वविद्यालय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक शारीरिक शिक्षा की भाँति विश्वविद्यालय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/उप पुस्तकालयाध्यक्ष/ पुस्तकालयाध्यक्ष की अधिवर्षिता आयु आदेश जारी होने की तिथि 13 मई, 2009 से 62 वर्ष होगी। राजकीय महाविद्यालय में शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष दोनों की अधिवर्षिता आयु पूर्व से ही 60 वर्ष है।

10.02 (v)(ड.) Career Advancement Scheme for Assistant Librarian/College Librarians.

(i) Every Assistant Librarian in a University and a Librarian in a college, who is in the scale of pay of Rs.8000-275-13500 will be eligible for placement in a Senior Scale of Rs.10000-325-15200 if he/she has:

(a) Completed 6 years of service as University Assistant Librarian/College Librarian after regular appointment;

(b) Participated in two refresher courses/summer institutes, each of not less than four weeks duration or engaged in other appropriate continuing education programme of comparable quality, as may be specified by the UGC, and consistently satisfactory performance appraisal reports.

(ii) Every Assistant Librarian in the universities who has been placed in the Senior Scale will be eligible for promotion to the post of Deputy Librarian in the scale of pay of Rs.12000-420-18300 if he/she has:

(a) Completed 5 years of service in the Senior Scale provided that the requirement of 5 years will be relaxed if his/her total service is not less than 11 years;

(b) Obtained a Ph.D. degree or has an equivalent published work;

(c) Made significant contribution to the development of Library service in the University as evident from self-assessment, reports of referees, professional improvement in the Library services, etc; as the case may be;

(d) Participated in two refresher courses/summer institutes, each of not less than four weeks duration or engaged in other appropriate continuing education programme of comparable quality, as may be specified by the UGC after placement in the Senior Scale; and

(e) Consistently satisfactory performance appraisal reports.

(iii) Promotion to the post of Deputy Librarian will be through a process of selection by a Selection Committee as in the case of promotion to the post of Readers. Posts of Deputy Librarians will be created for this purpose by upgrading the post of Assistant Librarian (Senior Scale).

(iv) Those Assistant Librarians in the universities in the Senior Scale who do not have Ph.D. degree or equivalent published work, but fulfill the other criteria, mentioned in para (ii) above, will be placed in the grade of Rs.12000-420-18300, subject to the recommendations of the Committee. They will be designated as Assistant Librarian in the Selection Grade.

(v) The College Librarians who have been placed in the Senior Scale will also be eligible for placement in the Selection Grade of Rs.12000-420-18300 if they fulfill the criteria prescribed for University Assistant Librarians (Senior Scale) as contained in paras (ii) & (iii) or (iv) above.

(vi) The Deputy Librarian/Assistant Librarian (Selection Grade)/College Librarian (Selection Grade with 5 years as on 1/1/1996 shall be eligible

for placement at the minimum of Rs.14940/- as done in the case of Readers.

Age of Superannuation: It has been decided that the age of superannuation for Assistant Librarians/College Librarians and Assistant Directors of Physical Education/College Directors of Physical Education would henceforth be 62 years.

धारा 49

10.02 (vi)– परिनियम 1.02 के खण्ड (2) में निर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली (अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु, वेतनमान और अर्हताएँ), 1975 के आधार पर, जैसा कि वह अधिसूचना संख्या–7259/15–10–75–60 (115)–73, दिनांक–1अगस्त, 1975 और 20अक्टूबर, 1975 के बीच किये गये किसी अध्यापक के चयन पर इस परिनियमावली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

धारा 31 तथा 49 (घ)

10.02 (vii)– धारा 31(10) में निर्दिष्ट रिक्ति का विज्ञापन सामान्यतया अभ्यर्थियों को रिक्ति के लिए आवेदन पत्र देने हेतु कम से कम तीन सप्ताह का समय उस दिनांक से देगा जिस दिनांक को समाचार पत्र का अंक निकाला गया जिसमें विज्ञापन छपा है।

धारा 31 (9) तथा 49 (घ)

10.02(viii)– (1) विश्वविद्यालय में अध्यापकों तथा पुस्तकाध्यक्ष, उपपुस्तकाध्यक्ष एवं सहायक पुस्तकाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए चयन समिति का अधिवेशन कुलपति के आदेश से बुलाया जायगा।

(2) चयन समिति विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति के नाम पर विचार नहीं करेगी जब तक कि उसने इसके लिए आवेदन–पत्र न दिया हो;

परन्तु किसी आचार्य की नियुक्ति की दशा में, समिति कुलपति के अनुमोदन से उन व्यक्तियों के, जिन्होंने आवेदन–पत्र न दिये हो, नाम पर विचार कर सकती है।

(3) चयन समिति का कोई सदस्य, यथास्थिति, समिति या कार्य परिषद् के अधिवेशन से बाहर चला जाएगा, यदि ऐसे अधिवेशन में ऐसे सदस्य के किसी नातेदार की (जैसा कि धारा 20 के स्पष्टीकरण में परिभाषित है) नियुक्ति के प्रश्न पर विचार किया जा रहा हो या विचार किया जाना सम्भाव्य हो।

धारा 30 तथा 31

10.02(ix)– (1) यदि चयन समिति नियुक्ति के लिए एक से अधिक अभ्यर्थी के नाम की सिफारिश करे तो वह स्वविवेकानुसार उनके नाम अधिमान क्रम में रख सकती है जहाँ समिति अभ्यर्थियों के नाम अधिमान–क्रम में रखने का विनिश्चय करे वहाँ यह समझा जायेगा कि उसने यह इंगित कर दिया है कि प्रथम अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में, द्वितीय अभ्यर्थी नियुक्त किया जा सकता है और द्वितीय अभ्यर्थी के भी उपलब्ध न होने की दशा में, तृतीय अभ्यर्थी नियुक्त किया जा सकता है और यही क्रम आगे भी चलेगा।

(2) चयन–समिति यह सिफारिश कर सकती है कि कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है, ऐसी दशा में पद का विज्ञापन पुनः किया जायेगा।

धारा 49 (ख)

10.02(x)–चयन समिति की सिफारिशें तथा उनसे सम्बन्धित कार्य परिषद् की कार्यवाहियाँ अत्यन्त गोपनीय मानी जायेंगी।

धारा 21 (1) (xvii), 31 तथा 49 (घ)

10.02(xi)– यदि धारा 31 (2) के अधीन नियुक्ति अध्यापक का कार्य तथा आचरण :–

संतोषजनक समझा जाये तो कार्य परिषद परिवीक्षा अवधि के(जिसके अन्तर्गत बढ़ायी गयी अविध, यदि कोई हो, भी है) अन्त में अध्यापक को स्थायी कर सकती है। संतोषजनक न समझा जाये तो कार्य–परिषद परिवीक्षा अवधि के (जिसके अन्तर्गत बढ़ायी गयी अवधि, यदि कोई हो, भी है) दौरान अथवा उसकी समाप्ति पर अध्यापक की सेवायें धारा 31 के उपबन्धों के अनुसार समाप्त कर सकती है।

धारा 30 तथा 49 (घ)

10.02(xii)– चयन समिति का अधिवेशन विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर होगा।

धारा 31(9) तथा 49 (घ)

10.02(xiii)– चयन समिति के सदस्यों को अधिवेशन की सूचना, जो पन्द्रह दिन से कम की नहीं होगी, दी जायेगी और उसकी गणना सूचना भेजे जाने के दिनांक से की जायेगी, नोटिस की तामीली या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा की जायेगी।

धारा 31 तथा 49 (घ)

10.02(xiv)– अभ्यर्थियों को चयन समिति का अधिवेशन होने के पूर्व कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और उसकी गणना सूचना भेजे जाने के दिनांक से की जायेगी। सूचना की तामीली या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा की जायगी।

धारा 31 तथा 49 (ख)

10.02(xv)– चयन समिति के सदस्यों को यात्रा तथा दैनिक भत्ता विश्वविद्यालय द्वारा अध्यादेशों में विहित दरों पर दिया जायेगा।

10.02(xvi)– अत्यधिक विशेष परिस्थितयों में और चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद ऐसे अध्यापकों को जो असाधारण रूप से उच्च शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों, प्रारम्भिक नियुक्ति के समय पाँच तक अग्रिम वेतन वृद्धि दे सकती है। यदि किसी मामले में, पाँच से अधिक अग्रिम–वेतन वृद्धि देना आवश्यक हो तो नियुक्ति करने के पूर्व राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

भाग–3 प्रोन्नति

10.03 (क) वैयक्तिक प्रोन्नति योजना

परिशिष्ट–**''ख''** पर अवलोकनीय है।

कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम

10.03(ख) This Career Advancement Scheme applies to the University and Associated/Affiiated colleges. It shall come in to force form July 27, 1998. Teachers who have become eligible for Senior Scale/Selection Grade/Reader (Promotion)/Professor (Promotion) under the Career Advancement Scheme in force prior to July 27, 1998, shall be covered by the provisions of Govt. order 9/GI/14-11-88-14(5)/87 dated 7th of January, 1989 and Statutes made earlier in this behalf and Govt. order 1309/15-11-90-32/89 dated March 17, 1990.

With effect from 27th of July, 1998 teachers shall have the opportunities for Career Advancement Scheme (Promotion) as given hereafter:

(1) A lecturer in University or in an affiliated/ associated college will be eligible for placement in Senior Scale. A lecturer (Senior Scale) may move into the grade of the Lecturer (Selection Grade) or Reader. Minimum length of service for eligibility to move into the grade of lecturer (Senior Scale would be four years for those with Ph.D. degree, five years for those with M. Phil. Degree, Six years for others. at the level of lecturer and for eligibility to move into the Grade of Lecturer (Selection Grade)/ Reader, the minimum length of service as Lecturer (Senior Scale) shall be uniformly five years.

(2) For promotion to the posts of Reader and Professors the minimum eligibility criterion would be Ph. D. or equivalent published work.

(3) Only a Reader in the University with a minimum of eight years of service in that grade will be eligible to be considered for appointment as a Professor. Reader in degree and Post Graduate colleges will not be eligible for the Post of Professor under career. Advancement Scheme in the college.

(4) In the case of University, Selection Committee for Lecturer (Selection Grade), Reader and Professor shall be constituted under clause (a) of subsection 4 of section – 31 of the U.P. State Universities Act. 1973.

(5) **SENIOR SCALE: CONSTITUTION OF SCREENING COMMITTEE:**

Placement in Senior Scale will be through a process of screening Committee to be constituted as under:-

(A) In the case of University the Screening Committee shall consist of

I.	Vice-Chancellor	Chairman
II.	Dean of Faculty concerned	Member
III.	Two experts of the subject to be nominated by the Chancellor	Member
VI.	Head of Department concerned	Member
(B) In the case of affiliated/associated colleges (other than college maintained exclusively by the State Government), the Screening Committee shall consist of :		
I.	Director of Higher Education or his nominee not below the rank of the Principal of Govt. Degree/Post-graduate college.	Chairman
II.	Two experts of the subject to be nominated by the Vice-Chancellor amongst whom one shall be from the University and One from the Associated/Affiliated College.	Member
III.	Head of the Management or a member of the management nominated by him	Member
IV.	Principal of the College	Member-Convener
(C) In the case of colleges maintained exclusively by the State Govt. the Screening Committee shall consist of:		
I.	Director of Higher Education	Chairman
II.	Two experts of the subject to be nominated by the Vice-Chancellor among whom one shall be from the University and one from the Govt. College	Member
III.	One nominee of Director of Higher Education (not below the rank of Principal of a Degree or Post Graduate College).	Member
IV.	Principle of the College	Member

(6) LECTURER (SENIOR SCALE)

A Lecturer will be eligible for placement in a senior scale though the procedure of selection, if she /he has

(i) Completed 6 years of service after regular appointment with relaxation of one year for those having M. Phil. degree and relaxation of two ears for those with Ph.D. degree.

(ii) Participated in one Orientation course and one refresher course each of three to four weeks duration or engaged in other appropriate continuing education programme of comparable quality, as may be specified or approved by the University Grants Commission.

Provided that these Lecturers who have a Ph.D. Degree would be exempted from either one Refresher Course or one Orientation course.

(ii) Consistently satisfactory Annual Academic Progress Report and Performance Appraisal Report as per appendix-''ग'' और ''घ''.

(7) **Lecturer (Selection Grade)**

Lecturers after completion of five years in the senior scale who do not have Ph. D. degree or equivalent published work and who do not meet the scholarship and research standards, but fulfill the other criteria for the post of Reader by Direct Recruitment given in these statutes, and have a good record in teaching and, preferably, have contributed in various ways such as to the corporate life of the institution, examination work or through extension activities and have completed two refresher courses each of at least three to four weeks duration will be placed in the selection grade subject to the recommendations of the selection Committee which is the same, as for promotion to the post of Reader. They will be designated as Lecturers in the Selection Grade.

Provided that a lecturer in the Selection Grade could offer himself/herself for fresh assessment after obtaining Ph.D. degree and fulfilling other requirements for promotion as Reader and if found suitable could be given the designation of Reader.

(8) **READER (PROMOTION)**

A lecturer in the Senior Scale will be eligible for promotion ot the post of Reader if she/he has.

(i) Completed 5 years of service in the senior scale,

(ii) Obtained a Ph.D. degree or has equivalent published work.

(iii) Made some mark in the areas of scholarship and research as evidenced by self assessment, reports of referees, quality of publications, contribution to educational innovation, design of new courses and curricula and extension activities.

(iv) Participated in two refresher courses/summer institutes of three to four weeks duration after placement in the Senior Scale, or engaged in other appropriate continuing education programmes of comparable quality as may be specified or approved by the University Grants Commission.

(v) Possesses consistently good annual Academic Progress report and Performance Appraisal Report as per appendix-''ग'' और ''घ'' respectively.

(9) **CONSTITUTION OF SELECTION COMMITTEE**:

Promotion as reader will be through a process of selection by a Selection Committee to be constituted as under:-

(A) In the case of University, Selection Committee shall be constituted under clause (a) of Sub-section (4) of section – 31 of the U.P. State University Act, 1973.

(B) In the case of affiliated/associated colleges (other than the colleges exclusively maintained by the State Government) the Selection Committee shall consist of :

(i)	Director of Higher Education or his nominee not below the rank of Principal of a Govt. Degree or Post graduate College.	Chairman
(ii)	Three expert of the subject to be nominated by the Vice-Chancellor among whom one shall be from the University concerned, one from Associated/Affiliated College of the concerned university and one from the Associated/Affiliated College of other University.	Member
(iii)	The Head of the Management or a memer f the Management nominated by him	Member
(iv)	Principal of the College	Member Convener

(C) In the case of affiliated or associated college maintained exclusively by the State Government, the Selection Committee shall consist of:

(i) Director of Higher Education Chairman

(ii) Three experts of the subjects to be nominated by the Vice-Chancellor amongst whom one shall be from the University, one from the Associate/Affiliated College and One from the Govt. College – Member

(iii) Principle Member

(10) PROFESSOR (PROMOTION)

(i) In addition to the sanctioned position of professors, promotions may be made from the post of Reader in the University to that of Professor after 8 years of service as Reader.

(ii) For the promotion the candidate should present herself/himself before the selection Committee with the following:

a. Consistently good Annual Academic progress Report and performance Appraisal Report as per appendix-''ग'' और ''घ'' that self Appraisal Report for the period including five years before the date of iligibility be submitted respectively.

b. Research contribution/Books/Articles published.

That minimum of five research publications out of which two could be the books be submitted for evaluation/assessment before the interviews;

c. Certificates of the Seminars/ Conferences attended.

d. Details of contributions to teaching /academic environment/institutional corporate life.

e. Certificates of extension and field outreach activities.

f. That the professor already appointed under direct recruitment be not eligible

g. That the assessment of the research publications, including books, be done by three eminent experts in the subject which shall be different than those called for interview to be conducted later on;

h. That all the recommendations be positive from the three experts. In case the recommendation of one out of the three is negative, the research publications be sent to the fourth expert for evaluation and assessment. In all, there has to be a minimum of three positive recommendations out of the total of four experts, in case the fourth expert has participated in the exercise due to one negative report out of the initially three experts involved in evaluation;

That there be a separate column in the evaluation report of the expert saying whether the research publications and books are recommended or not recommended;

i. That the University be permitted to hold the interview for promotion under CAS only for those candidates who have cleared by obtaining minimum of three positive recommendations for the experts on their research publications, books;

j. That then after the interview be conducted inviting three experts of the concerned subject making sure-that those experts be different than whose who had assessed and evaluated the research publications;

k. That repeat process of promotion/interview for the rejected candidates can be conducted only after a minimum period of one year from the date of promotion proves/interview in which the candidate was rejected;

l. That the promotion from Reader to Professor under CAS being a personal position and not against a sanctioned post, the teaching workload of the Reader be carried forward with him/her and be undertaken by the promote even in the capacity of the CAS Professor;

EXPLANATION:

The requirement of participation in orientation/refresher courses/summer institutes, each of at least 3 to 4 weeks duration, and consistently satisfactory Annual Progress Report and Performance Appraisal Report, shall be mandatory requirement for Career Advancement from lecturer to lecturer (Senior Scale) and from Lecturer (Senior scale) to Lecturer (Selection Grade).

Wherever the requirement of Orientation/Refresher courses has remained incomplete, the promotion would not be held up but these requirements must be completed by 30.06.2009.

The requirement for completing these courses would be as fellows:

(i) For lecturer to Lecturer (Senior Scale) one orientation course would be compulsory for University and College teachers. Those without Ph.D. would be required to do one refresher course in addition.

(ii) Two refresher courses for Lecturer (Senior Scale) to Lecturer (Selection Grade).

(iii) The Senior teachers like Lecturers (Selection Grade) and Readers may opt to attend two seminars/conferences in their subject areas and present papers as one aspect of their promotion/selection to higher level or attend refresher course to be offered by Academic staff college for this level.

(11) If the number of years required in a feeder cadre are less than those stipulated here above, thus entailing hardship to those who have completed more than the total number of years in their entire service for eligibility in the Cadre, may be placed in the next higher Cadre if found suitable by the Selection committee after adjusting the total number of years.

This situation is likely to arise as, in the earlier scheme of January 07,1989. the number of years required in a feeder cadre were much more than those envisaged under this order.

Counting of past service will be done in the following manner:-

Previous service without any break as a Lecturer or equivalent in a university, college, national laboratory, or other scientific organizations, e.g. CSIR, ICAR, DRDO, UGC, ICSSR, ICHR and as a UGC Research Scientist, should be counted for placement of lecture in senior scale/selection grade provided that :

(i) The Post was in an equivalent grade/scale of pay as the post of a Lecturer,

(ii) The qualification for the post were not lower than the qualifications prescribed by the U.G.C. for the post of Lecturer,

(iii) The candidates who apply for direct recruitment should apply through proper channel.

(iv) The concerned Lecturers possessed the minimum qualifications prescribed by the U.G.C. for appointment as Lecturer,

(v) The post was filled in accordance with the prescribed selection procedure as laid down by the University/ State Government/ Central Government/ Institutions regulations.

(vi) The appointment was not adhoc or in a leave vacancy of less than one year duration.

(vii) Adhoc service of more than one year duration can be counted provided.

(a) The adhoc service was of more than one year duration.

(b) The incumbent was appointed on the recommendation of duly constituted Selection Committee,

(c) The incumbent was selected to the permanent post in continuation to the adhoc service, without any break.

(11A) Counting of past services for promotion from the post of Reader/Associate Professor or equivalent to the post of professor will be done in the following manner :

"Past services, without any break as a Reader/associate Professor in any recognized university or college or past services rendered in government of India/State Government/Autonomous body of Govt. of India/State Government laboratories shall be considered for promotion to the post of Professor only if he/she has rendered his services in the pay scale of (Rs. 3700-5700 Pre revised) Rs. 12000-18,300 (revised) and if he/she has possessed qualifications equivalent to that of Reader whilst working in the aforesaid institutions or establishments for reckoning eight years of services in post of Reader."

(12) A teacher of the University who is eligible for career Advancement/Promotion shall submit his application in triplicate along with the Annual Academic Progress Report and the performance Appraisal Report containing information about his satisfactory work to the Registrar of the University through the Head of the Department and in the case of teachers of Associated/Affiliated Colleges to the head of the Management/Director Higher Education though the Principal of the College in the proforma given in Appendix annexed herewith-ग और घ

EXPLANATION:

Satisfactory work shall mean the work done with reference to the work expected from a teacher of the University under the University statutes, ordinances or Regulations.

(13) (i) The Selection Committee constituted under clause (a) of subsection 04 (a) of section 31 of U. P. State University Act for Career Advancement/Promotion shall consider all relevant material and record required under the Statutes to be placed before it.

(ii) In case of University, the recommendations of Screening/Selection Committee shall be submitted to the Executive council for decision.

If the Executive Council does not agree with the recommendation made by the screening/Selection Committee, the Executive Council shall refer the matter to the Chancellor along with the reasons of such disagreement and the Chancellor's decision shall be final.

If the Executive Council does not take a decision on the recommendation of the Screening/Selection Committee within a period of four months from the date of

meeting of such Committee, then also the matter shall stand referred to the Chancellor and his decision shall be final.

(iii) In case of affiliated or associated colleges (other than College maintained exclusively by State Govt.) the recommendations of the screening/Selection Committee shall be submitted to the Head of the Management of the College for decision of the Management.

If the Management does not agree with the recommendation made by the Screening/Selection Committee, the Management shall refer the matter to the Director, Higher Education along with the reasons of such disagreement and the decision of the Director, Higher Education shall be final. If the Management does not take a decision on the recommendation of the Screening/Selection Committee within a period of four months then also the matter shall stand referred to the Director Education and his decision be final.

(iv) In the cases of Colleges maintained exclusively by the State Govt. the recommendations of the Screening/Selection Committee shall be submitted to the State Govt. for decision and its decision shall be final.

(14) If an incumbent lecturer/lecturer in Selection grade/Reader (Promotion) is found suitable and recommended accordingly for promotion to the next higher Senior Scale/Selection Grade/Reader grade/Professor grade by the duly constituted Screening/Selection Committee at the first instance, the next higher grade and designation would be admissible to him from the date of eligibility or 27th of july, 1998 whichever is later, amended vide Govt. Notification No.121/Seventy-1-2007(3)/96, Dated 16-01-2007.

(15) In case the incumbent Lecturer/Lecturer in Senior Scale/Lecturer in Selection Grade/Reader is not found suitable for Career Advancement Promotion in the first instance, he may offer himself again for such advancement/promotion after every one year, and he shall be considered by the Screening/Selection Committee along with other candidates who have since become eligible, If he is recommended for promotion in the second or subsequent attempts he will be given the grade as well as the designation (if any), from the date of taking over charge as Lecturer in Senior Scale/Lecturer in Selection Grade/Reader (Promotion)/Professor (Promotion), as the case may be.

(16) The posts of Reader or Professor, to which promotion is made, shall be deemed to be in addition to the cadre of Reader or Professor as the case may be upto the date of retirement of the incumbent, and thereafter the post will revert back to its original.

(17) No selection of any teacher of the University under the then existing statutes through the duly constituted Selection Committee for making appointment/promotion to teaching post by direct recruitment or by personal promotion or by Career Advancement prior to the coming into force of the present statutes, having had the

then requisite minimum qualification as was prescribed at that time shall be affected by the present statutes.

(18) (i) Subject experts and the nominee (if any) for the Screening/Selection Committee be nominated for each Calendar year by the Vice-Chancellor/the Director Higher Education well in time to facilitate the member Convenors to initiate the process of convening the meetings of the Committee, constituted under Career Advancement Scheme. The Screening/Selection Committee shall usually meet within six months and in all cases be definitely convened within a year of the date a teacher is eligible for promotion.

(ii) Screening/Selection Committee shall meet at the head quarters of the University in the case the teachers of the University and its Affiliated/Associated Colleges (Other than Colleges maintained exclusively by the State Govt.). In the case of teachers of the College (maintained exclusively by the State Govt.), the Committee shall meet in the office of the Director, Higher Education, U.P.

(iii) The majority of the total membership of the Screening/Selection Committee shall form the quorum of the Committee but the presence of the Chairman and at least one expert shall be necessary.

(iv) No recommendation made by the Screening/Selection Committee shall be considered to be valid unless one of the experts has agreed to the selection.

(19) Members of the Selection Committee shall be given not less than 15 days notice of the meeting reckoned from the date of dispatch of such notice. The notice shall be served either personally or by registered post.

(20) At least 15 days notice reckoned from the date of dispatch shall be given to the candidates prior to the meeting of the Selection Committee. The Notice shall be served either personally or by registered post.

(21) The work load of Lecturer placed in Selection Grade or Promoted as Reader or Professor under Career Advancement Scheme shall remain unchanged.

भाग–4

10.04 विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सेवा की शर्तें

धारा 49 (घ)

(1) – परिनियम 12.01(3) में निर्दिष्ट नियुक्ति या किसी अध्यापक को 10 मास से अधिक अवधि के लिए छुट्टी स्वीकृत किये जाने के कारण हुई रिक्ति में धारा 31(3) के अधीन नियुक्ति को छोड़कर, विश्वविद्यालय के अध्यापक परिशिष्ट 'ड.' में दिये गये प्रपत्र में लिखित संविदा द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

धारा 49 (घ)

(2)– विश्वविद्यालय का अध्यापक सर्वदा पूर्ण सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ रहेगा और परिशिष्ट 'ड.' में दी गयी आचरण संहिता का पालन करेगा जो नियुक्ति के समय अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किये जाने वाले करार का एक भाग होगा।

धारा 49 (घ)

(3)– परिशिष्ट 'ड.' में दी गई आचरण संहिता के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन परिनियम 12.04 (4) के अर्थान्तर्गत दुराचरण समझा जायगा।

धारा 49 (घ)

(4)– (1) निम्नलिखित कारणों में से किसी एक या अधिक कारण से विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक पदच्युत किया या हटाया जा सकता है या उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है :

(क) कर्तव्य की जान–बूझ कर उपेक्षा;

(ख) दुराचरण;

(ग) सेवा संविदा की किसी शर्त का उल्लंघन;

(घ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के सम्बन्ध में बेईमानी;

(ड.) लोकापवादयुक्त आचरण या नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिए दोषसिद्धि;

(च) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता;

(छ) अक्षमता;

(ज) पद की समाप्ति ;

(2) धारा 31(2) में की गयी व्यवस्था के सिवाय, संविदा समाप्त करने के लिए, किसी भी पक्ष द्वारा कम से कम तीन मास की नोटिस (या जब नोटिस अक्टूबर मास के पश्चात दी जाय तब तीन मास की नोटिस या सत्र समाप्त होने तक की नोटिस, जो भी अधिक हो) दी जायेगी, या यथास्थिति ऐसी नोटिस के बदले में तीन मास (या उपर्युक्त अधिक अवधि) का वेतन दिया जायेगा, या वापस किया जायगा;

परन्तु जहाँ विश्वविद्यालय खण्ड(1) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करे अथवा हटाये या उसकी सेवायें समाप्त करे या यदि अध्यापक संविदा को विश्वविद्यालय द्वारा उसकी शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण समाप्त करे, वहाँ ऐसी नोटिस की आवश्यकता न होगी,

परन्तु यह भी कि पक्षकार आपसी समझौते द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप में नोटिस की शर्त का परित्याग करने के लिए स्ववंत्र होंगे।

धारा 32 (2) तथा 49 (घ)

(5)– धारा 32 में निर्दिष्ट नियुक्ति की मूल संविदा नियुक्ति के दिनांक के तीन माह के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए कुलसचिव के यहाँ जमा की जायगी।

धारा 21 (2) (xvii) तथा 49 (घ)

(6)– (1) परिनियम 12.04(4) के खण्ड (1) में उल्लिखित किसी कारण से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का कोई आदेश (सिवाय नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिए सिद्ध दोष होने या पद समाप्त किये जाने की स्थिति में) तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि अध्यापक को, उसके विरूद्ध आरोप लगा कर, उसकी सूचना जिस आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव है, उसके विवरण सहित न दे दी जाय, और उसको;

(i) अपने प्रतिवाद के लिए लिखित बयान प्रस्तुत करने का,

(ii) व्यक्तिगत सुनवाई का, यदि वह ऐसा चाहे, और

(iii) अपने प्रतिवाद में ऐसे साथियों को बुलाने और परीक्षण करने का जिन्हें वह चाहे, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय;

परन्तु कार्य परिषद या उसके द्वारा जाँच करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करते हुये किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है।

(2) कार्य परिषद किसी समय, जाँच अधिकारी की रिपार्ट के दिनांक से साधारणतया दो मास के भीतर सम्बद्ध अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिसमें पदच्युत करने, हटाने या सेवा समाप्त करने के कारण उल्लिखित किये जायेंगे।

(3) प्रस्ताव की सूचना सम्बद्ध अध्यापक को तुरन्त दी जायेगी।

(4) कार्य परिषद् अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवा समाप्त करने के बजाय एक या अधिक हल्का दण्ड देने का संकल्प पारित कर सकती है अर्थात अधिक से अधिक तीन वर्ष की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अध्यापक का वेतन कम करना, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उसकी वेतन वृद्धि रोकना और अध्यापक से उसके निलम्बन की अवधि के, यदि कोई हो, वेतन से (किन्तु निर्वाह भत्ते से नहीं) वंचित करना।

धारा 21 (1) (xvii) तथा 49 (घ)

(7)–(1) यदि किसी अध्यापक के विरूद्ध आरोपों की जाँच विचाराधीन है या प्रारम्भ करने का विचार है तो परिनियम 8.01 में निर्दिष्ट अनुशासनिक समिति उसको परिनियम 12.04(4) के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) से (ड.) तक में उल्लिखित आधार पर निलम्बित करने की सिफारिश कर सकती है यदि निलम्बन का आदेश अध्यापक के विरूद्ध जाँच प्रारम्भ करने के विचार से दिया जाय तो निलम्बन आदेश उसके प्रवर्तन के चार सप्ताह बीत जाने पर समाप्त हो जायगा जब तक कि इस बीच अध्यापक को उस आरोप या उन आरोपों की संसूचना न दे दी जाय जिनके बारे में जाँच कराने का विचार था।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को–

(क) यदि किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि की स्थिति में, उसे 48 घण्टे से अधिक अवधि का कारावास का दण्ड दिया जाय और उसे इस प्रकार दोष सिद्धि के परिणामस्वरूप तुरन्त पदच्युत न किया जाय या सेवा से हटाया न जाय तो उसकी दोषसिद्धि के दिनांक से;

(ख) किसी अन्य स्थिति में, यदि वह अभिरक्षा में निरूद्ध किया जाय, चाहे निरोध किसी आपराधिक आरोप के कारण हो या अन्यथा, उसके निरोध की अवधि तक के लिये, निलम्बित समझा जायगा।

स्पष्टीकरण : इस खण्ड के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट 48 घण्टे की अवधि की गणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास के प्रारम्भ होने से की जायेगी और इस प्रयोजन के लिए कारावास की सविराम अवधि पर भी यदि, कोई हो, विचार किया जायगा।

(3) जहाँ विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करने या सेवा से हटाने का आदेश अधिनियम या इस परिनियमावली के अधीन किसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप या अन्यथा अपास्त कर दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाय या हो जाय, और विश्वविद्यालय का समुचित अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय उसके विरूद्ध अग्रेतर जाँच करने का विनिश्चय करे, वहाँ यदि अध्यापक पदच्युत होने या हटाने के ठीक पूर्व निलम्बित था, तो यह समझा जायगा कि निलम्बन का आदेश पदच्युत या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और से प्रवृत्त है।

(4) विश्वविद्यालय का अध्यापक अपने निलम्बन की अवधि में (समय–समय पर यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश सरकार के फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड 2 के भाग 2 के अध्याय 8 के उपबन्धों के अनुसार, जो आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे, निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा।

धारा 21 (1) (xvii) तथा 49 (घ)

(8)– परिनियम 12.04(6) के खण्ड (2) या परिनियम 12.04(7) के खण्ड (1) के प्रयोजनार्थ अधिकतम अवधि की गणना करने में, वह अवधि जिसमें किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रवर्तन हो, सम्मिलित नहीं की जायगी।

धारा 34 (1)

(9)– (1) विश्ववविद्यालय का कोई अध्यापक किसी कैलेण्डर वर्ष में, धारा 34(1) में निर्दिष्ट किसी परीक्षा के सम्बन्ध में सम्पादित किसी कर्तव्य के लिए उस कैलेण्डर वर्ष में अपने वेतन के कुल योग के छठें भाग या तीस हजार रूपये से, जो भी कम हो, अधिक कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा।

(2) खण्ड (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक किसी कैलेण्डर वर्ष में धारा 34(1) में निर्दिष्ट किसी परीक्षा के सम्बन्ध में सम्पादित किये गये किसी कर्त्तब्य के लिए विशिष्ट कैलेण्डर वर्ष में अपने दो मास के औसत वेतन या तीन हजार रूपये, जो भी कम हो, अधिक पारिश्रमिक नहीं लेगा।

धारा 34 (1)

(10)– इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुये भी;

(i) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, जो संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो अपनी सदस्यता की अवधि पर्यन्त विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण नहीं करेगा;

(ii) यदि विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन या नाम–निर्देशन के दिनांक के पूर्व से विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण किये हो, तो वह ऐसे निर्वाचन या नाम–निर्देशन के दिनांक से या इस

परिनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से, जो भी पश्चातवर्ती हो, उस पद पर नहीं रह जायगा।

(iii) विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापक से, जो संसद या राज्य विधान मण्डल के लिए निर्वाचित या नाम–निर्दिष्ट किया जाय, अपनी सदस्यता की अवधि में या परिनियम 12.04(11) द्वारा जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, किसी सदन या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए विश्वविद्यालय से त्याग पत्र देने या छुट्टी लेने की अपेक्षा नहीं की जायगी।

स्पष्टीकरण– इस परिनियम के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता या किसी संकाय के संकायाध्यक्ष का पद या किसी महाविद्यालय के प्राचार्य का पद कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद नहीं समझा जायगा।

धारा 49 (घ)

(11)– कार्य परिषद् दिवसों की न्यूनतम संख्या नियत करेगी जब कि ऐसा अध्यापक अपने शैक्षिक कर्तब्यों के लिए विश्वविद्यालय में उपलब्ध होगाः

परन्तु जहाँ विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो वहाँ उसे ऐसी छुट्टी पर समझा जायेगा जो उसे देय हो, और यदि कोई छुट्टी देय न हो तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायेगा।

भाग–5

धारा 49 (घ)

12.05 विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालयों (स्ववित्तपोषित को छोड़कर) के अध्यापकों के लिए छुट्टी सम्बन्धी नियम –

1. नियमित वेतन में कार्यरत अध्यापकों को निम्न प्रकार की छुट्टीयाँ देय होंगी :–

(i) छुट्टी जिसे ड्यूटी की तरह समझा जाए जैसेः आकस्मिक छुट्टी : विशेष आकस्मिक छुट्टीः तथा ड्यूटी छुट्टी

(ii) ड्यूटी पर अर्जित छुट्टी, जैसे अर्जित छुट्टीः अर्द्धवेतन छुट्टीः तथा परिवर्तित छुट्टी,

(iii) ड्यूटी पर अर्जित न की गयी छुट्टी, जैसे असाधरण छुट्टी तथा अदेय छुट्टी

(iv) छुट्टी खाते से डेबिट न की जाने वाली छुट्टी

(क) शिक्षा प्राप्ति छुट्टी जैसे अध्ययन छुट्टी तथा विश्राम छुट्टी/शैक्षणिक छुट्टी

(ख) स्वस्थ्य आधारित छुट्टी जैसे प्रसूति छुट्टी

संगरोध छुट्टी

अपवादीक मामलो में, अन्य प्रकार की छुट्टी उन कारणो से जिनका उल्लेख किया जाए, कार्यकारी परिषद्/सिंडिकेट द्वारा, ऐसी शर्तो के अधीन स्वीकृत की जा सकती हैं जिन्हे लागू करना ठीक समझा जाए।

2. आकस्मिक छुट्टी

(i) एक शैक्षणिक सत्र में एक अध्यापक को स्वीक्त कुल आकस्मिक छुट्टीयो कि संख्या 8 दिन से अधिक नही होगी।

(ii) आकस्मिक छुट्टी विशेष आकस्मिक छुट्टी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ नही ली जा सकती। इन्हे रविवार सहित अन्य अवकाशो के साथ लिया जा सकता हैं। आकस्मिक छुट्टीयो के मध्य पडने वाले अवकाशो अथवा रविवारो को आकस्मिक छुट्टी के रूप में नही गिना जायेगा।

3. विशेष आकस्मिक छुट्टी

i. एक शैक्षणिक सत्र में एक अध्यापक को अधिकतम 10 दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है।

(क) एक विश्वविद्यालय/लोक सेवा आयोग/परीक्षा बोर्ड अथवा अन्य ऐसी ही संस्था/संस्थानो की परीक्षा आयोजित करने हेतु तथा

(ख) सांविधिक बोर्ड से सबद्ध शैक्षणिक संस्थानों के निरिक्षण हेतु आदि।

नोट–

(i) 10 दिन की देय छुट्टीयों की गणना करते समय उपर्युक्त विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के आयोजन स्थल पर जाने व लौटने हेतु वास्तविक यात्रा के दिनो, यदि कोई हों तो, को शामिल नहीं किया जायेगा।

(ii) इसके अतिरिक्त, विशेष आकस्मिक छुट्टी की अधिकतम सीमा निम्नानुसार की स्वीकृत की जा सकती है :–

(क) परिपार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत वंध्यीकरण आपरेशन (वेसेंक्टोमी अथवा सेल्पिंगेक्टोमी) कराने हेतु। इस मामले में छुट्टी की संख्या 6 कार्य दिवसो तक सीमित रहेगी।

(ख) एक महिला अध्यापक को गैर–प्रासंविक वंध्यीकरण हेतु। इस मामले में छुट्टियो की संख्या 14दिन तक सीमित रहेगी।

(iii) विशेष आकस्मिक छुट्टी न तो संचित की जा सकती हैं और न ही आकस्मिक छुट्टी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ ली जा सकती हैं। इन्हे अवकाश अथवा वेकेशन अवकाशों के साथ स्वीकृत किया जा सकता हैं।

4. ड्यूटी छुट्टी

(i) ड्यूटी छुट्टी निम्न कारणो से ली जा सकती हैं :–

क. विश्वविद्यालय की ओर से अथवा विश्वविद्यालय की अनुमति से सम्मेलनो, बैठको, गोष्ठियो एवं संगाष्ठियो में भाग लेने हेतु।

ख. संस्थाओ, विश्वविद्यालयों से विशविद्यालय द्वारा प्राप्त तथा कुलपति द्वारा स्वीकृत आमंत्रण पर ऐसी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में भाषण देने हेतु।

ग. अन्य भारतीय अथवा विदेशी विश्वविद्यालय, किसी अन्य एजेन्सी, संस्था अथवा संगठन में कार्य करते हुए, यदि ऐसी प्रतिनियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की गयी हो।

घ. भारत सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सम्बद्ध विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षणिक निकाय द्वारा नियुक्त समिति में कार्य करने अथवा डिलीगेशन में भाग लेने हेतु तथा

ङ. विश्वविद्यालय के किसी अन्य कार्य के निष्पादन हेतु।

(ii) प्रत्येक अवसर पर छुट्टी की अवधी इस प्रकार होगी जैसा की स्वीकृत प्रधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाये।

(iii) यह छुट्टी पूर्ण वेतन पर स्वीकृत की जायेगी, बशर्ते कि यदि अध्यापक सामान्य खर्चों हेतु आवश्यक राशि से अधिक शिक्षावृत्ति अथवा मानदेय अथवा कोई अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करता है, तो उसे घटाये हुए वेतन एवं भत्तों पर ड्यूटी छुट्टी स्वीकृत की जायेगी।

(iv) ड्यूटी छुट्टी – अर्जित छुट्टी, अर्द्ध वेतन छुट्टी अथवा असाघराण छुट्टी के साथ ली जा सकती है।

5. अर्जित छुट्टी

(i) एक अध्यापक को देय अर्जित छुट्टी इस प्रकार है :–

(क) वेकेशन अवकाशों सहित वास्तविक सेवा अवधि का 30वां हिस्सा अर्थात (1/30)

(ख) ऐसी अवधि, जिसमें उसे वेकेशन अवकाश के दौरान ड्यटी करना अपेक्षित हो, यदि कोई हो तो, का एक तिहाई हिस्सा अर्थात् (1/3)।

नोट – वास्तविक सेवा अवधि की गणना करने के उद्देश्य से आकस्मिक विशेष आकस्मिक एवं ड्यूटी छुट्टियों के अतिरिक्त सभी प्रकार की छुट्टियों की अवधि को शामिल नहीं किया जायेगा।

(ii) एक अध्यापक के खाते में 300 से अधिक दिन की अर्जित छुट्टियाँ संचित नहीं हो सकतीं। एक बार में अधिकतम 60 दिन की अर्जित छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। फिर भी उच्चतर अध्ययन अथवा प्रशिक्षण अथवा स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र पर आधारित छुट्टी अथवा यदि पूरी छुट्टी अथवा उसका कोई भाग भारत के बाहर बिताया हो तो ऐसे मामाले में 60 दिन से अधिक अर्जित भी स्वीकृत की जा सकती है।

नोट–1

यदि एक अध्यापक वेकेशन अवकाश के साथ अर्जित छुट्टी लेता है तो औसत वेतन छुट्टी की अधिकतम मात्रा की गणना करते समय वेकेशन की अवधि को छुट्टी की तरह गिना जायेगा, जिसे छुट्टी की उक्त अवधि में भी शामिल किया जायेगा।

नोट–2

यदि छुटिटयों का सिर्फ एक हिस्सा भारत के बाहर बिताया गया हो तो 120 से अधिक दिन की छुट्टी इस शर्त के अधीन स्वीकृत होगी कि भारत में बितायी गई छुट्टियों की कुल अवधि 120 दिन से अधिक न हो।

नोट–3

अध्यापन स्टाफ के गैर–वेकेशन सदस्यों को अर्जित छुट्टी का नगदीकरण केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियो पर लागू नियमो के अनुसार देय होगा।

6. अर्द्ध वेतन छुट्टी

एक स्थायी अध्यापक को सेवा के प्रत्सेक पूर्ण वर्ष हेतु 20 दिन की अर्द्ध वेतन छुट्टी देय है। ऐसी छुट्टी निजी मामलों अथवा शैक्षणिक उद्देश्यो से एक पंजिकृत चिकित्सक के चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत की जा सकती है।

नोट – 'सेवा के पूर्ण वर्ष' से तात्पर्य विश्वविद्यालय के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की सतत् सेवा से है तथा ड्यूटी से अनुपस्थिति एवं असाधारण छुट्टियों सहित छुट्टियों की अवधि भी इसमें शामिल होगी।

7. परिवर्तित छुट्टी

एक स्थायी प्राध्यापक को पंजीकृत चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत परिवर्तित छुट्टियाँ देय अर्द्ध वेतन छुट्टियों की मात्रा के आधे से अधिक नहीं होगी :–

(i) पूरी सेवा के दौरान परिवर्तित छुट्टियों की अधिकतम् संख्या 240 दिन होगी।

(ii) जब परिवर्तित छुट्टी स्वीकृत की जाये तो देय अर्द्ध वेतन छुट्टी खाते में से ऐसी छुट्टी की दोगुनी मात्रा घटा दी जायेगी।

(iii) एक बार में संयुक्त रूप से ली गई अर्जित छुट्टी एवं परिवर्तित छुट्टियों की कुल अवधि 240 दिन से अधिक नही होगी, बशर्ते कि इन नियमों के अन्तर्गत कोई परिवर्तित छुट्टी स्वीकृत नहीं की जायेगी, जब तक की छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास न हो जाये कि अध्यापक इसकी समाप्ति पर ड्यूटी पर लौट आयेगा/आयेगी।

8. असाधारण छुट्टी

(i) एक स्थायी अध्यापक को असाधराण छुट्टी तभी स्वीकृत की जा सकती है जब कि :–

(क) कोई अन्य छुट्टी देय न हो अथवा

(ख) कोई अन्य छुट्टी देय न हो तथा अध्यापक असाधारण छुट्टी स्वीकृत हेतु लिखित में आवेदन करें।

(ii) असाधारण छुट्टी हमेशा बिना वेतन एवं भत्तों के होगी। असाधारण छुट्टी को निम्नलिखित मामलो के अतिरिक्त वेतन वृद्धि हेतु नहीं गिना जायेगा।

(क) चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ली गई छुट्टी।

(ख) ऐसे मामले जिनमें कुलपति/प्रिंसिपल संतुष्ट हो जाये कि यह छुट्टी अध्यापक के नियंत्रण से परे, नागरिक उपद्रव अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण कार्य ग्रहण करने में असमर्थता जैसे कारणो से ली गई हो, बशर्ते कि अध्यापक के खाते में किसी अन्य प्रकार की छुट्टी शेष न हो।

(ग) उच्च शिक्ष प्राप्त करने हेतु ली गई छुट्टी।

(घ) अध्यापन पद अथवा शिक्षावृत्ति अथवा शोध–सह–अध्यापन पद अथवा महत्वपूर्ण तकनीकी अथवा शैक्षणिक कार्य पर नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार करने हेतु स्वीकृत छुट्टी।

(iii) असाधारण छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी एवं विशेष आकस्मिक छुट्टी के अतिरिक्त, किसी भी छुट्टी के साथ ली जा सकती हैं, बशर्ते कि चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ली गई कछुट्टी के मामलों के अतिरिक्त छुट्टी पर ड्यूटी से सतत अनुपस्थिति की अवधि (यदि छुट्टी वेकेशन अवकाश के साथ ली गयी हो तो वेकेशन अवधि को शामिल करते हुए) तीन साल से अधिक नही होगी। ड्यूटी से अनुपस्थिति की कुल अवधि कर्मचारी के पूरे सेवा काल में किसी भी हालत में 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(iv) प्राधिकारी को बिना छुट्टी अनुपस्थिति की पूर्ववर्ती अवधि को असाधारण छुट्टी में परिवर्तित कर छुट्टी स्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त है।

9. अदेय छुट्टी

(i) एक स्थयी अध्यापक को कुलपति/प्रिंसीपल के विवेक से पूरे सेवा काल के दौरान अधिकतम 360 दिन की अदेय छुट्टी स्वीकृत की जा सकती हैं, जिसमें से एक बार में अधिकतम 90 दिन तथा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कारणों से कुल 180 दिन की छुट्टी ली जा सकती है। ऐसी छुट्टी उसके द्वारा बाद में अर्जित अर्द्ध वेतन छुट्टियों में से घटा दी जाएगी।

(ii) अदेय छुट्टी तब तक स्वीकृत नही की जा सकती जब तक कि कुलपति/प्रिंसिपल पहले से ही उपयुक्त विचार करके आश्वस्त न हो जाए कि अध्यापक छुट्टी समाप्ति के बाद ड्यूटी पर लौट आयेगा/आएगी तथा स्वीकृत छुट्टी अर्जित कर लेगा/लेगी।

(iii) एक अध्यापक, जिसे अदेय छुट्टी स्वीकृत की गई है, सेवा से तब तक त्याग पत्र नहीं दे सकता/सकती, जब तक कि सक्रिय सेवा द्वारा उसके छुट्टी में डेबिट की गई छुट्टियां अर्जित न कर ली जाएं अथवा उसके द्वारा अर्जित न की गई छुट्टियों की अवधि हेतु भुगतान किए गए वेतन एवं भत्तों की राशि वापस न कर दें। ऐसे मामले में जहां स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण सेवानिवृत्त अपरिहार्य हो तथा अध्यापक आगे सेवा करने में असमर्थ हो, तो अर्जित की जाने वाली छुट्टी की अवधि हेतु छुट्टी वेतन की वापसी से कार्य परिषद् छूट दे सकती है।

बशर्ते कि, किसी अन्य मामले में, कार्य परिषद् अर्जित की जाने वाली छुट्टी की अवधि के छुट्टी वेतन की वापसी से उल्लिखित कारणो से छूट दी जा सकती हैं।

10. अध्ययन छुट्टी

(i) अध्ययन छुट्टी कम से कम तीन साल की सतत सेवा पूरी करने पर विश्वविद्यालय में उसके कार्य से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध अध्ययन अथवा शोध की विशेष लाइन अथवा विश्वविद्यालय संगठन के विभिन्न क्षेत्रों एवं शिक्षा के तरीकों का विशेष अध्ययन करने हेतु स्वीकृत की जा सकती हैं। अध्ययन छुट्टी की भुगतान अवधि 3 वर्ष होगी, परन्तु पहली बार दो वर्ष होगी, अनुसंधान मार्गदर्शक (गाइड) की रिपोर्ट के अनुसार पर्याप्त प्रगति होने पर एक वर्ष और बढाई जा सकती हैं। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि किसी भी विभाग में अध्ययन छुट्टी पर जाने वाले अध्यापकों की संख्या अध्यापकों के निर्धारित प्रतिशत से अधिक न हो, बशर्ते कि किसी मामले की विशेष परिस्थिति में कार्य परिषद् तीन वर्ष की निरंतरता की शर्त से छूट दे सकती है।

स्पष्टीकरणः– सेवा अवधि की गणना करते समय एक व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि अथवा अनुसंधान सहायक के रूप में कार्य की अवधि को भी गिना जाएगा बशर्ते किः–

(क) आवेदन की तारीख को वह व्यक्ति एक अध्यापक हो तथा

(ख) सेवा में कोई ब्रेक न हो।

(ii) अध्ययन छुट्टी संबंधित विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर कार्य परिषद् द्वारा स्वीकृत की जाएगी। एक बार मे तीन साल से अधिक छुट्टी स्वीकृत नही की जा सकती। बहुत अपवादिक मामले को छोड़कर जिनके कार्य परिषद् आश्वस्त हो जाए कि शैक्षणिक आधार पर ऐसा विस्तार अपरिहार्य तथा विश्वविद्यालय के हित में आवश्यक है।

(iii) अध्ययन छुट्टी ऐसे अध्यापक को स्वीकृत नहीं की जा जाएगी, जो अध्ययन छुट्टी की समाप्ति के बाद उसके ड्यूटी पर लौटने की प्रत्याशित तारीख से 5 वर्ष के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाला/वाली हो।

(iv) अध्ययन छुट्टी पूरे सेवा काल के दौरान दो बार से अधिक स्वीकृत नही की जा सकती है। फिर भी, पूरे सेवा काल के दौरान अधिकतम 5 वर्ष की अध्ययन छुट्टी देय होगी।

(v) अध्ययन छुट्टी की स्वीकृति के बाद कोई अध्यापक कार्य परिषद् की अनुमति के बिना अध्ययन के क्षेत्र अथवा शोध कार्यक्रम में वास्तविक परिवर्तन नहीं कर सकता। यदि अध्ययन कोर्स की अवधि स्वीकृत अध्ययन छुट्टी से कम हो जाती है, तो अध्यापक को अध्ययन कोर्स के समापन पर कार्यग्रहण करना पड़ेगा एवं कार्य परिषद् के पूर्व अनुमोदन को कम पड़ने वाली अवधि को साधारण छुट्टी स्वीकृत की तरह माना जाएगा।

(vi) (क) निम्न उप अनुच्छेद vii व viii के प्रावधानों के अधीन दो साल की अध्ययन छुट्टी पूर्ण वेतन पर स्वीकृत की जा सकती है, जिन्हें विश्वविद्यालय के विवेक से एक साल और बढ़ाया जा सकता है।

(vii) एक अध्यापक, जिसे अध्ययन छुट्टी स्वीकृत की गई है, को दी गई छात्रवृत्ति, शिक्षावृत्ति अथवा अन्य वित्तीय सहायता की राशि को, जिन वेतन एवं भत्तों पर छुट्टी स्वीकृत की जा रही है, में शामिल किया जाएगा। परन्तु वेतन एवं भत्ते, जिन पर अध्ययन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है, के निर्धारण हेतु इस प्रकार प्राप्त छात्रवृत्ति आदि को शामिल किया जाएगा। विदेशी छात्रवृत्ति/शिक्षावृत्ति वेतन की क्षतिपूरक होगी, यदि शिक्षावृत्ति एक विनिर्दिष्ट राशि जिसे, उस देश में, जहाँ अध्ययन किया जाना है, एक परिवार के जिवन यापन की लागत के आधार पर समय–समय पर निर्धारित किया जाए, से अधिक न हो। भारतीय शिक्षावृत्ति के मामले में, यदि वह अध्यापक के वेतन से अधिक हो तो, वेतन को जब्त कर लिया जाएगा।

(viii) छुट्टी पर ड्यूटी से अनुपस्थिति की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होने के अधीन अध्ययन छुट्टी अर्जित छुट्टी, अर्द्ध वेतन छुट्टी, असाधारण छुट्टी अथवा वेकेशन अवकाश के साथ ली जा सकती है, यह भी कि अध्यापक के खाते में अर्जित छुट्टी अध्यापक के विवेक से ली जा सकेगी। अध्ययन छुट्टी के दौरान यदि एक अध्यापक का उच्च पद पर चयन हो जाता हैं तो उसे उसी अवस्था में रखा जाएगा तथा उच्च पद पर वेतनमान उस पद पर कार्यग्रहण करने के बाद ही प्राप्त कर सकेगा।

(ix) एक अध्यापक, जिसे अध्ययन छुट्टी स्वीकृत की गई है, विश्वविद्यालय की सेवा मे उसके लौटने तथा फिर से कार्यग्रहण करने पर इस अवधि में अर्जित की गयी वेतन वृद्धियों का लाभ अर्जित कर सकेगा/सकेगी, जिन्हें वह अध्ययन छुट्टी पर न जाने पर अर्जित करता/करती। फिर भी, कोई अध्यापक ऐसी वेतन वृद्धियों का एरीयर प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

(x) अध्ययन छुट्टी को पेंशन/अंशदायी भविष्य निधि हेतु सेवा की तरह माना जाएगा, बशर्ते कि अध्यापक अपनी अध्ययन छुट्टी की समाप्ति पर विश्वविद्यालय में कार्यग्रहण कर ले।

(xi) एक अध्यापक को स्वीकृत अध्ययन छुट्टी यदि इसकी स्वीकृति के बारह माह के अन्दर न ली जाए, तो उन्हें निरस्त समझा जाएगा। बशर्ते कि यदि स्वीकृत अध्ययन छुट्टी इस तरह निरस्त कर दी गई हो तो अध्यापक ऐसी छुट्टी हेतु फिर से आवेदन करे।

(xii) अध्ययन छुट्टी लेने वाले अध्यापक को यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि वह कम से कम तीन वर्ष, जिसकी गणना अध्ययन छुट्टी की समाप्ति पर उसके कार्यग्रहण करने की तारीख से की जाएगी, की सतत् सेवा विश्वविद्यालय को देगा।

(xiii) यह छुट्टी स्वीकृत होने के बाद, अध्यापक को छुट्टी पर जाने से पूर्व उप–अनुच्छेद (xiii) व (xvi) में निर्धारित शर्तों को पूरा करने हेतु स्वयं को वंधित करते हुए विश्वविद्यालय के पक्ष में एक बांड भरना होगा तथा वित्त अधिकारी/कोषाध्यक्ष की संतुष्टि हेतु अचल संपत्ति की प्रतिभू अथवा किसी बीमा कंपनी का निष्ठा बांड अथवा अनुसूचित बैंक की गारंटी अथवा उप अनुच्छेद (xvi) के अनुसार विश्वविद्यालय को वापस की जाने वाली राशि हेतु दो स्थायी अध्यापकों की जमानत देनी होगी।

(xiv) अध्यापक अपने अध्ययन की छमाही प्रगति रिपोर्ट अपने पर्यवेक्षक अथवा संस्था प्रधान से प्राप्त कर रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा। यह रिपोर्ट अध्ययन छुट्टी की प्रत्येक छमाही की समाप्ति के एक माह के अन्दर रजिस्ट्रार के पास पहुँच जानी चाहिए। यदि रिर्पोट विर्निदिष्ट समय तक रजिस्ट्रार के पास नही पहुँचती है, तो छुट्टी वेतन का भुगतान ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने तक टाला जा सकता है।

11. विश्राम छुट्टी/शैक्षणिक छुट्टी

(i) विश्वविद्यालय के स्थायी, पूर्णकालिक अध्यापक, जिन्होंने लेक्चरर चयन ग्रेड/रीडर अथवा प्रोफेसर के रूप में सात साल की सेवा पूरी कर ली हो, को सिर्फ अपनी दक्षता तथा विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा प्रणाली की उपयोगिता बढ़ाने के उद्देश्य से अध्ययन अथवा शोध अथवा अन्य शैक्षणिक उद्देश्यों से पढ़ाई करने हेतु विश्राम छुट्टी स्वीकृत की जा सकाती है।

(ii) एक बार में ली गई छुट्टियों की अवधि एक वर्ष तथा एक अध्यापक के पूरे सेवाकाल में 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(iii) एक अध्यापक जिसने अध्ययन छुट्टी ले ली है, वह विश्राम छुट्टी का हकदार नहीं होगा/होगी और यह भी कि विश्राम छुट्टी तभी स्वीकृत होगी जब कि पहले ली गई अध्ययन छुट्टी अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम से अध्यापक के लौटने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि समाप्त न हो जाए।

(iv) विश्राम छुट्टी की अवधि के दौरान, एक अध्यापक को, विश्राम छुट्टी पर जाने से ठीक पहले, उसे देय दरो पर पूर्ण वेतन एवं भत्तों का भुगतान (निर्धारित शर्तें पूरी करने पर) किया जाएगा ।

(v) विश्राम छुट्टी लेने पर एक अध्यापक उस छुट्टी–अवधि के दौरान, भारत अथवा विदेश मे अन्य संगठन के अधीन कोई नियुक्ति प्राप्त नहीं करेगा/करेगी। फिर भी उसे एक उच्च अध्ययन संस्था में नियमित नौकरी से इतर शिक्षावृत्ति अथवा शोध छात्रवृत्ति अथवा मानदेय पर तदर्थ अध्यापन एवं शोध कार्य अथवा किसी अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने की अनुमति होगी। बशर्ते कि ऐसे

मामलो में, कार्य परिषद् यदि चाहे तो, घटे हुए वेतन एवं भत्तों पर विश्राम छुट्टी स्वीकृत कर सकती है।

(vi) विश्राम छुट्टी की अवधि के दौरान, अध्यापक को नियत तारीख पर वेतन वृद्धी मिलती रहेगी। छुट्टी की अवधि पेंशन/अंशदायी भविष्य निधि के उद्देश्यों से सेवा की तरह मानी जएगी। बशर्ते कि अध्यापक अपनी छुट्टी की समाप्ति पर विश्वविद्यालय में फिर से कार्यग्रहण कर ले।

नोट – 1

विश्राम छुट्टी के दौरान निष्पादित किए जाने वाले कार्यक्रम छुट्टी स्वीकृति के आवेदन के साथ अनुमोदन हेतु विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।

नोट – 2

छुट्टी से लौटने पर, अध्यापक को छुट्टी की अवधि के दौरान किए गए अध्ययन की प्रकृति, शोध एवं अन्य कार्यों की रिपोर्ट विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

12. प्रसूति छुट्टी/मातृत्व छुट्टी

(i) एक महिला अध्यापक को अधिकतम् 135 दिन की मातृत्व छुट्टी पूर्ण वेतन पर स्वीकार की जा सकती है, पूरे सेवाकाल में दो बार ली जा सकती है। मातृत्व छुट्टी गर्भपात सहित अपरिपक्व प्रसव के मामले में भी इस शर्त के अधीन स्वीकृत की जा सकती है कि पूरे सेवा काल में एक महिला अध्यापक को इस सम्बन्ध में स्वीकृत कुल छुट्टियाँ 45 दिन से अधिक न हों तथा छुट्टी हेतु आवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न हो।

(ii) मातृत्व छुट्टी – अर्जित छुट्टी, अर्द्धवेतन छुट्टी अथवा असाधारण छुट्टी के साथ ली जा सकती है परन्तु यदि आवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न हो, तो मातृत्व छुट्टी के साथ आवेदित अन्य छुट्टी भी स्वीकृत की जा सकती है।

पितृत्व छुट्टी

पुरूष अध्यापकों को उनकी पत्नियों के घर की चार दीवारी में रहने के दौरान 15 दिन पितृत्व छुट्टी स्वीकार की जा सकती है बशर्ते कि इसे दो बच्चों तक सीमित रखा जाए।

एडॉप्शन छुट्टी

एडॉप्शन छुट्टी केन्द्रीय नियमों के अनुसार दी जा सकती है।

ड्यूटी छुट्टी

ड्यूटी छुट्टी यू0जी0सी0, डी0एस0टी0 आदि की बैठको मे भाग लेने हेतु भी दी जा सकती है। जहाँ एक अध्यापक को शैक्षणिक निकायों, सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालयों के विशेषज्ञों के साथ सहभगिता हेतु आमंत्रित किया गया हो।

भाग – 6

अधिवर्षिता की आयु

धारा 49

12.06 (1)–इस भाग में, पद ''नये वेतनमान'' का तात्पर्य समय–समय पर यथासंशोधित किसी अध्यापक को अनुमन्य वेतनमान से है।

धारा 49

12.06 (2) नये वेतनमान द्वारा नियंत्रित विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु बासठ वर्ष होगी।

(i) विश्वविद्यलाय के किसी ऐसे अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु, जो नये वेतनमान द्वारा नियंत्रित न हो, बासठ वर्ष होगी।

(ii) इस परिनियमावली के प्रारम्भ के दिनांक के पश्चात् किसी अध्यापक की सेवा में अधिवर्षिता की आयु के उपरान्त कोई वृद्धि नहीं की जायेगी;

परन्तु यदि किसी अध्यापक की अधिवर्षिता का दिनांक–30जून न हो तो वह शिक्षा सत्र के अन्त तक अर्थत् अनुवर्ती 30 जून तक सेवा में बना रहेगा और अपनी अधिवर्षिता के दिनांक के ठीक अनुवर्ती दिनांक से आगामी 30 जून तक पुनर्नियोजित समझा जायेगा;

परन्तु यह और भी कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ ऐसे अध्यापकों को, जिन्हें 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कारावास का दण्ड दिया गया हो और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन मिल रही हो, उसकी अधिवर्षिता के दिनांक से आगामी 30 जून के पश्चात दो वर्ष की अग्रेतर अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति किया जायेगा;

''परन्तु यह भी कि ऐसे अध्यापकों को, जो द्वितीय परन्तुक के अनुसार, जैसा कि वह जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया (सत्रहवाँ संशोधन) प्रथम परिनियमावली, 1988 के प्रारम्भ के पूर्व था, पुनः नियुक्ति किये गये थे और पुनः नियुक्ति की अवधि के समाप्ति के पश्चात् एक वर्ष की अवधि सामप्त न हुई हो, एक वर्ष की अग्रेतर अवधि के लिए पुनः नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।''

अधिवार्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के उपरान्त अधोलिखित पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों को 2 वर्षों का सेवा में विस्तार किया जायेगा –

(1) पद्म पुरस्कार (पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न आदि)

(2) शान्ति स्वरूप भटनागर एवार्ड

(3) जमनालाल बजाज एवार्ड

(4) ज्ञानपीठ एवार्ड

(5) डी0 बी0 सी0 राय एवार्ड

धारा 49

12.06 (3)– विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक जो 01 अगस्त 1975 को परिनियम 12.06(2) में विनिर्दिष्ट अधिवर्षिता की आयु के उपरान्त बढ़ाई गयी सेवावधि में कार्य कर रहा था और इस

प्रकार से बढ़ाई गई सेवावधि उक्त दिनांक के पूर्व स्वीकृत की गई थी, उक्त दिनांक को प्रवृत्त नियमों और विनियमों के उपबन्धों के अनुसार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति पर सेवा निवृत्त हो जायेगा, किन्तु ऐसा अध्यापक नये वेतनमान का लाभ उठाने का हकदार नहीं होगा।

धारा 49

12.06 (4)– विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की सेवानिवृत्ति का दिनांक परिनियम 12.06(2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उस अध्यापक के बांसठवें जन्म दिनांक के ठीक पूर्व का दिनांक होगा।

भाग–7

अन्य उपबन्ध

धारा 32 तथा 49

12.07(1)– इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी अध्यापक और विश्वविद्यालय के बीच की गयी कोई नियुक्ति संविदा इस अध्याय में दिये गये परिनियमों के उपबन्धों के अधीन होगी, और इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार तथा परिशिष्ट ''ड.'' में दिये गये प्रपत्र की शर्तों के अनुसार परिष्कृत समझी जाएगी।

धारा 49

12.07(2)– परिनियम 12.04(4)(1) के खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (घ) या खण्ड (ड.) में उल्लिखित किसी कारण से सेवा से पदच्युत किया गया विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक किसी विश्वविद्यालय या ऐसे किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में किसी भी रूप में फिर से नियोजित नहीं किया जायेगा;

धारा 49 12.07(3)

(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक परिशिष्ट ''च'' में दिये गये प्रपत्र में अपनी वार्षिक शैक्षणिक प्रगति रिपोर्ट दो प्रतियों में तैयार करेगा। मूल रिपोर्ट कुलपति के पास रखी जाएगी और उसकी प्रति अध्यापक अपने पास रखेगा।

(2) मूल रिपोर्ट पर, उसे कुलपति को देने के पूर्व, विभागाध्यक्ष से भिन्न अध्यापक की दशा में सम्बद्ध विभागाध्याध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायगा।

(3) किसी शिक्षा सत्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट उक्त सत्र के अनुवर्ती जुलाई के अन्त तक, या सत्र समाप्त होने के एक मास के भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, दी जायेगी।

धारा 49

12.07(4) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्राधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

धारा 49

12.07(5) जहाँ अधिनियम या इस परिनियमावली या अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन किसी अध्यापक पर कोई नोटिस तामील करना अपेक्षित हो और ऐसा अध्यापक नगर में न हो, वहाँ ऐसी नोटिस उसे उसके अन्तिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्री डाक से भेजी जा सकती है।

भाग–8

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता

धारा 16 (4) तथा 49 (घ)

12.08(1) इस अध्याय के परिनियमों से इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व से विश्वविद्यालय में नियोजित अध्यापकों की परस्पर ज्येष्ठता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

धारा 16 (4) तथा 49 (घ)

12.08(2)– कुलसचिव का यह कर्त्तब्य होगा कि वह आगे आये हुए उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों के सम्बन्ध में एक पूर्ण और अद्यावधि ज्येष्ठता सूची तैयार करे और रखे।

धारा 49 (घ)

12.08(3)– संकायों के संकायाध्यक्षों में ज्येष्ठता का अवधारण उनके द्वारा संकाय के संकायाध्यक्ष के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायगा।

परन्तु जब दो या उससे अधिक संकायाध्यक्ष उक्त पद पर समान समयावधि तक रहे हों तो आयु में ज्येष्ठ संकायाध्यक्ष इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायगा।

धारा 49 (घ)

12.08(4)– विभागाध्यक्षों में ज्येष्ठता का अवधारण उनके द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायेगा :

परन्तु जब दो या इससे अधिक विभागाध्यक्ष उक्त पद पर समान समायावधि तक रहे हों तो आयु में ज्येष्ठ विभागाध्यक्ष इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायगा।

धारा 49 (घ)

12.08(5)– विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाएगा :–

(क) किसी आचार्य को प्रत्येक उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) से ज्येष्ठ समझा जायेगा, और किसी उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) को प्रत्येक प्राध्यापक (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) से ज्येष्ठ समझा जायेगा।

(ख) "एक ही संवर्ग में, वैयक्तिक पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता ऐसे संवर्ग में निरन्तर सेवा की अवधि के अनुसार अवधारित की जायेगी" :

परन्तु जहाँ सीधी भर्ती द्वारा एक से अधिक नियुक्तियाँ एक ही समय में की गयी हों और, यथा स्थिति, चयन समिति या कार्य परिषद द्वारा अधिमानता या योग्यता का क्रम इंगित किया गया हो वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता इस प्रकार इंगित क्रम द्वारा नियंत्रित होगी;

परन्तु यह और की जहाँ एक से अधिक नियुक्तियाँ एक ही बार में पदोन्नति द्वारा की गई हों, वहाँ इस प्रकार नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा धृतपद पर थी।'

(ग) जब (जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया से भिन्न) किसी विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय या किसी संस्थान में चाहे वह उत्तर प्रदेश राज्य में या उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित हो, मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक विश्वविद्यालय में तत स्थनीय पंक्ति या श्रेणी के पद पर चाहे पहली अगस्त, 1981 के पूर्व या उसके पश्चात्, नियुक्त किया जाय, तब उस अध्यापक द्वारा ऐसे विश्वविद्यालय में उस श्रेणी या पंक्ति में की गयी सेवा अवधि को उसके सेवाकाल में सम्मिलित किया जायेगा।

(घ) जब किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक चाहे इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात् विश्वविद्यालय में अध्यापक नियुक्त किया जाय तब उस अध्यापक की ऐसे महाविद्यालय में मौलिक रूप में की गयी सेवा अवधि की आधी अवधि को उसकी सेवा अवधि में सम्मिलित किया जायगा।

(ड.) किसी विश्वविद्यालय या संस्थान में प्रशासकीय पद के प्रति की गयी सेवा की गणना ज्येष्ठाता के प्रयोजनार्थ नहीं की जायगी।

स्पष्टीकरण :इस अध्याय में, पद ''प्रशासकीय नियुक्ति'' का तात्पर्य धारा 13 की उपधारा(6) के अधीन की गयी नियुक्ति से है।

(च) ऐसे अस्थायी पद पर अनवरत सेवा की, जिस पर कोई अध्यापक चयन समिति को निर्देश किये जाने के पश्चात नियुक्त किया जाय और यदि उसके पश्चात् धारा 31(3) (ख) के अधीन उस पद पर मौलिक रूप में नियुक्त किया जाय, गणना ज्येष्ठता के लिए की जायेगी।

धारा 49 (घ)

12.08(6)– जहाँ एक ही संवर्ग के एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की अनवरत सेवा की गणना किये जाने के हकदार हो, वहाँ ऐसे अध्यापकों की सापेक्ष ज्येष्ठता निम्नलिखित प्रकार से अवधारित की जायेगीः–

(1) आचार्यों की स्थित में, उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर्स) के रूप में की गई मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायगा।

(2) उपाचार्यों (एसोसिएट प्रोफेसर्स) की स्थिति में प्राध्यापक (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायगा।

(3) उन आचार्यों की स्थिति में, जिनकी उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) के रूप में भी सेवा की अवधि उतनी ही हो तो प्राध्यापक (असिस्टेन्ट प्रोफेसर)के रूप में उनकी सेवा की अवधि पर विचार किया जायगा।

(4) विश्वविद्यालयो से सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयो में उपाचार्य का संवर्ग विद्यमान न होने के कारण सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयो के ऐसे प्रवक्ताओं को जिन्हे चयन वेतनमान/वैयक्तिक वेतनमान/कैरियर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत शोध उपाधि घृत करने की स्थिति में उपाचार्य पदनाम अनुमन्य कराया गया है, की प्राध्यापक संवर्ग में पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी जो उन्हें उपाचार्य पदनाम अनुमन्य होने के समय उनके द्वारा घृत प्रवक्ता पद पर थी।

धारा 49 (घ)

12.08(7)– जहाँ एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों और उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता किन्हीं पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसार अवधारित नहीं की जा सकती है वहाँ ऐसे अध्यापकों की ज्येष्ठता वयोवृद्धता के आधार पर अवधारित की जायगी।

धारा 49 (घ)

12.08(8)–(1) किसी अन्य परिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि कार्य परिषद :–

(क) चयन समिति की सिफारितश से सहमत हो, और एक ही विभाग में अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए दो या अधिक व्यक्तियों के नाम को अनुमोदित करे तो वह ऐसा अनुमोदन अभिलिखित करते समय, ऐसे अध्यापकों की योग्यता–क्रम अवधारित करेगी;

(ख) चयन समिति की सिफारिशों से सहमत न हो और धारा 31(8)(क) के अधीन मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करे तो कुलाधिपति उन मामलों में जहाँ एक ही विभाग में दो या अधिक अध्यापकों की नियुक्ति अन्तर्ग्रस्त हो, ऐसे निर्देश का अवधारण करते समय ऐसे अध्यापकों की योग्यता–क्रम अवधारित करेंगे।

(2) ऐसे योग्यता–क्रम की जिसमें खण्ड(1) के अधीन दो या अधिक अध्यापक रखे जायं, सूचना सम्बद्ध अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के पूर्व दी जायगी।

धारा 7 (झ) तथा 49 (घ)

12.08(9)– (1) कुलपति समय–समय पर एक या अधिक ज्येष्ठता समिति गठित करेंगे जिसमें/जिनमें अध्यक्ष के रूप में कुलपति और कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जाने वाले दो संकायाध्यक्ष होंगे :–

परन्तु उस संकाय का, जिससे अध्यापकों का (जिनकी ज्येष्ठता विवादग्रस्त हो) सम्बन्ध हो, संकायाध्यक्ष सापेक्ष ज्येष्ठता समिति का सदस्य नहीं होगा।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की ज्येष्ठता के बारे में प्रत्येक विवाद ज्येष्ठता समिति को निर्दिष्ट किया जायगा जो विनिश्चय के कारण उल्लिखित करते हुए, उसे विनिश्चित करेगी।

(3) ज्येष्ठता समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्यच संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर कार्य परिषद् को अपील कर सकता है। यदि कार्य परिषद् समिति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण बतायेगी।

अध्याय–11

उपाधियाँ और डिप्लोमा

धारा 7 (6), 10 (2)तथा 49 (ज)

11.01 डाक्टर आफ लेटर्स(डी0लिट0) अथवा महामहोपाध्याय के सम्मानार्थ उपाधि ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने साहित्य, दर्शनशास्त्र, कला, संगीत, चित्रकारी अथवा मानविकी, समाज विज्ञान, समाजकार्य, वाणिज्य एवं प्रबन्धशास्त्र, शिक्षा, विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान संकाय, पत्रकारिता संस्थान संकाय को सौंपे गये किसी अन्य विषय की प्रगति में पर्याप्त रूप से योगदान किया हो, अथवा जिन्होंने शिक्षा के लिए उल्लेखनीय सेवा की हो, प्रदान की जायेगी।

धारा 7 (6) 10 (2) तथा 49 (ज)

11.02 कार्य परिषद् स्वतः अथवा विद्या परिषद की सिफारिश पर, जो उसकी कुल सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित और मत देनेवाले सदस्यों के कम से कम दो–तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किया जाय, सम्मानित उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति को धारा 10(2) के अधीन पुष्टि के लिए प्रस्तुत कर सकती है–

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जो विश्वविद्यालय के किसी प्रधिकारी या निकाय का सदस्य हो, ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायगा।

धारा 49 (1) तथा 67

11.03 विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत किसी उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र को वापस लेने के लिए धारा 67 के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व, सम्बद्ध व्यक्ति को उसके विरूद्ध लगााये गये आरोपों को स्पष्ट करने के लिए अवसर दिया जायेगा। कुलसचिव उसके विरूद्ध निर्मित आरोपों की सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजेगा और सम्बद्ध व्यक्ति से अपेक्षा की जायेगी कि वह आरोपों की प्राप्ति से कम से कम पन्द्रह दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे।

धारा 49 (1) तथा 67

11.04 सम्मानार्थ उपाधि को वापस लेने के प्रत्येक प्रस्ताव पर कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी।

अध्याय–12

सम्बद्ध महाविद्यालय

धारा 37 14.01 (1) इस परिनियमावली के प्रकाशन के दिनांक को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों की सूची परिशिष्ट 'अ' में दी गयी है।

धारा 37 (2) 14.01 (2) किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता के लिए प्रत्येक आवेदन–पत्र

तथा 49 (ड.) इस प्रकार दिया जायेगा कि उस सत्र के जिसके सम्बन्ध में सम्बद्धता मांगी गई है, प्रारम्भ होने के कम से कम बारह मास पूर्व कुल–सचिव के पास पहुँच जाय।

परन्तु यह कि विशेष परिस्थितियों में, कुलाधिपति उच्च शिक्षा के हित में उक्त अवधि को उस सीमा तक कम कर सकता है जहाँ तक वह आवश्यक समझें।

12.01(3) किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता के लिए प्रत्येक आवेदन निम्नलिखित के साथ दिया जायेगा–

(एक) ऐसी सम्बद्धता के लिए राज्य सरकार से प्राप्त निर्वाधन प्रमाण पत्र,

और

(दो) विश्वविद्यालय को देय दो हजार रुपये की धनराशि का एक बैंक ड्राफ्ट जो वापस नहीं होगा।

टिप्पणी :– सम्बद्धता शुल्क समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जायेगी।

धारा 37 (2) तथा 49 (ड.)

12.01(4) कार्य परिषद के समक्ष सम्बद्धता का आवेदन–पत्र प्रस्तुत किये जाने तथा 49 (ड.) के पूर्व कुलपति को निम्नलिखित विवरण के बारे में अपना समाधान अवश्य कर लेना चाहिए अर्थात–

(क) परिनियम 14.01(5), 14.01(6), और 14.01(7), के उपबन्धों का पालन किया गया है।

(ख) संस्था उस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की मांग को पूरा करती है।

(ग) सम्बन्धित प्रबन्धतंत्र ने निम्नलिखित की व्यवस्था की है या व्यवस्था करने के लिए उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन है–

(एक) परिशिष्ट में दिए गये मानकों के अनुसार उपयुक्त और पर्याप्त भवन।

(दो) परिशिष्ट–**''ब''** में दिए गये मानकों के अनुसार पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन सामग्री, उपस्कर और प्रयोगशाला की पर्याप्त सुविधाएं,

(तीन) दो हेक्टेयर भूमि (आच्छादित क्षेत्र को छोडकर) जिसे महिला महाविद्यालय की दशा में शिथिल किया जा सकता है,

नोट : परिनियम 14.01(4), के (एक), (दो) तथा (तीन) उपबन्धों के लिये परिशिष्ट **''ब''** दृष्टव्य है।

(चार) छात्रों के स्वास्थ्य और मनोरंजन की सुविधाएँ,

(पांच) कम से कम तीन वर्ष के लिए महाविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तों के भुगतान, और

(छः) प्रस्तावित महाविद्यालय का मूल निकाय रजिस्ट्रीकृत निकाय है।

धारा 37 (2) तथा 49 (ड.)

12.01(5) प्रत्येक महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र के संविधान में यह व्यवस्था होगी कि–

(क) महाविद्यालय का प्राचार्य प्रबन्धतंत्र का पदेन सदस्य होगा।

(ख) प्रबन्धतंत्र के पच्चीस प्रतिशत् सदस्य अध्यापक होंगे (जिसमें प्राचार्य सम्मिलित है)।

(ग) अध्यापक ''खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्राचार्य को छोडकर'' चक्रानुक्रम से ज्येष्ठता क्रम में एक वर्ष की अवधि के लिए ऐसे सदस्य होंगे।

(घ) प्रबन्धतंत्र का एक सदस्य महाविद्यालय के तृतीय वर्ग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों में से होगा, जिसका चयन चक्रानुक्रम से ज्येष्ठताक्रम में एक वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा।

(ड.) खण्ड (ग) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रबन्धतंत्र के कोई दो सदस्य धारा 20 के स्पष्टीकरण के अर्थान्तर्गत एक दूसरे के नातेदार न होंगे और न कोई ऐसा सदस्य ही होगा जो धारा 39 के अधीन सदस्य होने के लिए अनर्ह हो। प्रबन्ध समिति का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा और कोई भी पदाधिकारी कुल मिलाकर दो पदावधियों से अधिक के लिए कोई पद धारण नहीं करेगा।

(च) उक्त संविधान में कुलपति की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(छ) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि प्रबन्धतंत्र के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में कोई व्यक्ति सम्यक रूप से चुना गया है या नहीं अथवा उसका सदस्य या पदाधिकारी होने का हकदार है या नहीं या प्रबन्धतंत्र बैधरूप से गठित है या नहीं तो कुलपति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(ज) यदि कुलपति प्रबन्धतंत्र की वैधता के प्रश्न का विनिश्चय करते समय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रबन्धतंत्र तत्समय बैधरूप से गठित नहीं था तो वह महाविद्यालय के कार्यकलापों की व्यवस्था और नियन्त्रण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए अग्रतर कार्यवाही करेगाा जब तक कि प्रबन्धतंत्र का बैध रूप से गठन न हो या राज्य सरकार धारा 57 और 58 के अधीन कार्यवाही न करे या सक्षम अधिकारिता का न्यायालय विधि के अधीन रिसीवर नियुक्त न करे तब तक के लिए प्रशासक नियुक्त करने को अग्रसर होंगे।

(झ) महाविद्यालय कुलपति द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्यिों के समक्ष या विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षक पैनेल के समक्ष महाविद्यालय की आय और व्यय से सम्बन्धित सभी मूल दस्तावेजों को ऐसी सोसाइटी/न्याय/बोर्ड/मूल निकाय के लेखे सहित जो महाविद्यालय को चला रही हो, रखने के लिये तैयार है।

(ञ)परिनियम 14.01(6) निर्दिष्ट विन्यासित निधि से प्राप्त आय महाविद्यालय के पोषण के लिए उपलब्ध रहेगी।

धारा 39 तथा 49 (घ)

12.01(6) (1) प्रत्येक महाविद्यालय के लिये (जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय न हो) एक पृथक विन्यास निधि होगी जो सम्बद्ध विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पास गिरवी रखी जायेगी और तब तक अन्य सक्रांत नहीं की जायेगी जब तक महाविद्यालय विद्यमान रहे, जिसका मूल्य–

(एक) कला में 7 विषयों से अनधिक की मान्यता के लिये आवेदन–पत्र देने वाले महाविद्यालय की दशा में 2 लाख रूपया

(दो) वाणिज्य में मान्यता के लिये आवेदन–पत्र देने वाले महाविद्यालय के लिये 2 लाख रूपया,

(तीन) शिक्षा में मान्यता के लिए आवेदन–पत्र देने वाले महाविद्यालय की दशा में 2.5 लाख रूपया,

(चार) विधि (तृवर्षीय) तथा पंचवर्षीय में मान्यता के लिए आवेदन पत्र देने वाले महाविद्यालय की दशा में क्रमशः 4–6 लाख रूपया,

(पांच) विज्ञान में 5 विषयों से अनधिक की मान्यता के लिए आवेदन पत्र देने वाले महाविद्यालय की दशा में 3 लाख रूपया,

(छः) कृषि में मान्यता के लिए आवेदन पत्र देने वाले महाविद्यालय की दशा में 3 लाख रूपया जिसकी व्यवस्था अनन्य रूप से उपाधि कक्षाओं के लिये की जायेगी।

टिप्पणीः– स्नातक कला स्तर पर अतिरिक्त विषयों के लिए प्रयोगात्मक विषय के लिये 50,000=00 रूपये और किसी अन्य विषय के लिए 50,000=00 रूपये और विज्ञान या कृषि की स्थिति में प्रति विषय 75,000=00 रूपये की अतिरिक्त विन्यास निधि की व्यवस्था करनी होगी।

टिप्पणीः– (क) यदि महाविद्यालय ने इस परिनियमावली के प्रवर्तन के पूर्व विन्यास निधि की व्यवस्था कर दी थी तो उसे कला, वाणिज्य, शिक्षा या विधि की स्थिति में प्रत्येक विषय के लिए 75,000=00 रूपये और विज्ञान या कृषि की स्थिति में प्रत्येक विषय के लिए 1,22,500=00 रूपये की अतिरिक्त विन्यास निधि की व्यवस्था करनी होगी।

(ख) प्राभूत धनराशि हेतु परिशिष्ट **"स"** द्रष्टव्य है।

(3) ऐसे विन्यास निधि को किसी अनुसूचित बैंक के सावधि निक्षेप लेखा में या ऐसे अन्य रीति से विनियोजित किया जायेगा जैसा विश्वविद्यालय निर्देश दे।

धारा 37 (2) 12.01(7) कोई महाविद्यालय जो किसी ऐसे पाठ्यक्रम में सम्बद्धता चाहता हो

तथा 49 (ड.) जिसमें प्रयोगशाला कार्य अपेक्षित हो विश्वविद्यालय का निम्नलिखित के सम्बन्ध में अग्रेतर समाधान करेगा–

(क) विज्ञान की प्रत्येक शाखा के लिये पृथक प्रयोगशालाओं की व्यवस्था है और उनमें से प्रत्येक उपयुक्त रूप से सुसज्जित है, और

(ख) प्रयोगात्मक कार्य करने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त संसाधन, उपकरण और उपस्कर की व्यवस्था है।

धारा 37 (2) 12.01(8) यदि कुलपति का पूर्ववर्ती परिनियमों के विषयों के सम्बन्ध में समाधान हो

तथा 49 (ड.) जाये, तथा महाविद्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाय तो आवेदन पत्र कार्य परिषद् के समक्ष रखा जायेगा, जो महाविद्यालय का निरीक्षण करने और सभी सुसंगत विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए एक निरीक्षक पैनेल नियुक्त करेगी अथवा निर्णय करने हेतु कुलपति को अधिकृत करेगी। इस प्रकार नियुक्त पैनेल में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी पदेन सदस्य होंगे।

धारा 37 (2) 12.01(9) साधारणतया सभी निरीक्षण सम्बद्धता के लिए आवेदन–पत्र की प्राप्ति के

तथा 49 (ड.) दिनांक से 4 मास के भीतर पूरे कर दिये जायेंगे। कार्य परिषद् द्वारा सम्बद्धता के लिये कोई आवेदन–पत्र तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि निरीक्षक पैनेल की रिपोर्ट पर मान्यता के लिए प्रस्तावित महाविद्यालय की वित्तीय सुस्थिति तथा उपलब्ध साधनों के सम्बन्ध में उसका समाधान न हो जाय। आवेदन–पत्र स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने की कार्यवाही उस वर्ष के, जिसमें कक्षाएँ प्रारम्भ करने का प्रस्ताव हो, 15 मई, के पूर्व पूरी हो जानी चाहिए।

धारा 37 (2) 12.01(10) जहाँ किसी महाविद्यालय को कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए सम्बद्धता

तथा 49 (ड.) प्रदान की जाय वहाँ महाविद्यालय तब तक छात्रों को भर्ती या रजिस्टर नहीं करेगा जब तक कि कुलपति ने सम्यक रूप से निरीक्षण के पश्चात एक प्रमाण पत्र जारी न कर दिया हो कि विश्वविद्यालय द्वारा आरोपित शर्ते सम्यक रूप से पूरी की ली गयी हैं। यदि

महाविद्यालय को स्वयं निरीक्षण करने में कुलपति की व्यवहारिक कठिनाइयाँ हों तो वह सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण करने के लिये किसी अर्ह ब्यक्ति अथवा किन्हीं अर्ह ब्यक्तियों के नाम–निर्दिष्ट कर सकता है।

नयी उपाधियों अथवा अतिरिक्त विषयों के लिए महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करना

धारा 37 (2) 12.01(11) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा नयी उपाधि के लिए अथवा नये विषयों

तथा 49 (ड.) में शिक्षण का पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए प्रत्येक आवेदन–पत्र इस प्रकार दिया जायेगा कि वह उस वर्ष के जिसमें ऐसे पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव हो पूर्ववर्ती वर्ष के 15 अगस्त, के पूर्व कुलसचिव के पास पहुँच जाय।

धारा 37 (2) 12.01(12) प्रत्येक महाविद्यालय जो किसी नयी उपाधि के लिए या नये विषय में

तथा (ड.) सम्बद्धता के लिये आवेदन–पत्र दे, अपने आवेदन–पत्र के साथ प्रत्यके विषय के लिये निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट संलग्न कर भेजेगा जो वापस नहीं की जायेगी।

धारा 37 (2) 12.01(13) किसी नये विषय में सम्बद्धता के लिये किसी आवेदन–पत्र पर तब तक

तथा 49 (ड.) विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलसचिव लिखित रूप से यह प्रमाण–पत्र न दे दें कि–

(एक) ऐसी सम्बद्धता के लिए आवेदन–पत्र के साथ राज्य सरकार से निर्वाधन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है, और

(दो) सम्बद्धता और या पूर्व सम्बद्धता की शर्तें सम्पूर्णतः पूरी कर ली गयी हैं।

धारा 37 (2) 12.01(14) यदि कुलपति को ऐसी सम्बद्धता दिये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध

तथा 49 (ड.) में समाधान हो जाय और यदि महाविद्यालय ने पिछली सम्बद्धता की समस्त शर्तों को पूरा कर दिया हो और बराबर पूरा कर रहा हो तो आवेदन–पत्र कार्य–परिषद के समक्ष रखा जायेगा जो एक निरीक्षक पैनेल नियुक्त करेगी तथा परिनियम 14.01(8) के उपबन्ध लागू होंगे।

धारा 37 (2) 12.01(15) साधारणतया, परिनियम 14.01(14) में निर्दिष्ट सभी निरीक्षण अक्टूबर के

तथा 49(ड.) अन्त तक पूरे कर लिये जायेंगे जिससे कि विश्वविद्यालय की कार्य परिषद समय से निरीक्षण रिपोर्ट की संवीक्षा कर सके।

धारा 37 (2) 12.01(16) नयी उपाधियों अथवा अतिरिक्त विषयों की सम्बद्धता के लिये

तथा 49 (ड.) आवेदन–पत्र देने वाले सम्बद्ध महाविद्यालय पर परिनियम 14.01(10) द्वारा आरोपित निर्बन्धन लागू होंगे।

धारा 37 (2) 12.01(17) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय छात्रों के महाविद्यालय में प्रवेश लेने, निवास

तथा 49 (ड.) तथा अनुशासन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करेगा।

धारा 37 (2) 12.01(18) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय विश्वविद्यालय को अपने ऐसे भवनों,

तथा 49 (ड.) पुस्तकालयों तथा उपस्कर और उपकरण सहित प्रयोगशालायें और अपने ऐसे अध्यापक वर्ग तथा अन्य कर्मचारियों की सेवायें भी उपलब्ध करायेगा जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो।

धारा 37 (2) 12.01(19) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक वर्ग में ऐसी अर्हता के अध्यापक

तथा 49 (ड.) होंगे जिन्हें ऐसी वेतन–श्रेणी दी जायेगी और जो सेवा की ऐसी अन्य शर्तो द्वारा नियंत्रित होंगे जो समय–समय पर अध्यादेशों में अथवा उस निमित्त जारी किये गये राज्य सरकार के आदेशों में निर्धारित की जायें–

परन्तु यह कि राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना वेतन श्रेणी तथा अर्हताओं से सम्बन्धित कोई भी अध्यादेश नहीं बनाया जायेगा।

धारा 37 (2) 12.01(20) जब किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य का पद रिक्त हो जाय, तब

तथा 49 (ड.) प्रबन्धतंत्र किसी अध्यापक को तीन मास की अवधि के लिये या जब तक किसी नियमित प्राचार्य की नियुक्ति न हो जाय, इनमें से जो भी पहले हो, प्राचार्य के रूप में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त कर सकता है। यदि तीन मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पूर्व कोई नियमित प्राचार्य नियुक्त न किया जाय या ऐसा प्राचार्य अपना पद ग्रहण न करें तो महाविद्यालय का ज्येष्ठतम अध्यापक ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में तब तक स्थानापन्न रूप में कार्य करेगा जब तक कि कोई नियमित प्राचार्य नियुक्त न कर दिया जाय।

धारा 37 (2) 12.01(21) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय परिनियम 14.01(4) से 14.01(7) में दी गयी

तथा 49 (ड.) शर्तों का अनुपालन करेगा चाहे वह इस परिनियमावली के पहले या बाद से विश्वविद्यालय में सम्बद्ध रहा हो।

परन्तु यह और कि यदि ऐसे महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन कुलपति द्वारा जारी की गयी अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट समय के भीतर पूरा नहीं करता तो कुलपति परिनियम 14.01(28) से 14.01(32) के अनुसार सम्बद्धता वापस लेने के लिये कार्यवाही कर सकता है।

धारा 37 (2) 12.01(22) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय प्रति वर्ष 15 अगस्त तक प्राचार्य के माध्यम से कुलसचिव को इस आशय का एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि सम्बद्धता के लिये निर्धारित शर्ते पूरी होती जा रही है।

धारा 37 (2) 12.01(23) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए अपेक्षित

तथा 49 (ड.) रजिस्टरों एवं लेखा अभिलेखों को रखेगा और समय–समय पर कुलसचिव को ऐसे प्रपत्र में जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षा की जाय, विवरणी प्रस्तुत करेगा।

धारा 37 (2) 12.01(24) (1) जहां कार्य परिषद् अथवा कुलपति किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का

तथा 49 (ड.) निरीक्षण कराये वहाँ वह महाविद्यालय को ऐसे निरीक्षण के परिणाम और उसके सम्बन्ध में अपने विचार सूचित कर सकता है और की जाने वाली कार्यवाही के बारे में प्रबन्धतंत्र को निर्देश दे सकता है।

(2) जहाँ किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र कार्य परिषद् या कुलपति के संतोषानुसार कार्यवाही न करे वहाँ परिषद् या तो स्वप्रेरणा से या कुलपति से इस

आशय की रिर्पोट प्राप्त होने पर प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत किसी स्पष्टीकरण अथवा अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे और प्रबन्धतंत्र के लिए ऐसे निर्देशों का पालन बाध्यकारी होगा। निर्देशों का अनुपालन न करने पर कार्य परिषद् परिनियम 12.01(31) के अधीन अथवा उसके अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

धारा 37 (2) 12.01(25) महाविद्यालय के अध्यापक–वर्ग के ऐसे समस्त पदों के सम्बन्ध में जो

तथा 49 (ड.) अस्थायी अथवा स्थायी रूप से रिक्त हों, उसके रिक्त होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर कुलसचिव को सूचना दी जायेगी।

धारा 37 (2) 12.01(26) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में किसी कक्षा अथवा अनुभाग (सेक्शन) में

तथा 49 (ड.) छात्रों की संख्या, अध्ययन कक्ष में व्याख्यान के प्रयोजनार्थ बिना कुलपति की पूर्वानुज्ञा के 60 से अधिक न होगी, किन्तु यह किसी भी दशा में 80 से अधिक न होगी।

धारा 37 (2) 12.01(27) किसी महाविद्यालय द्वारा किसी कक्षा में कोई नया अनुभाग खोलने के

तथा 49 (ड.) पूर्व, अपेक्षित अतिरिक्त अध्यापक वर्ग, उनकी अर्हताएँ और वेतन, नये अनुभाग की अध्यापन सारिणी, उपलब्ध स्थान तथा अतिरिक्त उपस्कर एवं पुस्तकालय की सुविधाओं की ब्यवस्था के सम्बन्ध में पूरी सूचना विश्वविद्यालय को भेजी जायेगी और कुलपति की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी।

(क) विश्वविद्यालय अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्थित महाविद्यालयों एवं उनमें पढ़ाये जा रहे विषयों की स्थाई/अस्थाई सम्बद्धता अथवा मान्यता का शत प्रतिशत परीक्षण एवं निरीक्षण करेंगे तथा इस संदर्भ में संगत नियमों के अनुसार जहाँ सम्बद्धता अथवा मान्यता की आवश्यकता हो, के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करेंगे। निदेशक उच्च शिक्षा भी पृथक रूप में सभी सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से विभिन्न महाविद्यालयों में तदनुसार सत्यापन करवायेंगे एवं आवश्यकतानुसार कार्यवाही करेंगे।

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा मात्र उन्हीं महाविद्यालयों एवं संस्थानों के छात्रों की परीक्षायें सम्पादित करायी जायेगी जिनको उत्तर प्रदेश शासन की स्वीकृति एवं कार्य परिषद् के अनुमोदन के उपरान्त विधिवत सम्बद्धता प्रदान की जा चुकी है।

(ग) विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थित असम्बद्ध संस्थानों जिनमें स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे है तथा यदि ऐसे संस्थान सम्बद्धता हेतु मध्य सत्र में प्रार्थना पत्र देते है तो विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे प्रस्तावों में नये सत्र से सम्बद्धता की संस्तुति की जायेगी। जिन प्रबन्धकीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शासन द्वारा स्वीकृत राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा आयोजित कराई गई हो, ऐसे पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थानों की परीक्षायें मात्र उन्हीं छात्रों के लिये आयोजित करायी जायेंगी जो इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रविष्ट किये गये हों अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित किये गये हों। स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों की स्थिति में विभिन्न विषयों में सामान्य कोटा, (फ्री), भुगतानकोटा (पेड) तथा 15 प्रतिशत एन0आर0 आई0 कोटे में निर्धारित सीटों तथा अर्हता के आधार पर जिनकी सूची विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराई गयी है, से अधिक परीक्षार्थियों को अनुमति नही दी जायेगी तथा इसके अतिरिक्त यदि इन संस्थानों द्वारा अपने स्तर से प्रवेश दिये गये हों तो इन छात्रों की

परीक्षाएं सम्पादित नहीं करायी जायेगी। महाविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा छात्रों के फोटो सहित फार्म निर्धारित फीस के साथ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार जमा किये जायेंगे तथा कलेण्डर के अनुसार निर्धारित समय के अन्तर्गत छात्रों की 75 प्रतिशत उपस्थिति एवं शिक्षण दिवसों के पूर्ण होने पर ही परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराई जायेगी

(घ) चिकित्सा शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में ऐसे महाविद्यालय/संस्थान के छात्रों की परीक्षा सम्बद्धता के बाद ही आयोजित की जायेगी। शासन द्वारा किसी महाविद्यालय/संस्थान को दिये गये अनापत्ति प्रमाण–पत्र (क्लीयरेन्स) अथवा किसी सांविधिक निकाय (Statutary Body) की मान्यता, छात्र आवंटित करने का आधार नहीं होगी।

(ड.) बिना सम्बद्धता के परीक्षा आयोजित कराने के किसी सक्षम न्यायालय के आदेश पर विश्वविद्यालय अपने स्तर से समुचित कायवाही करेगा।

सम्बद्धता वापस लेना

धारा 37 (8) तथा 49 (ड.) 12.01(28) किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता का बना रहना इस बात पर निर्भर करेगा कि महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों का बराबर पालन किया जा रहा है।

धारा 37 (8) तथा 49 (ड.) 12.01(29) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त समझी जायेगी, यदि वह लगातार तीन वर्षों तक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा में कोई अभ्यर्थी न भेजे।

धारा 37 (8) तथा 49 (ड.) 12.01(30) कार्य परिषद् किसी महाविद्यालय को किसी विशिष्ट कक्षा में छात्रों को प्रवेश न करने का निर्देश दे सकती है। यदि कार्य परिषद् की राय में सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा उस कक्षा को प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित शर्तों की उपेक्षा की गयी हो। जब कार्य परिषद् के संतोषानुसार शर्तें पूरी कर दी जाय तब कार्य परिषद् की पूर्वानुज्ञा से कक्षायें पुनः प्रारम्भ की जा सकती हैं।

धारा 37 (8) तथा 49 (ड.) 12.01(31) यदि कोई महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की अपेक्षाओं की उपेक्षा करे और विश्वविद्यालय द्वारा नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी शर्तों को पूरा न करे तो कार्य परिषद्, उत्तर प्रदेश शासन की पूर्व स्वीकृति से, तब तक के लिए मान्यता निलम्बित कर सकती है जब तक कि कार्य परिषद् के संतोषानुसार शर्तें पूरी न कर दी जाय।

धारा 37 (8) तथा 49 (ड.) 12.01(32) (1) कार्य परिषद् उत्तर प्रदेश शासन की पूर्व स्वीकृति से किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को या तो पूर्णतः अथवा किसी उपाधि या विषय में सम्बद्धता के विशेषाधिकारों से वंचित कर सकती है यदि वह कार्य परिषद् के निर्देशों का अनुपालन न करे अथवा सम्बद्धता की शर्तों को पूरा न करे या घोर कुप्रबन्ध के कारण अथवा किसी अन्य कारण से कार्य परिषद् की यह राय हो कि महाविद्यालय को ऐसी सम्बद्धता से वंचित किया जाना चाहिए।

(2) यदि कर्मचारी वर्ग के वेतन का भुगतान नियमित रूप से न किया जाय, अथवा अध्यापकों को उनका वह वेतन न दिया गया हो जिसके लिये वे परिनियमों अथवा

अध्यादेशों के अधीन हकदार थे, तो सम्बद्ध महाविद्यालय की सम्बद्धता इस परिनियम के अर्थान्तर्गत वापस ली जा सकेगी।

धारा 37 (8) तथा 49 (ड.) 12.01(33) कार्य परिषद् पूर्ववर्ती परिनियमों के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व किसी महाविद्यालय से, विर्निदष्ट अवधि के भीतर, सम्बद्धता आदि की शर्तों में निर्दिष्ट किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही करने की अपेक्षा करेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

धारा 49 (ढ) 12.01(34) जब कभी किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो तो उन व्यक्तियों के द्वारा जिनके सम्बन्ध में कुलपति द्वारा यह पाया जाय कि महाविद्यालय की सम्पत्ति वस्तुतः किसके कब्जे और नियंत्रण में है, यह अधिनियम तथा इन परिनियमों के प्रयोजनार्थ ऐसे महाविद्यालय का, जब तक कि सक्षम अधिकारिता का न्यायालय कोई अन्यथा आदेश न दे, प्रबन्धतंत्र गठित होने की मान्यता दी जा सकती है।

परन्तु इस परिनियम के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व कुलपति, विरोधी दावेदारों को लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देगा।

स्पष्टीकरण– इस बात का अवधारण करने के लिये कि महाविद्यालय की सम्पत्ति वस्तुतः जिसके कब्जे तथा नियंत्रण में है, कुलपति संस्था की निधियों और उसके वास्तविक प्रशासन पर संस्थान की सम्पत्ति से होने वाली आय की प्राप्ति पर नियंत्रण तथा ऐसी अन्य सुसंगत परिस्थितियों को जिनका अवधारणार्थ प्रश्न के लिये महत्व हो, ध्यान में रखेगा।

वित्त, संपरीक्षा तथा लेखा

धारा 49 12.01(35) (क) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र की सहायता के लिये एक वित्त समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे–

(एक) प्रबन्धतंत्र का सभापति अथवा सचिव, जो अध्यक्ष होगा।

(दो) प्रबन्धतंत्र के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित दो अन्य सदस्य।

(तीन) प्राचार्य (पदेन)।

(चार) प्रबन्धतंत्र का ज्येष्टम अध्यापक सदस्य (पदेन)।

(ख) महाविद्यालय का प्राचार्य वित्त समिति का सचिव होगा और वह अधिवेशन बुलाने का हकदार होगा।

धारा 49 12.01(36) वित्त समिति महाविद्यालय का वार्षिक बजट (छात्र निधि को छोड़कर) तैयार करेगी जो प्रबन्धतंत्र के समक्ष विचार तथा अनुमोदन के लिये रखा जायेगा।

धारा 49 12.01(37) ऐसा नया ब्यय, जो महाविद्यालय के बजट में पहले से ही सम्मिलित न हो, वित्त समिति को निर्दिष्ट किये बिना नहीं किया जायेगा।

धारा 49 12.01(38) बजट में ब्यवस्थित आवर्ती ब्यय का किन्हीं विनिर्दिष्ट निर्देशों के अधीन रहते हुए, जो वित्त समिति द्वारा दिये जाये, प्राचार्य द्वारा किया जायेगा।

धारा 49 12.01(39) प्राचार्य द्वारा सभी छात्र निधि विभिन्न समितियों की, जैसे कि खेलकूद

समिति, पत्रिका समिति, अध्ययन कक्ष समिति आदि जिसमें सम्बद्ध महाविद्यालय के छात्रों के प्रतिनिधि भी होंगे, सहायता से प्रशासित होंगी।

धारा 49 12.01(40) छात्र निधि के लेखों की संपरीक्षा प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्त किसी अर्ह संपरीक्षक द्वारा, जो इसके सदस्यों में से न हो, की जायेगी। संपरीक्षण फीस महाविद्यालय की छात्र निधियों पर विधि संगत प्रभावी होंगी, संपरीक्षा रिपोर्ट प्रबन्धतंत्र के समक्ष रखी जायेगी।

धारा 49 12.01(41) छात्र निधि तथा छात्रावासों से फीस सम्बन्धी आय अन्य निधि में अन्तरित नहीं की जायेंगी और इन निधियों से कोई ऋण किसी भी प्रयोजन के लिये नहीं लिया जायेगा।

अध्याय–13

भाग–1

सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों एवं पुस्तकालयाध्यक्ष की अर्हतायें और नियुक्ति

13.01 (अ) सीधी भर्ती के स्नातकोत्तर प्राचार्य

धारा–49(घ)

1. स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अथवा उसके समतुल्य सात सूत्रीय माप में बी–ग्रेड।
2. पी–एच0डी0 अथवा समतुल्य उपाधि।
3. उच्च शिक्षा की संस्थाओं में 15 वर्ष का अध्यापन/शोध का अनुभव।

किन्तु शिक्षण प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में प्राचार्य पद हेतु 15 वर्ष के अध्यापन अथवा प्रशासकीय अनुभव शोध जिसमें न्यूनतम 5 वर्ष का शिक्षण–प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शिक्षण अनुभव अनिवार्य होगा।

13.01 (ब) स्नातक स्तर के प्राचार्य सीधी भर्ती

1. स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अथवा उसके समतुल्य सात सूत्रीय माप में बी0ग्रेड।
2. पी–एच0डी0 अथवा समतुल्य उपाधि।
3. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों और संस्थानों में अध्यापन/शोध का 10 वर्ष का अनुभव किन्तु,

शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों में स्नातक प्राचार्य हेतु 10 वर्ष के शैक्षणिक अनुभव में न्यूनतम 5 वर्ष का शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शिक्षण का अनुभव अनिवार्य होगा।

13.01 (स) प्राध्यापक (असिस्टेन्ट प्रोफेसर)

धारा–49(घ)

13.01–(1)(क) शिक्षण प्रशिक्षण (प्राध्यापक/असिस्टेन्ट प्रोफेसर, बी0एड0/एम0एड0) की शाखा को छोड़कर अन्य ज्ञान की शाखाओं में प्राध्यापक/असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद हेतु न्यूनतम अर्हता निम्नवत् होगी :–

उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम् 55 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा उसके समतुल्य सात सूत्रीय वर्गमाप में बी0ग्रेड के साथ राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण।

(ख) शिक्षण प्रशिक्षण (बी0एड0,एम0एड0) पाठ्यक्रमों में प्राध्यापक (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) हेतु न्यूनतम् अर्हता निम्नवत् होंगी :–

(i) उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ शिक्षा/एम0एड0 में न्यूनतम् 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समतुल्य सात सूत्रीय वर्गमाप में बी0ग्रेड।

(ii) किसी स्कूल विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।

(iii) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अथवा उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण।

(ग) सम्बद्ध महाविद्यालय में प्राध्यापक–शारीरिक शिक्षा के पद हेतु न्यूनतम् अर्हता निम्नवत् होगी :–

उत्तम शैक्षिक अभिलेखों के साथ शारीरिक विज्ञान त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम अथवा खेलकूद में स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम् 55 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा यू0जी0सी0 के सात सूत्रीय वर्गमाप में बी0ग्रेड।

अर्न्तविश्वविद्यालयी/अर्न्तमहाविद्यालयी क्रीड़ा तथा खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने अथवा राष्ट्रीय क्रीड़ा तथा खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं में राज्य का प्रतिनिधित्व करने का प्रमाण पत्र।

शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अथवा उत्तर प्रदेश समतुल्य राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

नोट :– उपर्युक्त क, ख तथा ग श्रेणी में प्राध्यापक (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) या राज्य पात्रता परीक्षा (स्लेट) उत्तीर्ण होना अनिवार्य अर्हता होगी। परन्तु यदि कोई अभ्यर्थी सम्बन्धित विषय में डाक्टर ऑफ फिलासफी की उपाधि धारित करता हो तो उसे नेट या स्लेट परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा।

स्नातक स्तर पर अध्यापन के लिए सम्बन्धित विषय में मास्टर ऑफ फिलासफी उपाधि धारित करने वाले अभ्यर्थी भी अर्ह होंगे तथा इनके लिए नेट या स्लेट परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा।

यह भी कि ''ऐसे अभ्यर्थी जो पी–एच0डी0 उपाधि धारी हों तथा वर्ष 1991 के पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त किये हों तथा विश्वविद्यालय की व्यवस्था में पूर्व से सम्मिलित, कार्यरत हों, को प्राध्यापक(असिस्टेंट प्रोफेसर) एवं लाइब्रेरियन के पद पर नियुक्ति हेतु 5 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुए अर्हता अंक 55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत होगी।

<u>उत्तम शैक्षिक अभिलेख</u>

''सुसंगत स्नातक उपाधि में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक परन्तु नेट/स्लेट एवं उसके समकक्ष पी–एच0डी0 उपाधि धारक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत की छूट''

13.01 (द) पुस्तकालयाध्यक्ष

अनिवार्य–उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/ डाकूमेन्टेशन अथवा समतुल्य व्यावसायिक उपाधि में न्यूनतम 55% प्राप्तांक अथवा यू0जी0सी0 के सात सूत्रीय वर्ग माप में बी0ग्रेड अथवा पुस्तकालय के कम्प्यूटराईजेशन का ज्ञान।

सुसंगत पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाकूमेन्टेशन में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) या राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (स्लेट) उत्तीर्ण होना अनिवार्य अर्हता होगी, परन्तु कोई अभ्यर्थी सम्बन्धित विषय में डॉक्टर ऑफ फिलासफी की उपाधि धारित करता है तो उसे नेट या स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा। यह भी कि ऐसे अभ्यर्थी जो पी–एच0डी0 उपाधि धारी हों तथा वर्ष 1991 के पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त किये हों तथा विश्वविद्यालय की व्यवस्था में पूर्व से सम्मिलित हों, को पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु 5% की छूट प्रदान करते हुए अर्हता अंक 55% से 50% होगी।

नोट :– वर्तमान में पुस्तकालयाध्यक्ष (महाविद्यालय) के पद के लिए उत्तम शैक्षिक अभिलेख वही होगा जो प्राध्यापक (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) पद हेतु निर्धारित है।

धारा 49

13.01(i)– परिनियम 1.02 के खण्ड (2) में निर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली (अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु, वेतनमान और अर्हताएँ), 1975 के आधार पर, जैसा कि वह अधिसूचना संख्या–7259/15–10–75–60 (115)–73, दिनांक–1अगस्त, 1975 और 20अक्टूबर, 1975 के बीच किये गये किसी अध्यापक के चयन पर इस परिनियमावली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

धारा 31 तथा 49 (घ)

13.01(ii)– धारा 31(10) में निर्दिष्ट रिक्ति का विज्ञापन सामान्यतया अभ्यर्थियों को रिक्ति के लिए आवेदन पत्र देने हेतु कम से कम तीन सप्ताह का समय उस दिनांक से देगा जिस दिनांक को समाचार पत्र का अंक निकाला गया जिसमें विज्ञापन छपा है।

धारा 31 (9) तथा 49 (घ)

13.01(iii)– (1) स्ववित्तपोषित महाविद्यालय में अध्यापकों तथा पुस्तकाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए चयन समिति का अधिवेशन प्रबन्धक के आदेश से बुलाया जायगा।

(2) चयन समिति अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति के नाम पर विचार नहीं करेगी जब तक कि उसने इसके लिए आवेदन–पत्र न दिया हो;

(3) चयन समिति का कोई सदस्य, यथास्थिति, समिति या प्रबन्ध समिति के अधिवेशन से बाहर चला जाएगा, यदि ऐसे अधिवेशन में ऐसे सदस्य के किसी नातेदार की (जैसा कि धारा 20 के स्पष्टीकरण में परिभाषित है) नियुक्ति के प्रश्न पर विचार किया जा रहा हो या विचार किया जाना सम्भाव्य हो।

धारा 30 तथा 31

13.01(iv)– (1) यदि चयन समिति नियुक्ति के लिए एक से अधिक अभ्यर्थी के नाम की सिफारिश करे तो वह स्वविकेकानुसार उनके नाम अधिमान क्रम में रख सकती है जहाँ समिति अभ्यर्थियों के नाम अधिमान–क्रम में रखने का विनिश्चय करे वहाँ यह समझा जायगा कि उसने यह इंगित कर दिया है कि प्रथम अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में, द्वितीय अभ्यर्थी नियुक्त किया जा सकता है और द्वितीय अभ्यर्थी के भी उपलब्ध न होने की दशा में, तृतीय अभ्यर्थी नियुक्त किया जा सकता है और यही क्रम आगे भी चलेगा।

(2) चयन–समिति यह सिफारिश कर सकती है कि कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में पद का विज्ञापन पुनः किया जायेगा।

धारा 49 (ख)

13.01(v)–चयन समिति की सिफारिशें तथा उनसे सम्बन्धित प्रबन्ध समिति की कार्यवाहियाँ अत्यन्त गोपनीय मानी जायेंगी।

धारा 21 (1) (xvii), 31 तथा 49 (घ)

13.01(vi)– यदि धारा 31 (2) के अधीन नियुक्ति अध्यापक का कार्य तथा आचरण संतोषजनक समझा जाये तो प्रबन्ध समिति परिवीक्षा अवधि के(जिसके अन्तर्गत बढ़ायी गयी अविध, यदि कोई हो, भी है) अन्त में अध्यापक को स्थायी कर सकती है। संतोषजनक न समझा जाये तो प्रबन्ध समिति परिवीक्षा अवधि के (जिसके अन्तर्गत बढ़ायी गयी अवधि, यदि कोई हो, भी है) दौरान अथवा उसकी समाप्ति पर अध्यापक की सेवायें धारा 31 के उपबन्धों के अनुसार समाप्त कर सकती है।

धारा 30 तथा 49 (घ)

13.01(vii)– चयन समिति का अधिवेशन विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर होगा।

धारा 31 तथा 49 (घ)

13.01(viii)– चयन समिति के सदस्यों को अधिवेशन की सूचना, जो पन्द्रह दिन से कम की नहीं होगी, दी जायेगी और उसकी गणना सूचना भेजे जाने के दिनांक से की जायेगी, नोटिस की तामीली या तो ब्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा की जायेगी।

धारा 31 तथा 49 (घ)

13.01(ix)– अभ्यर्थियों को चयन समिति का अधिवेशन होने के पूर्व कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और उसकी गणना सूचना भेजे जाने के दिनांक से की जायेगी। सूचना की तामीली या तो ब्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा की जायगी।

धारा 31 तथा 49 (ख)

13.01(x)– चयन समिति के सदस्यों को यात्रा तथा दैनिक भत्ता सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा नियमानुसार दिया जायेगा।

13.01(xi)– अत्यधिक विशेष परिस्थितयों में और चयन समिति की सिफारिश पर प्रबन्ध समिति ऐसे अध्यापकों को जो असाधारण रूप से उच्च शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों, प्रारम्भिक नियुक्ति के समय पाँच तक अग्रिम वेतन वृद्धि दे सकती है। यदि किसी मामले में, पाँच से अधिक अग्रिम–वेतन वृद्धि देना आवश्यक हो तो नियुक्ति करने के पूर्व राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

धारा–31और 13.01(xii) सम्बद्ध स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों की

49 (ण) नियुक्ति के लिये चयन समिति के सदस्यों के यात्रा और दैनिक भत्ते का वहन सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

नोट :–प्रोन्नति के लिए अध्याय 12 के अन्तर्गत दी गई अर्हता एवं शर्ते महाविद्यालय के प्राध्यापकों (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) पद पर भी लागू होंगी।

भाग–2

सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों

की सेवा शर्तें

धारा 49 (ण) 13.02(1) इस अध्याय के उपबन्ध राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित किसी महाविद्यालय के अध्यापकों पर लागू नहीं होगी।

धारा 49 (ण) 13.02(2) किसी अध्यापक को दस मास से अनधिक अवधि के लिये छुट्टी दिये जाने के कारण हुई किसी रिक्त में धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्ति को छोडकर सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक, यथास्थिति परिशिष्ट ''ड.'' में दिये गये प्रपत्र में लिखित संविदा पर नियुक्त किये जायेंगे।

धारा 49 (ण) 13.02(3)(1) सम्बद्ध महाविद्यालय का अध्यापक सर्वदा सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ रहेगाा और परिशिष्ट ''ड.'' में दी गयी आचार संहिता का पालन करेगा, जो नियुक्ति के समय अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किये जाने वाले करार का एक भाग होगा।

(2) परिशिष्ट ''ड.'' में दी गयी आचार संहिता के किसी उपबन्ध का उल्लंघन परिनियम 15.02(4) के अर्थान्तर्गत दुराचतण समझा जायेगा।

धारा 49 (ण) 13.02(4) (1) सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक प्राचार्य को छोड़कर निम्नलिखित कारणों में से किसी एक या उससे अधिक कारण से पदच्युत किया या हटाया जा सकता है या उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं –

(क) कर्तब्य की जान बूझकर उपेक्षा,

(ख) दुराचरण जिसके अन्तर्गत प्राचार्य के आदेशों की अवज्ञा भी है,

(ग) संविदा की किसी शर्त का उल्लंघन,

(घ) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की परीक्षाओं के सम्बन्ध में बेईमानी,

(ड.) विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट शैक्षणिक एवं परीक्षा सम्बन्धी कार्यों की अवहेलना।

(च) लोकापवादयुक्त आचरण अथवा नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिये सिद्ध दोष होना,

(छ) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्ता,

(ज) अक्षमता,

(झ) कुलपति के पूर्वानुमोदन से पद का समाप्त किया जाना।

(2) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्राचार्य खण्ड (1) में उल्लिखित कारणों से या महाविद्यालय के निरन्तर कुप्रबन्ध के कारण पदच्युत किया या हटाया जा सकता है या उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(3) सिवाय खण्ड (4) में की गयी व्यवस्था के संविदा समाप्त करने के लिये किसी भी पक्ष द्वारा कम से कम तीन मास की नोटिस (या जब नोटिस अक्टूबर मास के पश्चात दी जाय तब तीन मास की नोटिस या सत्र समाप्त होने की नोटिस, जो भी अधिक हो) दी जायेगी, या ऐसी नोटिस के बदले में तीन मास (या उपयुक्त दीर्घावधि) का वेतन दिया जायेगा।

परन्तु प्रबन्धतंत्र खण्ड (1) या खण्ड (2) के अधीन किसी अध्यापक को पदच्युक्त करे अथवा हटाये या उसकी सेवायें समाप्त करें या जब प्रबन्धतंत्र किसी अध्यापक द्वारा संविदा की शर्तो में से किसी का उलंघन किये जाने के कारण उसकी सेवा समाप्त करे तो ऐसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी।

(4) अस्थायी या स्थानापन्न रूप में नियुक्त किसी अन्य अध्यापक की स्थिति में, उसकी सेवायें किसी भी पक्ष द्वारा एक मास की नोटिस या उसके बदले में वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।

धारा 49 (ण)13.02(5) किसी प्राचार्य या अन्य अध्यापकों की नियुक्ति की मूल संविदा नियुक्ति के दिनांक के तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिये विश्वविद्यालय के पास जमा की जायेगी।

धारा 49 (ण)13.02(6) (1) परिनियम 15.02(4) के खण्ड (1) या खण्ड (2) में उल्लिखित किसी कारण से किसी अध्यापक को पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का कोई आदेश (सिवाय नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिये सिद्ध दोष होने या पद के समाप्त किये जाने की दशा में) तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि अध्यापक के विरूद्ध आरोप लगा न दिया जाय और जिस आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव है उसका विवरण उस अध्यापक को न दे दिया जाय और उसे–

(1) अपने प्रतिवाद के लिये लिखित बयान प्रस्तुत करने का,

(2) व्यक्तिगत सुनवाई का, यदि वह ऐसा चाहे और

(3) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों के बुलाने और परीक्षण करने के लिये, जिन्हें वह चाहे, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय,

परन्तु प्रबन्धतंत्र या उसके द्वारा जांच करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है।

(2) प्रबन्धतंत्र किसी समय, साधारणतया जांच अधिकारी की रिपोर्ट के दिनांक से दो मास के भीतर, सम्बद्ध अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का संकल्प पारित कर सकता है, जिसमें पदच्युत करने, हटाने या सेवा समाप्त करने का कारण उल्लिखित होगा।

(3) संकल्प की सूचना सम्बद्ध अध्यापक को तुरन्त दी जायेगी और अनुमोदन के लिये कुलपति को उसकी रिपोर्ट की जायेगी और वह तब तक प्रवर्तनीय न होगा जब तक की कुलपति उसका अनुमोदन न कर दे।

(4) प्रबन्धतंत्र अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवा समाप्त करने के बजाय निम्नलिखित एक या अधिक अपेक्षाकृत हल्का दण्ड देने का प्रस्ताव पारित कर सकता है,

अर्थात्–

(एक) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये वेतन कम करना।

(दो) तीन वर्ष से अनधिक की विनिर्दिष्ट अवधि के लिये वेतन वृद्धि रोकना।

(तीन) उसकी निलम्बन की अवधि के दौरान, यदि कोई हो, निवार्ह भत्ता छोड़कर वेतन से वंचित करना है।

ऐसा दण्ड देने के प्रबन्धतंत्र के संकल्प की सूचना कुलपति को दी जायेगी और वह तभी प्रवर्तनीय होगा, जब और जिस सीमा तक कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाय।

धारा 49(ण) 13.02(7) यदि किसी अध्यापक के विरूद्ध कोई जांच चल रही है या जांच प्रारम्भ करने का विचार हो, तो प्रबन्धतंत्र उसको परिनियम 15.02(4) के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) से (ड.) तक में उल्लिखित आधार पर निलम्बित करने के लिये शक्ति सम्पन्न होगा। किसी आपातस्थिति में (प्राचार्य से भिन्न किसी अध्यापक की स्थिति में) इस शक्ति का प्रयोग प्रबन्धतंत्र के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्राचार्य द्वारा किया जायेगा। प्राचार्य ऐसे मामले की सूचना प्रबन्धतंत्र को शीघ्र देगा। यदि इस आधार पर निलम्बन का आदेश दिया जाय कि अध्यापक के विरूद्ध जांच प्रारम्भ करने को विचार है तो निलम्बन आदेश जारी किये जाने के पश्चात् चार सप्ताह की समाप्ति पर भंग हो जायेगा, जब तक कि इस बीच अध्यापक को उन आरोपों की संसूचना न दे दी जाय जिनके बारे में जांच कराये जाने का विचार था।

धारा 49(ण) 13.02(8) परिनियम 15.02(4) के खण्ड(2) और परिनियम 15.02(7) के प्रयोजनार्थ अधिकतम अवधि की गणना करने में, ऐसी कोई अवधि जिसमें किसी न्यायालय का स्थगन आदेश कायम हो, सम्मिलित नहीं की जायेगी।

धारा 49 13.02(9) सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक, किसी कलेण्डर वर्ष में धारा 34 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी परीक्षा के सम्बन्ध में सम्पादित किसी कर्तब्य के लिये उस कलेण्डर वर्ष में अपने वेतन के छठें भाग या तीन हजार रूपये, जो भी कम हो, से अधिक कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा।

13.02(10) इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी–

(1) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक जो संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो, अपनी सदस्यता की अवधि पर्यन्त महाविद्यालय में या उस विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक का पद धारण नहीं करेगा।

(2) यदि सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन या नाम निर्देशन के दिनांक के पूर्व से महाविद्यालय में या उस विश्वविद्यालय में, कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण किये हो तो वह ऐसे निर्वाचन या नाम निर्देशन के दिनांक से या इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से, जो भी पश्चावर्ती हो, उस पद पर नहीं रह जायेगा।

(3) सम्बद्ध महाविद्यालय के ऐसे अध्यापक से जो संसद या राज्य विधान मण्डल के लिये निर्वाचन या नाम–निर्दिष्ट किया जाय, अपनी सदस्यता की अवधि में या, परिनियम 15.02(11) द्वारा उपबन्धित होनें के सिवाय किसी सदन या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिये महाविद्यालय से त्याग–पत्र देने या छुट्टी लेने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण– इस परिनियम के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय के किसी प्रधिकारी या निकाय की सदस्यता या किसी संकाय के संकायाध्यक्ष का पद या किसी महाविद्यालय के प्राचार्य का पद कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक का पद नहीं समझा जायेगा।

13.02(11) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र कुलपति के पूर्वानुमोदन से उतने न्यूनतम दिन नियत करेगा, जितने दिन ऐसा अध्यापक अपने शैक्षिक कर्तव्यों के लिये, महाविद्यालय में उपलब्ध होगा।

परन्तु जहां महाविद्यालय का कोई अध्पापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो वहाँ उसे ऐसी छुट्टी पर समझा जायेगा जो उसे देय हो, और यदि कोई छुट्टी देय न हो तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायेगा।

भाग – 3

सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों के लिये छुट्टी सम्बन्धी नियम

धारा 49

13.03 विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिये छुट्टी सम्बन्धी नियम से सम्बद्ध परिनियम 12.05 के उपबन्ध सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों के सम्बन्ध में इस प्रकार लागू होंगे मानों क्रमशः शब्द "कार्य परिषद" और "कुलपति" के स्थान पर शब्द "प्रबन्धतंत्र" और "प्राचार्य" रखे गये हों।

भाग–4

अधिवर्षिता की आयु

धारा 49

13.04 विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अधिवर्षिता से सम्बद्ध परिनियम 12.06 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित सम्बद्ध महाविद्यालय (राजकीय महाविद्यालय को छोड़कर) के अध्यापकों पर लागू होंगे। राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य एवं अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु शासकीय नियमों से नियंत्रित होगी।

भाग–5

अन्य उपबन्ध

धारा 32 और 49 13.05 (1) इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य या अन्य अध्यापक और प्रबन्धतंत्र के बीच की गयी कोई नियुक्ति संविदा इस अध्याय में दिये गये परिनियमों के उपबन्धों के अधीन होंगी, और इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार तथा परिशिष्ट ''ड.'' के शर्तों के अनुसार परिष्कृत समझी जायेगी।

धारा 49 13.05 (2) परिनियम 15.02(4) में उल्लिखित किसी कारण से सेवा से पदच्युत किया गया सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक किसी विश्वविद्यालय अथवा ऐसे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में किसी भी रूप में फिर से नियोजित नहीं किया जायेगा।

धारा 49 (ण) 13.05(3) परिनियम 12.07 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रत्येक अध्यापक पर निम्नलिखित परिष्कृत के साथ लागू होंगे, अर्थात्–

(क) परिनियम 13.02(7) में शब्द "कुलपति" और "कार्य परिषद" के स्थान पर क्रमशः शब्द "प्राचार्य" और "प्रबंधतंत्र" रखा हुआ समझा जायेगा।

(ख) परिनियम 10.07(3) में, शब्द "कुलपति" और "विभागाध्यक्ष" के स्थान पर क्रमशः "प्राचार्य" और "विभाग का ज्येष्ठतम प्राध्यापक" रखा हुआ समझा जायेगा।

भाग–6

सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों की ज्येष्ठता

धारा 49 13.06 (1) सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यो और अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा–

(क) मौलिक रूप से नियुक्त प्राचार्य महाविद्यालय के अन्य उपाचार्यो से ज्येष्ठ समझा जायेगा।

(ख) स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्राचार्य उपाधि महाविद्यालय के प्राचार्य से ज्येष्ठ समझा जायेगा।

(ग) सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों, उपाचार्यों (एसोसिएट प्रोफेसर्स) एवं प्राध्यापकों (असिस्टेंट प्रोफेसर्स) की ज्येष्ठता मौलिक रूप से नियुक्ति के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अनवरत सेवा काल के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(घ) प्रत्येक हैसियत से (उदाहरणार्थ प्राचार्य या अध्यापक के रूप में) की गयी सेवा की गणना मौलिक नियुक्ति के अनुसार कार्य भार ग्रहण करने के दिनांक से की जायेगी।

(ड.) किसी अन्य विश्वविद्यालय या अन्य उपाधि या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में, चाहे वह इस विश्वविद्यालय या विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय से

सम्बद्ध या सहयुक्त हो, किसी प्राचार्य या किसी अध्यापक द्वारा मौलिक रूप में की गयी सेवा को उसके सेवा काल में सम्मिलित किया जायेगा।

धारा 49 13.06(2) जहाँ विश्वविद्यालय के प्राधिकारी में प्राचार्य के रूप में प्रतिनिधित्व करने या नियुक्ति के प्रयोजनार्थ, प्राचार्य के रूप में किसी ब्यक्ति की ज्येष्ठता अवधारित की जानी हो, वहाँ केवल प्राचार्य (स्नातक अथवा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जैसी भी स्थिति हो) के रूप में की गयी उसकी सेवा अवधि पर ध्यान दिया जायेगा।

धारा 49 13.06(3) जहाँ विश्वविद्यालय के प्राधिकारी में अध्यापक के रूप में प्रतिनिधित्व करने या नियुक्ति के प्रयोजनार्थ किसी प्राचार्य की ज्येष्ठता अवधारिता की जानी हो, वहाँ उसकी दोनों प्राचार्य और अध्यापक के रूप में उसकी सेवा अवधि पर ध्यान दिया जायेगा।

धारा 49 13.06(4) जहाँ एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की अनवरत सेवा की गणना किए जाने के हकदार हो, वहाँ ऐसे अध्यापकों की सापेक्षिक ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप में अवधारित की जायेगी–

(1) प्राचार्यों की स्थिति में प्राध्यापक के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा।

(2) प्राध्यापकों की मौलिक नियुक्ति की तिथि समान होने पर सापेक्षिक ज्येष्ठता आयु की ज्येष्ठता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

धारा 49 13.06(5) (1) जब दो या अधिक व्यक्ति एक ही समय में एक विभाग में या एक ही विषय के लिए अध्यापक नियुक्त किये जाये तो उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता उस अधिमानता या योग्यता क्रम में, जिसमें चयन समिति द्वारा उनके नाम की सिफारिश की गयी थी, अवधारित की जायेगी।

(2) यदि दो या अधिक अध्यापकों की ज्येष्ठता खण्ड (1) के अधीन अवधारित की गयी हो तो उसकी सूचना सम्बन्धित अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के पूर्व दी जायेगी।

धारा 49 13.06(6) अध्यापकों (प्राचार्य से भिन्न) की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में समस्त विवाद महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे, जो विनिश्चय के कारण उल्लिखित करेगा। प्राचार्य के निनिश्चय से ब्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्यच उसे संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर कुलपति को अपील कर सकता है। यदि कुलपति, प्राचार्य से सहमत न हों, तो वह ऐसी असहमति का कारण उल्लिखित करेंगे।

धारा 49 13.06(7) सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में समस्त विवाद कुलपति द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे जो विनिश्चय के कारण उल्लिखित करेंगे। कुलपति के विनिश्चय से व्यथित कोई प्राचार्य ऐसा विनिश्यचय उसे संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर कार्य परिषद को अपील कर सकता है। यदि कार्य परिषद् कुलपति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण उल्लिखित करेगी।

धारा 49 13.06(8) परिनियम 15.01, 15.02, 15.05 और 15.06 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों और प्राचार्यो पर उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे विश्वविद्ययलय के अध्यापकों पर लागू होते है।

भाग–7

स्वायत्त महाविद्यालय

धारा 42 13.07(1) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्ध तंत्र जो स्वायत्त महाविद्यालय के विशेषधिकार प्राप्त करने का इच्छुक हो, निम्नलिखित बातों को स्पष्टतया विनिर्दिष्ट करते हुए कुलसचिव को आवेदन–पत्र देगा :–

(क) विश्वविद्यालय द्वारा विहित शिक्षा पाठ्यक्रम में या उससे प्रस्तावित परिवर्तन जिसके अन्तर्गत ऐसे विषय में, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा व्यवस्था न की गई हो, पाठ्यक्रम का प्रतिस्थापन भी है–

(ख) वह रीति जिसके अनुसार महाविद्यालय का इस प्रकार परिवर्तित पाठ्यक्रमों में परीक्षायें लेने का प्रस्ताव है–

(ग) अपने वित्त तथा आस्तियों के ब्योरे, अपने अध्यापक वर्ग की संख्या तथा अर्हतायें, उच्च अनुसंधान कार्य के लिए उपलब्ध सुविधायें तथा किया गया उच्च अनुसंधान कार्य, यदि कोई हो।

धारा 42 13.07(2) परिनियम 13.07(1) के अधीन कोई भी आवेदन–पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा, जब तक कि महाविद्यालय निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करें–

(क) उसमें कम से कम दो संकायों में स्नातकोत्तर स्तर तक कम से कम छः विषयों में शिक्षण देने के लिए सुस्थापित अध्यापन विभाग हैं–

(ख) उसमें पर्याप्त तथा उत्तम अर्हतासम्पन्न अध्यापक वर्ग हैं या होने की सम्भावना है–

(ग) उसका प्राचार्य असाधारण योग्यता का अध्यापक अथवा विद्वान है तथा उसे प्रशासनिक अनुभव है,

(घ) उसके पास समस्त शैक्षणिक प्रयोजनों तथा पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशालाओं के निमित्त पर्याप्त तथा संतोष जनक भवन है और भविष्य है और भविष्य में उसके प्रसार के लिए भूमि है,

(ड.) उसके पास एक अच्छा पुस्तकालय है और उसके नियमित विकास के लिये व्यवस्था है अथवा होने की सम्भावना है,

(च) उसके पास उसमें पढ़ाने जाने वाले विषयों के निमित्त यदि आवश्यक हो, सुसज्जित प्रयोगशालायें हैं और उसमें नवीन उपलब्धियों तथा उनके प्रतिस्थापनार्थ पर्याप्त व्यवस्था है अथवा होने की सम्भावना है,

(छ) महाविद्यालय को स्वायत्त महाविद्यालय की स्थिति प्राप्त करने में अन्तर्ग्रस्त अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिये प्रबन्धतंत्र के पास पर्याप्त संसाधन है।

धारा 42 13.07(3) परिनियम 13.08(1) के अधीन प्रत्येक आवेदन–पत्र के साथ विश्वविद्यालय को देय निर्धारित शुल्क की धनराशि का एक बैंक ड्राफ्ट संलग्न होगा, जो लौटाया नहीं जायेगा।

धारा 42 13.07(4) (1) परिनियम 13.08(1) के अधीन प्रत्येक आवेदन–पत्र संवीक्षार्थ प्रत्येक सम्बद्ध संकाय की स्थायी समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) प्रत्येक सम्बद्ध संकाय की स्थायी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(क) संकाय का संकायाध्यक्ष (संयोजक)

(ख) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किन्ही दो विश्वविद्यालयों से कार्य परिषद् द्वारा चयन किये गये तत्स्थानी प्रत्येक संकाय का एक प्रतिनिधि।

(3) यदि समिति की रिपोर्ट पक्ष में हो तो कार्य परिषद् महाविद्यालय का निरिक्षण करने तथा उसे स्वायत्त महाविद्यालय घोषित किये जाने की उपयुक्तता पर रिर्पोट देने के लिये (छः सदस्यों से अनधिक का) एक निरिक्षक बोर्ड नियुक्त करेगी।

(4) निरीक्षक बोर्ड में संयोजक के रूप में कुलपति, तथा सदस्यों के रूप में शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) और विषयों के ऐसे अन्य विशेषज्ञ होंगे, जिन्हें परिषद् नियुक्त करना उचित समझे।

धारा 42 13.07(5) निरीक्षक–बोर्ड की रिपोर्ट पर सम्बद्ध संकाय के बोर्ड तथा विद्या परिषद् द्वारा भी विचार किया जायेगा, और उसे इन निकायों के दृष्टिकोण सहित कार्य परिषद् के समक्ष रक्षा जायेगा।

धारा 42 13.07(6) (1) निरीक्षक बोर्ड की सिफारिश और परिनियम 15.08(5) में निर्दिष्ट दो निकायों की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यदि कार्य परिषद् की राय हो कि महाविद्यालय धारा–42 में उल्लिखित विशेषाधिकारों का हकदार है तो वह अपना प्रस्ताव कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

(2) खण्ड (1) के अधीन प्रस्ताव और अन्य सम्बद्ध पत्रादि प्राप्त होने पर और ऐसी जाँच जिसे कुलाधिपति आवश्यक समझे, करने के पश्चात् कुलाधिपति प्रस्ताव का अनुमोदन कर सकते हैं या उसे अस्वीकृत कर सकते हैं,

परन्तु किसी ऐसे प्रस्ताव का अनुमोदन करने के पूर्व कुलाधिपति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श कर सकते हैं।

धारा 42 13.07(7) परिनियम 135.07(6) के अधीन कुलाधिपति द्वारा कार्य परिषद् की सिफारिश का अनुमोदन कर लेने के पश्चात् कार्य परिषद् महाविद्यालय को स्वायत्त महाविद्यालय घोषित करेगी और ऐसे विषयों को विनिर्दिष्ट करेगी जिनके सम्बन्ध में तथा जिस सीमा तक महाविद्यालय स्वायत्त महाविद्यालय के विशेषाधिकारों का प्रयोग कर सकता है।

धारा 42 13.07(8) (1) धारा 42 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए स्वायत्त महाविद्यालय निम्नलिखित का हकदार होगा–

(क) अपने विशेषाधिकारों के अन्तर्गत आने वाले विषयों का पाठ्यक्रम तैयार करना।

(ख) ऐसे विषयों में आन्तरिक या बाह्य परीक्षकों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हता सम्पन्न व्यक्तियों की नियुक्ति करना,

(ग) परीक्षायें आयोजित करना और परीक्षा तााि अध्यापन कार्य की विधि में ऐसे परिवर्तन करना, जो शिक्षा के स्तर को बनाये रखने में सहायक हो।

(2) सम्बद्ध निकाय–बोर्ड, विद्या–परिषद् और परीक्षा समिति खण्ड (1) के अधीन स्वायत्त महाविद्यालय द्वारा दी गयी कार्यवाही पर विचार कर सकती है और किसी परिवर्तन का, यदि आवश्यक हो, सुझाव दे सकती है।

धारा 42 13.07(9) (1) स्वायत्त महाविद्यालय का परीक्षाफल विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तथा प्रकाशित किया जायेगा जो उस महाविद्याल का नाम उल्लिखित करेगा, जिसने घोषणा और प्रकाशन के लिये परीक्षाफल प्रस्तुत किया हो।

(2) प्रत्येक स्वायत्त महाविद्यालय ऐसी रिपोर्ट विवरण और अन्य सूचना देगा जिसकी कार्य परिषद् महाविद्यालय की दक्षता का अनुमान लगाने के लिए समय–समय पर अपेक्षा करे।

(3) विश्वविद्यालय स्वायत्त महाविद्यालय का सामान्य पर्यवेक्षण करता रहेगा और महाविद्यालय के ऐसे छात्रों को उपाधियाँ प्रदत्त करता रहेगा जो विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के लिए कोई अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करें।

धारा 42 13.07(10) कार्य परिषद किसी भी समय निरीक्षक बोर्ड द्वारा किसी स्वायत्त महाविद्यालय का निरीक्षण करा सकती है, और यदि ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात् उसकी यह राय हो कि महाविद्यालय अपेक्षित स्तर को बनाये रखने में या अपेक्षित संसाधनों से सम्पन्न होने में असफल रहा है या यह है कि शिक्षा के हित में, धारा 42 द्वारा प्रदत्त विशेषधिकारों को वापस लेना आवश्यक है तो कार्य परिषद् कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से, ऐसे विशेषाधिकारों को वापस ले सकती है और तदुपरान्त सम्बन्धित महाविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालय की स्थिति में प्रतिवर्तित हो जायेगा।

धारा 42 13.07(11) (क) अपने कार्य के सुनियोजन तथा संचालन के लिए प्रत्येक स्वायत्त महाविद्यालय की एक विद्या परिषद् और प्रत्यके संकाय में समाविष्ट विषयों के सम्बन्ध में एक संकाय बोर्ड होगा।

(ख) विद्या परिषद् में समस्त विभागाध्यक्ष पदेन और स्नातकोत्तर उपाधि के लिए पढ़ाये जाने वाले प्रत्येक विषय के दो अन्य अध्यापक तथा प्रथम उपाधि के लिए पढ़ाये जाने वाले प्रत्येक विषय के एक अध्यापक होंगे, जिनका अध्यक्ष प्राचार्य होगा। अध्यापक एक बार में तीन वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम से परिषद के सदस्य होंगे, परन्तु चार वर्ष से कम की अवस्थिति का कोई भी अध्यापक सदस्य न होगा।

(ग) विद्या परिषद् तिमाही अधिवेशनों में महाविद्यालय के शैक्षिक कार्य का पुनर्विलोकन करेगी और पाठ्यक्रम परीक्षा आदि के सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा किये गये समस्त प्रस्ताव उक्त परिषद् के माध्यम से पारित होंगे।

(घ) संकाय के बोर्ड में, संकाय में समाविष्ट विषयों के ऐसे सभी अध्यापक होंगे जिनकी उपाधि कक्षाओं के अध्यापक के रूप में तीन वर्ष की अवस्थिति हो। शैक्षिक मामलों पर

विचार करने के लिए संकाय बोर्ड का अधिवेशन नियमित अन्तरालों पर (यदि संभव हों, मास में एक बार) होगा। इन संकाय के बोर्डों में पाठ्यक्रम, परीक्षा आदि से सम्बन्धित प्रस्ताव या तो व्युत्पन्न होंगे अथवा उन पर विचार किया जायेगा। संकाय बोर्डों के समस्त प्रस्ताव विद्यापरिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाएंगे।

धारा 42

13.07(12) धारा 42 की उपधारा (2) और इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी स्वायत्त महाविद्यालय से सम्बन्धित–पाठ्यक्रम तथा अन्य शर्ते ऐसी होंगी जैसी कि अध्यादेशों में निर्धारित की जाय।

भाग–8

श्रमजीवी महाविद्यालय

धारा 43

13.08(1) किसी महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र जो श्रमजीवी महाविद्यालय का विशेषाधिकार प्राप्त करने का इच्छुक हो, उस क्षेत्र में उस प्रकार के महाविद्यालय की मांग को इंगित करते हुए तथा उस उपाधि को जिसके लिए मान्यता मांगी जाय, विनिर्दिष्ट करते हुए कुलसचिव को आवेदन–पत्र देगा।

(2) किसी महाविद्यालय को विज्ञान, विधि और औषधि (मेडिसिन) के संकायों में श्रमजीवी महाविद्यालय के रूप में मान्यता नहीं दी जायेगी।

धारा 43

13.08(2) परिनियम 13.08(1) के अधीन कोई भी आवेदन–पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि महाविद्यालय निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करे–

(1) उस क्षेत्र में ऐसे महाविद्यालय के लिए युक्ति–युक्त मांग है और प्रबन्धतंत्र के पास ऐसे महाविद्यालय के पोषण तथा उसे चलाने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त ब्यय वहन करने के पर्याप्त संसाधन हैं।

(2) श्रमजीवी महाविद्यालय में प्रवेश का विशेषाधिकार केवल ऐसे ब्यक्तियों तक सीमित होगा जो कार–बार, व्यापार, कृषि या उद्योग में लगे होने या किसी अन्य प्रकार की सेवा में नियोजित होने के कारण पूर्णकालिक छात्रों के रूप में नाम लिखवाने में असमर्थ हों।

(3) महाविद्यालय ऐसे समय में कक्षायें लगायेगा जो सामान्यतः छात्रों की सुविधा के अनुरूप हो और कामकाज के प्रचलित समय के समवर्ती न हों।

(4) श्रमजीवी विद्यालय का कर्मचारी वर्ग पृथक होगा और यथासम्भव, उन्हें पूर्णकालिक आधार पर नियोजित किया जायेगा। फिर भी, महाविद्यालय, अपने विकल्प से, अंशकालिक अध्यापक भी नियोजित कर सकता है, परन्तु उसकी संख्या अध्यापकों की कुल संख्या के आधे से अधिक न हो। महाविद्यालय के पूर्णकालिक कर्मचारी उसी वेतनमान के हकदार होंगे जो सम्बद्ध महाविद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य हो। अंशकालिक अध्यापक का वेतन प्रत्येक व्यक्ति विशेष के मामले में प्रबन्धतंत्र द्वारा अलग–अलग नियत किया जायेगा और ऐसा वेतन पूर्णकालिक अध्यापकों की तुलना में ऐसे अध्यापक द्वारा प्रति सप्ताह पढ़ाये जाने के लिए अपेक्षित घंटो की संख्या पर विचार करके नियत किया जायेगा, किन्तु किसी भी दशा में वह उस समयमान के न्यूनतम के दो–तिहाई से अधिक न होगा जिसका हकदार वह पूर्णकालिक आधार पर

नियुक्त किये जाने की दशा में होता। अध्यापकों की नियुक्ति अधिनियम के अध्याय 6 के उपबन्धों के अधीन होंगी।

(5) महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालय के लिए बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार है।

धारा 43 13.08(3) परिनियम 13.08(1) के अधीन प्रत्येक आवेदन–पत्र के साथ विश्वविद्यालय को देय निर्धारित धनराशि का एक बैंक ड्राफ्ट संलग्न होगा जो लौटाया नहीं जायेगा।

(2) आवश्यक पत्रादि सहित आवेदन पत्र कुलसचिव के पास उस सत्र के जब से मान्यता मांगी गई हो, पूर्ववर्ती सत्र के 15 अगस्त के पूर्व पहुँच जाना चाहिए।

धारा 43 13.08(4) ऐसा प्रत्येक आवेदन–पत्र कार्य परिषद् के समक्ष रखा जायेगा और यदि आवेदन पत्र ग्रहण कर लिया जाय तो कार्य परिषद् महाविद्यालय का निरीक्षण करने तथा श्रमजीवी महाविद्यालय के रूप में मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में उसकी उपयुक्तता और उन शर्तों के सम्बन्ध में जिन पर ऐसी मान्यता दी जाय, रिपोर्ट देने के लिए एक निरीक्षक बोर्ड नियुक्त करेगी।

(2) निरिक्षण बोर्ड की रिपोर्ट पर सम्बद्ध बोर्ड द्वारा तथा विद्या परिषद् द्वारा भी विचार किया जायेगा और उसे इन निकायों के दृष्टिकोण सहित कार्य परिषद् के समक्ष रखा जायेगा।

धारा 43 13.08(5) अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कार्य परिषद् निरीक्षक बोर्ड सम्बद्ध संकाय के बोर्ड और विद्या परिषद् की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से किसी भी सम्बद्ध महाविद्यालय को श्रमजीवी महाविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान कर सकती है।

धारा 43 13.08(6) धारा 43 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए श्रमजीवी महाविद्यालय से सम्बन्धित अध्ययन पाठ्यक्रम और अन्य शर्ते वही होगी जो अध्यादेश में निर्धारित की जाये।

धारा 43 13.08(7) परिनियम 13.07(9) के खण्ड (2) और (3) और परिनियम 13.07(10) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित, श्रमजीवी महाविद्यालय पर भी लागू होंगे।

भाग–9

सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की अर्हतायें व सेवा सम्बन्धी शर्तें एवं नियमावली

धारा 43 13.09(क) जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्याय में उत्तरवर्ती परिनियमों में परिभाषित पदों का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा।

(1) ''चतुर्थ वर्ग का पद'' का तात्पर्य नैत्यिक लिपिक के वेतनमान से कम वेतनमान के पद से है और ''चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी वर्ग'' का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा।

(2) ''महाविद्यालय'' का तात्पर्य अधिनियम या विश्वविद्यालय के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय का है, किन्तु इसमें राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्रधीकारी द्वारा अनन्य रूप से अनुरक्षित महाविद्यालय सम्मिलित नहीं है।

(3) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य किसी महाविद्यालय के वेतन भोगी कर्मचारी, जो अध्यापक न हो, से है और इसके व्याकर्णिक रूप भेद तथा सजातीय पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा।

(4) ''संघ की सशस्त्र सेना'' का तात्पर्य संघ की नौसेना, सेना या वायुसेना से है और इसके अन्तर्गत भूतपूर्व भारतीय राज्यों की सशस्त्र सेना भी है।

(5) ''अंगहीन भूतपूर्व सैनिक'' का तात्पर्य ऐसे भूतपूर्व सैनिक से है जो संघ की सशस्त्र सेना में सेवा करते हुए शत्रु के विरुद्ध कार्यवाही के दौरान या उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में अंगहीन हुआ हो।

(6) ''भूतपूर्व सैनिक'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने संघ की सशस्त्र सेना में किसी कोटि में चाहे योद्धक के रूप में या अनायोद्धक के रूप में कम से कम छः मास की अवधि के लिये लगातार सेवा की हो, और जिसे–

(एक) दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवोन्मुक्त किये जाने से भिन्न रूप में निर्मुक्त किया गया हो या,

(दो) इस प्रकार निर्मुक्त किये जाने या रिजर्व में स्थानान्तरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की अवधि पूरी करने के लिए छः मास से अनधिक सेवा करनी पड़ी हो।

धारा 49 (ण)

13.09(ख)(1) इस परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा की जायेगा और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के पदों पर प्राचार्य द्वारा की जायेगी।

तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग में किसी पद पर नियुक्ति के लिए रिक्ति कम से कम दो ऐसे समाचार पत्रों में विज्ञापित की जायेगी, जिसका उत्तर प्रदेश में पर्याप्त परिचालन हो।

(2) खण्ड (1) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी को उस वर्ग के कर्मचारीयों के विरुद्ध जिसका वह नियुक्ति प्राधिकारी है, अनुशासनिक कार्यवाही करने और दण्ड देने की शक्ति होगी।

(3) खण्ड (2) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी के प्रत्येक विनिश्चय की सूचना कर्मचारी को संसूचित किये जाने के पूर्व जिला क्षेत्राधिकारी को दी जायेगी और वह तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि जिला क्षेत्राधिकारी द्वारा उसका अनुमोदन लिखित रूप में न कर दिया जाय।

परन्तु इस खण्ड की कोई बात उस अवधि के, जब तक के लिये कर्मचारी नियुक्त किया गया हो, व्यतीत हो जाने पर सेवा समाप्त करने पर लागू नही होगी।

परन्तु यह और कि इस खण्ड की कोई बात ऐसे निलम्बन के आदेश पर जिसमें जांच विचाराधीन हो, लागू नही होगी, किन्तु ऐसा कोई आदेश जिला क्षेत्राधिकारी द्वारा स्थगित, प्रतिसंहृत या उपान्तरित किया जा सकता है।

(4) खण्ड (3) के अधीन जिला क्षेत्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध कोई अपील सम्भागीय उपशिक्षा निदेशक को की जायेगी।

धारा 49 (ण)

13.09(ग) (1) पुस्तकालयाध्यक्ष, उप–पुस्तकालयाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक, औषधकारक, लिपिक या खण्ड (2) या खण्ड (3) में उल्लेखित पदों से भिन्न नैत्यिक लिपिक के वेतनमान में या उससे उच्चतर वेतनमान में किसी अन्य पद पर नियुक्ति दो समाचार पत्रों में रिक्ति का विज्ञापन करने के पश्चात् खण्ड (6) में उपबन्धित रीति से चयन समिति की संस्तुति पर सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

परन्तु पुस्तकालयाध्यक्ष का पद उन उप–पुस्तकालयाध्यक्ष में से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा, यदि पश्चात्वर्ती पद का पदधारी पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिये न्यूनतम अर्हताये रखता हो।

(2) सहायक के पद पर नियुक्ति लिपिक में से उपयुक्तता और योग्यता के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के अनुसार पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

(3) मुख्य लिपिक एवं लेखाकार, मुख्य लिपिक, कार्यालय अधीक्षक और बर्सर पद पर नियुक्ति अपेक्षित अर्हता रखने वाले वर्तमान कर्मचारियों में से उपयुक्तता और योग्यता के अधीन रहते हुए, ज्येष्ठता के अनुसार पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

(4) कर्मचारियों की नियुक्ति शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन से की जायेगी। यदि अनुमोदन प्राधिकारी अनुमोदन का प्रस्ताव प्राप्त होने के दो मास के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी को अनुमोदन न करने की सूचना न दे या ऐसे प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई सूचना न भेजे तो यह समझा जायेगा कि अनुमोदन प्राधिकारी ने नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है।

(5) स्थायी पदों पर नियुक्ति दो वर्ष के लिये परिवीक्षा पर की जायेगी, यदि अभ्यर्थी का कार्य सन्तोषजनक न पाया गया तो परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकती है, परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि तीन वर्ष से अधिक न होगी। परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिये मान्य नही होगी।

(6) (क) पुस्तकालयाध्यक्ष, उप– पुस्तकालयाध्यक्ष या शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के पद पर नियुक्ति के लिये चयन समिति में निम्नलिखित होंगे–

(एक) प्रबन्धतंत्र का प्रधान या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धतंत्र का कोई सदस्य जो अध्यक्ष होगा,

(दो) महाविद्यालय का प्राचार्य,

(तीन) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला एक अधिकारी।

(ख) खण्ड (1) या (3) में निर्दिष्ट शेष सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये चयन समिति में निम्नलिखित होंगें–

(एक) प्रबन्धतंत्र का प्रधान या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धतंत्र का कोई सदस्य, जो अध्यक्ष होगा,

(दो) महाविद्यालय का प्राचार्य,

(तीन) जिला नियोजन अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी।

(ग) खण्ड (1) और (3) में निर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ, रिक्ति कम से कम दो ऐसे समाचार पत्रों में विज्ञापित की जायेगी, जिनका उत्तर प्रदेश में पर्याप्त परिचलन हो और उपयुक्त अभ्यर्थीयों के नाम सम्बद्ध जिला नियोजन अधिकारी से भी प्राप्त किये जायेंगे।

(घ) चतुर्थ वर्ग में किसी पद पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के नाम सम्बद्ध जिला नियोजन अधिकारी से प्राप्त किये जायेंगे। ऐसी रीति से उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में पद को विज्ञापित किया जा सकता है।

(ड़) कोई कर्मचारी वेतन भुगतान लेखा से वेतन भुगतान के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि अधिनियम की धारा 60–क के खण्ड (3) उपखण्ड (ख) द्वारा अनुध्यात अनुज्ञा न दी गयी हो।

(च) यदि प्रबंधतंत्र चयन समिति की संस्तुतियों से सहमत न हो तो वह मामले को अपनी असहमति के कारणों सहित अनुमोदन प्राधिकारी को निर्दिष्ट करेगा, उक्त प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

आरक्षण

धारा 49 (ण) 13.09(घ) (1) परिनियम 15.9(च) में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यथियों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग कें लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) के उपबन्धों के अनुसार या किसी अन्य विधि या तत्समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

धारा 49 (ण) 13.09(ड.) महाविद्यालय में नियोजन के लिए अभ्यर्थी का–

(क) भारत का नागरिक या

(ख) तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का व्यक्ति, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के लिए अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका और केनिया, उगान्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया जिसका पहले तांगानिका और जंजीबार नाम था, के पूर्वी अफ्रीका देशों से प्रब्रजन किया हो, होना आवश्यक है,

परन्तु श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह उपपुलिस महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले।

शैक्षिक अर्हतायें

धारा 49 (ण) 13.09(च) किसी महाविद्यालय में नीचे विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता वही होगी जो प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लिखित है, (एक) लिपिक वर्ग नैत्यिक लिपिक, सहायक, मुख्य लिपिक एवं लेखाकार और मुख्य लिपिक पद के लिये इण्टरमीडीएट या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा,

परन्तु मुख्य लिपिक एवं लेखाकार और मुख्य लिपिक की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि किसी स्नातकोत्तर या उपाधि या इण्टरमीडीएट कालेज में नैत्यिक लिपिक या सहायक के पद पर कार्य करने का कम से कम दस वर्ष की अवधि का अनुभव हो।

परन्तु यह और कि–

(एक) तृतीय वर्ग की सेवाओं और पदों की आरक्षित रिक्तियों में से किसी भूतपूर्व सैनिक की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता जहां कहीं इस परिनियम में विहित अर्हता किसी विश्वविद्यालय की उपाधि हो, वहां इण्टरमीडिएट होगी और जहां कहीं इस परिनियम के विहित इण्टरमीडिएट हो, वहां हाईस्कूल या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता हाईस्कूल या उसके समकक्ष कोई अर्हता हो, वहां कोई शिथिलता नहीं दी जायेगी।

परन्तु यह और कि–

(दो) प्रयोगशाला सहायक– उन विषयों में जिनसे प्रयोगशाला का सम्बन्ध हो इण्टरमीडिएट या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा या हाईस्कूल या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष प्राप्त कोई परीक्षा और सम्बद्ध विषय की प्रयोगशाला में प्रयोगशाला बियरर के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।

(तीन) कार्यालय अधीक्षक विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि और किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में या इसी प्रकार की किसी अन्य संस्था में मुख्य लिपिक या लेखाकार के रूप में कार्य करने का दस वर्ष का अनुभव।

(चार) सहायक लेखाकार विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की लेखाशास्त्र/लेखा परीक्षा के साथ वाणिज्य में स्नातक की उपाधि।

(पांच) बर्सर–विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि और किसी उपाधि या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यालय अधीक्षक या लेखाकार के रूप में कार्य करने को कम से कम दस वर्ष का अनुभव।

(छः) चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा आठ उत्तीर्ण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कक्षा पांच उत्तीर्ण परन्तु सफाईकार के पद के लिए कोई शैक्षिक अर्हता अपेक्षित न होगी, किन्तु उस व्यक्ति को अधिमानता दी जायेगी, जो शिक्षित हो या कम से कम देवनागरी लिपि मे हिन्दी पढ़ने और लिखने में समर्थ हो,

परन्तु यह और कि चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं और पदो ंके लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई शैक्षिक अर्हता ऐसी सेवाओं और पदों में आरक्षित रिक्तिओं में उपयुक्त पाये जाने पर अपेक्षित न होगी।

(सात) अन्य पद– किसी अन्य पद के लिये जो पूर्ववर्ती खण्डों के अन्तर्गत न आते हों ऐसी न्यूनतम अर्हता जैसी राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

(2) ऐसा कोई कर्मचारी जिसके पास इस परिनियमावली के प्रारम्भ के पश्चात् खण्ड (1) में निहित अर्हता न हो, पदोन्नति या स्थायी किये जाने के लिए तब तक पात्र न होगा जब तक कि वह उपयुक्त अर्हताएं प्राप्त न कर लें,

परन्तु खण्ड (1) की किसी बात का प्रभाव इस परिनियमावली के प्रारम्भ के पूर्व की गई पदोन्नति और स्थायीकरण पर नहीं पड़ेगा।

धारा 49 (ण)

13.09(छ) (1) किसी महाविद्यालय में सीधा भर्ती द्वारा किसी कर्मचारी की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी और नैत्यिक लिपिक या समकक्ष वेतनमान के किसी पद के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी और परिनियम 15.9(ग) के खण्ड (1) और खण्ड (3) में निर्दिष्ट किसी अन्य पद के लिए 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की स्थिति में शासनादेश के अधीन छूट अनुमन्य होगी।

परन्तु शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा की पूर्व सहमति से ऊपर निर्दिष्ट 40 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा की शर्त को विशेष परिस्थितियों में पांच वर्ष तक शिथिल किया जा सकता है–

परन्तु यह और कि परिनियम 15.9(च) में निर्दिष्ट कर्मचारी पर अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

परन्तु यह भी कि भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु उतनी अधिक होगी जितनी अभ्यर्थी द्वारा सशस्त्र सेना में की गयी सेवा की अवधि में तीन वर्ष और जोड़कर हो।

(2) जिस वर्ष भर्ती की जाय उस वर्ष जुलाई के प्रथम दिनांक को आयु खण्ड (1) के प्रयोजनार्थ आयु होगी।

(3) चतुर्थ वर्ग के किसी ऐसे कर्मचारी की स्थिति में जिसने तीन वर्ष या इससे अधिक की निरन्तर सेवा की हो और जो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले नैत्यिक लिपिक के पद या उसके समकक्ष पद पर नियुक्ति के लिए विहित अर्हता रखता हो, अधिकतम आयु सीमा को शिथिल करके 40 वर्ष तक किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में, निदेशक उच्च शिक्षा के पूर्वानुमोदन से 40 वर्ष की आयु सीमा के पश्चात् शिथिलीकरण किया जा सकता है।

चरित्र

13.09(ज) नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान कर ले कि सीधी भर्ती द्वारा नियोजन के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह महाविद्यालय में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो।

टिप्पणी– राज्य सरकार, संघ सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पदच्युत व्यक्ति पात्र नहीं समझे जायेंगे।

शारीरिक स्वस्थता

13.09(झ) कोई व्यक्ति किसी महाविद्यालय में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तब्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो, नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से स्वस्थता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

वेतनमान और भत्ते

13.09(ञ) कर्मचारी को वही वेतनमान और भत्ता दिया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

स्पष्टीकरण– भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किसी रिक्ति में नियुक्त कोई भूतपूर्व सैनिक केवल संघ की सशस्त्र सेना में अपनी पिछली सेवा के कारण कोई उच्च वेतन पाने का हकदार नहीं होगा।

आचरण तथा अन्य विषय

13.09(ट) (1) प्रत्येक कर्मचारी अपने कार्य और आचरण के सम्बन्ध में उच्चतम् कोटि की सत्यनिष्ठा बनाये रखेगा।

(2) प्रत्येक कर्मचारी प्रबन्धतंत्र, प्राचार्य के आदेशों या निर्देशों का जिसमें राज्य सरकार के या विश्वविद्यालय के आदेशों के कार्यान्वयन में जारी किये गये आदेश या निर्देश भी सम्मिलित है, अनुपालन करेगा।

(3) महाविद्यालय का प्राचार्य प्रत्येक कर्मचारी की चरित्रपंजी रखेगा, जिसमें उसके कार्य और आचरण के सम्बन्ध में गोपनीय रिपोर्ट, प्रतिवर्ष लिखी जायेगी। सम्बद्ध कर्मचारी को प्रतिकूल प्रविष्टि की सूचना यथाशीघ्र दी जायेगी, जिससे कि वह अपना कार्य और आचरण तदनुसार सुधार सके।

(4) प्रतिकूल प्रविष्टि से ब्यथित कोई कर्मचारी प्रतिकूल प्रविष्टि को हटाने के लिए प्राचार्य के माध्यम से महाविद्यालय के प्रबंधक को अभ्यावेदन कर सकता है। प्रतिकूल प्रविष्टि को निकालने की शक्ति सम्बद्ध महाविद्यालय की प्रबंध समिति में निहित होगी।

(5) प्रत्येक कर्मचारी की सेवा पुस्तिका प्राचार्य के नियंत्रण में रखी जायेगी।

अनुशासनिक कार्यवाही

धारा 49 (ण)

13.09(ठ) कोई कर्मचारी जो परिनियम 15.9(ट) के खण्ड (1) और खण्ड (2) में से किसी एक या दोनों उपबंधों का पालन नहीं करता है, अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा।

सेवा की समाप्ति और पद त्याग

धारा 49 (ण)

13.09(ड) (1) किसी कर्मचारी को निम्नलिखित किसी एक या अधिक कारण से सेवा से हटाया जा सकेगा, अर्थात्–

(क) कर्तव्यों की घोर उपेक्षा,

(ख) दुराचरण,

(ग) अनधीनता या अवज्ञा,

(घ) कर्तव्यों के पालन में शारीरिक या मानसिक दृष्टि से अनुपयुक्तता,

(ड.) सरकार या सम्बद्ध विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के विरूद्ध प्रतिकूल आचरण या कार्यकलाप,

(च) नैतिक पतन के समन्वित आरोप पर किसी विधि न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि।

(2) यदि कोई अस्थायी कर्मचारी सेवा से त्यागपत्र देता है तो वह महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र को एक मास पहले इस आशय की लिखित नोटिस देगा अन्यथा उसे नोटिस के बदले में एक मास का वेतन महाविद्यालय के पास जमा करना होगा। उसी प्रकार यदि महाविद्यालय का प्रबंधतंत्र किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त करने का विनिश्चय करता है, तो प्रबंधतंत्र कर्मचारी को एक मास की नोटिस या उसके बदले में एक मास का वेतन देगा।

(3) किसी स्थायी कर्मचारी को सेवा से, पद समाप्त किये जाने के आधार पर उसे तीन मास की लिखित नोटिस देने या उसके बदले में तीन मास का वेतन देने के पश्चात् मुक्त किया जा सकता है। किसी पद को निम्नलिखित किसी आधार पर समाप्त किया जा सकता है–

(क) वित्तीय कठिनाई के कारण छटनी,

(ख) छात्रों की भर्ती में कमी,

(ग) उस विषय में जिसमें पद सम्बन्धित हो अध्यापन कार्य का बन्द किया जाना।

अधिवर्षिता की आयु

धारा 49 (ण)

13.09(ढ) किसी कर्मचारी की अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष होगी। जिस कर्मचारी ने इस परिनियमावली के प्रारंभ में दिनांक पर या उसके पूर्व 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो उसे तुरन्त सेवा निवृत्त कर दिया जायेगा।

छुट्टी

धारा 49 (ण)

13.09(ण) (1) समान स्तर के सरकारी सेवकों पर प्रयोज्य छुट्टी संबंधी नियम, आवश्यक परिवर्तन सहित, कर्मचारी पर लागू होंगे।

(2) प्राचार्य को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश तथा अन्य कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का प्राधिकार होगा।

(3) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों को आकस्मिक छुट्टी के लिए कर्मचारी के आवेदन पत्र को प्राचार्य अपनी सिफारिश के साथ महाविद्यालय के प्रबंधक को भेजेगा, जिसे छुट्टी स्वीकृत करने का प्राधिकार होगा।

(4) छुट्टी से सम्बन्धित समस्त अभिलेख प्राचार्य द्वारा रखे जायेंगे जो (आकस्मिक छुट्टी से भिन्न) छुट्टी स्वीकृत किये जाने के आदेश की प्रतियाँ संभागीय उप शिक्षा निदेशक या उस प्राधिकारी को, जो उसके द्वारा कर्मचारी के वेतन का संवितरण करने के लिए प्राधिकृत हो, भेजेगा। प्राचार्य वेतन बिल में छुट्टी की अवधि और उसका प्रकार भी उल्लिखित करेगा।

प्रकीर्ण

धारा 49 (ण)

13.09(त) राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान पाने वाले किसी एक महाविद्यालय का पूर्णकालिक कर्मचारी जो किसी दूसरे महाविद्यालय में नियुक्त किया जाय, नियमित चयन के

पश्चात उस वेतन से जो वह उस महाविद्यालय में पा रहा था, जिसमें वह पहले कार्य कर रहा था, कम वेतन पाने का हकदार नहीं होगा। यदि कर्मचारी–

(क) पूर्ववर्ती महाविद्यालय में अपने पद पर स्थायी था और ऐसा महाविद्यालय सहायता अनुदान सूची में था,

(ख) नये महाविद्यालय में सेवा के लिए पूर्ववर्ती महाविद्यालय के प्रबंधक की अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो और पूर्ववर्ती महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र को उसे अवमुक्त करने में कोई आपत्ति न हो

(ग) पूर्ववर्ती महाविद्यालय के प्रबंधक से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे कि ऐसी कोई असामान्य और प्रतिकूल परिस्थितियाँ नहीं थी, जिसमें कर्मचारी ने उस विद्यालय को छोड़ा।

(घ) पूर्ववर्ती महाविद्यालय से अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे जो सम्बद्ध जिला विद्यालय निरीक्षण द्वारा सम्यक रूप से प्रतिहस्ताक्षरित हो।

स्पष्टीकरण– (1) नये महाविद्यालय में नियुक्ति किये जाने पर, पूर्ववर्ती महाविद्यालय में की गई सेवा की गणना ज्येष्ठता के लिए नहीं की जायेगी। नये महाविद्यालय में ज्येष्ठता की गणना नये महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उस महाविद्यालय में एक वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् देय होगी।

(2) कर्मचारी नये महाविद्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिए की गई यात्रा के लिए कोई यात्रा भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा। फिर भी उसे निम्नलिखित दरों पर यात्रा अवधि अनुमन्य होगी।

(क) रेल यात्रा से सम्बन्धित स्थानों के लिए प्रति 500 किलोमीटर पर एक दिन।

(ख) उन स्थानों के लिए जो रेल से सम्बन्धित नहीं है, परन्तु बस से सम्बद्ध है प्रति 150 किलोमीटर पर एक दिन,

(ग) उन स्थानों के लिए जो न तो रेल से सम्बद्ध है और न बस से सम्बद्ध है प्रति 25 किलोमीटर पर एक दिन।

महाविद्यालय के मृत कर्मचारियों के आश्रित का सेवायोजन

13.09(थ) यदि किसी स्थायी कर्मचारी या ऐसे कर्मचारी की जो कम से कम लगातार तीन वर्ष से किसी अस्थायी पद पर हो, सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाये तो ऐसे मृत कर्मचारी के एक आश्रित को जो महाविद्यालय में किसी शिक्षणेत्तर पद के लिए आवेदन पत्र देता है और ऐसे पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रखता हो, प्रबंधतंत्र द्वारा निदेशक उच्च शिक्षा के पूर्वानुमोदन से चयन की प्रक्रिया और अधिकतम आयु सीमा को शिथिल करके नियुक्त किया जा सकता है।

परन्तु यदि कोई रिक्ति न हो, तो अधिसंख्य पद के विरूद्ध तत्काल नियुक्ति कर दी जायेगी जो इस प्रयोजनार्थ सृजित किया गया समझा जायेगा और वह जब तक कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होगी, जारी रहेगा।

स्पष्टीकरण– इस परिनियम के प्रयोजनों के लिए–

(1) "आश्रित" का तात्पर्य मृतक के पुत्र, उसकी अविवाहित या विधवा पुत्री, उसकी विधवा या उसके विधुर से है,

(2) "कर्मचारी" के अन्तर्गत संस्था में नियोजित अध्यापक भी है।

नोटः– शासन के नियमों के अधीन व्यवस्था।

अध्याय–14

प्रकीर्ण

धारा 7 (12) तथा 49 (त)

14.01– विश्वविद्यालय अध्यादेशों में निर्धारित उपबन्धों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अधिछात्रवृत्तियां (जिसके अन्तर्गत यांत्रिक अधिछात्रवृत्तियां भी हैं), विद्यावृत्तियां, पदक तथा पारितोषिक संस्थित और उन्हें प्रदान कर सकता है।

धारा 49 तथा 64

14.02– विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के सभी, निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा परिशिष्ट 'क' में निर्धारित रीति से होंगे।

14.03– इस परिनियमावली या विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में दी गयी किसी बात के होते हुए भी :–

(1) किसी विद्या वर्ष में 31 अगस्त के पश्चात कोई प्रवेश नहीं किया जायगा,

(2) किसी विद्यालय द्वारा संचालित सभी परीक्षाएं 30 अप्रैल तक पूरी हो जायेंगी, और

(3) 15 जून तक परीक्षाफल घोषित कर दिये जाएंगे;

14.04–किसी अभ्यर्थी को अपने परीक्षाफल में सुधार करने की दृष्टि से विश्वविद्यालय की अगली नियमित परीक्षा में, पूर्व स्नातक परीक्षा के किसी भाग के एक विषय में ओर बी0एड0 परीक्षा के या एल–एल0बी0 के किसी एक वर्ष की परीक्षा के, या स्नातकोत्तर परीक्षा के एक भाग के एक प्रश्नपत्र की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है।

14.05–जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया एवं इससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षकों/अकेन्द्रयित शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों को अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सेवायोजित किया जायेगा :–

(1) सेवारत किसी पूर्णकालिक नियमित/अस्थायी शिक्षक अथवा/अकेन्द्रीयित शिक्षणेत्तर कर्मचारी के सेवाकाल में मृत्यु की दशा में उसके कुटुम्ब के एक ऐसे सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए शिक्षणेत्तर सेवा में सीधी भर्ती के पद पर उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो यदि ऐसा व्यक्ति :–

(क) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो।

(ख) अन्य प्रकार से विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय की सेवा के लिए अर्ह हो।

(ग) विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय के शिक्षक अथवा अकेन्द्रयित शिक्षणेत्तर कर्मचारी के मृत्यु के दिनांक से 5 वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है।

इस प्राविधान के अधीन कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जायगी, प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई रिक्ति विद्यमान न हो, तो नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य पद के प्रति की जायेगी, जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जायेगा और जो तब तक चलेगा जब तक कोई रिक्ति उपलब्ध न हो जाय।

अध्याय–15

अधिभार

धारा 9 (झ)

15.01– जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस परिनियमावली में :–

(1) ''परीक्षक'' का तात्पर्य निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश से है।

(2) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(3) ''विश्वविद्यालय का अधिकारी'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (ग) से (ज) तक के किसी भी खण्ड में उल्लिखित अधिकारी और परिनियम 2.01 (क) के अधीन इस रूप में घोषित अधिकारियों से है।

15.02– किसी भी ऐसे मामले में जिसमें परीक्षक की राय हो कि किसी अधिकारी की उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरूपयोग जिसके अन्तर्गत दुर्विनियोग या अनुचित व्यय भी है, हुआ है तो वह अधिकारी से लिखित रूप मे स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकता है कि क्यों न ऐसे अधिकारी पर ऐसी धनराशि की हानि, धन के अपब्यय या दुरूपयोग के लिए या एसी धनराशि के लिये जो सम्पत्ति की हानि, अपब्यय या दुरूपयोग के लिए या ऐसी धनराशि के लिए जो सम्पत्ति की हानि, अपब्यय या दुरूपयोग के बराबर हो, अधिभार लगाया जाय और ऐसा स्पष्टीकरण सम्बद्ध ब्यक्ति को ऐसी अध्यपेक्षा के संसूचित किये जाने के दिनांक से दो मास से अनधिक अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जायगा :

परन्तु कुलपति से भिन्न किसी भी अधिकारी से स्पष्टीकरण कुलपति के माध्यम से मांगा जायगा।

टिप्पणी :

(1) परीक्षक द्वारा या इस प्रयोजन के लिये उसके द्वारा नियुक्त ब्यक्ति द्वारा प्रारम्भिक जाँच के लिये अपेक्षित कोई सूचना और समस्त सम्बन्धित पत्रादि और अभिलेख अधिकारी द्वारा (या यदि ऐसी सूचना, पत्रादि या अभिलेख उक्त अधिकारी से भिन्न ब्यक्ति के कब्जे में हो, तो ऐसे ब्यक्ति द्वारा) किसी भी स्थिति में दो सप्ताह से अनधिक युक्तियुक्त समय के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा और दिखाया जाएगा।

(2) खण्ड(1) में दिये गये उपबन्धों की ब्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परीक्षक निम्नलिखित मामलों में स्पष्टीकरण मांग सकता है–

(क) जहाँ ब्यय इस परिनियमावली के या अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये अध्यादेशों या विनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया हो;

(ख) जहाँ हानि पर्याप्त अभिलिखित कारणों के बिना कोई उच्च टेंडर स्वीकार करने से हुई हो;

(ग) जहाँ विश्वविद्यालय को देय किसी धनराशि का परिहार इस परिनियम के या अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये अध्यादेशों या विनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया हो;

(घ) जहाँ विश्वविद्यालय को अपने देयों को वसूल करने में उपेक्षा के कारण हानि हुई हो;

(ड.) जहाँ विश्वविद्यालय की निधि या सम्पत्ति को ऐसे धन या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिये युक्तियुक्त सावधानी न बरतने के कारण हानि हुई हो।

(3) उस अधिकारी की जिससे स्पष्टीकरण मांगा गया हो, लिखित अध्यपेक्षा पर विश्वविद्यालय उसे सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये आवश्यक सुविधायें देगा। परीक्षा, सम्बद्ध अधिकारी के आवेदन–पत्र पर, उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिये समय को युक्तियुक्त अवधि तक बढ़ा सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि आरोपित अधिकारी अपना सपष्टीकरण प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिये सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण अपने नियंत्रण से परे कारणों से नहीं कर सका है।

स्पष्टीकरण : अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों का उल्लंघन करके कोई नियुक्ति करने को अपचार करना समझा जायगा और ऐसी अनियमित नियुक्ति के कारण सम्बद्ध व्यक्ति को वेतन या अन्य देयों का भुगतान विश्वविद्यालय के धन की हानि, दुर्ब्यय या दुरूपयोग समझा जायेगा।

15.03– विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात् और स्पष्टीकरण पर, यदि समय के भीतर प्राप्त हो, विचार करने के पश्चात्, परीक्षक अधिकारी पर सम्पूर्ण धनराशि या उसके किसी भाग के लिए, जिसके लिए ऐसा अधिकारी उसकी राय में उत्तरदायी हो, अधिभार लगा सकता है :

परन्तु यदि दो या अधिक अधिकारियों की उपेक्षा या अपचार के परिणाम स्वरूप हानि, दुर्ब्यय या दुरूपयोग हो तो प्रत्येक ऐसा अधिकारी संयुक्ततः और पृथक्तः देनदार होगा :

परन्तु यह भी कि कोई अधिकारी किसी ऐसी हानि, दुर्ब्यय या दुरूपयोग के दिनांक से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात, या उसके ऐसा अधिकारी न रह जाने के दिनांक से छः वर्ष की समाप्ति के पश्चात, इसमें जो भी पश्चातवर्ती हो, किसी हानि, दुर्ब्यय या दुरूपयोग के लिये उत्तरदायी न होगा।

15.04– परीक्षक द्वारा दिये गये अधिभार के आदेश से ब्यथित अधिकारी, उस मण्डल के आयुक्त को जिसमें विश्वविद्यालय स्थित हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है। आयुक्त परीक्षक द्वारा दिये गये आदेश को पुष्ट, विखण्डित या परिवर्तित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे। इस प्रकार दिया गया आदेश अन्तिम होगा और इसके विरूद्ध कोई अपील न हो सकेगी।

15.05 (1) अधिकारी जिस पर अधिभार लगाया गया हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर या ऐसे अग्रेतर समय के भीतर जो उक्त दिनांक से, एक वर्ष से अधिक न हो जैसा परीक्षक द्वारा अनुमति दी जाय, अधिभार की धनराशि का भुगतान करेगा :

परन्तु यदि परीक्षक द्वारा दिये गये अधिभार के आदेश के विरूद्ध परिनियम 17.04 के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गयी हो तो अपील प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से धनराशि की वसूली के लिये समस्त कार्यवाहियाँ आयुक्त द्वारा रोकी जा सकती है जब तक कि अपील का अन्तिम रूप से विनिश्चय न हो जाय।

(2) यदि अधिभार की धनराशि का भुगतान खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो वह भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किये जाने योग्य होगी।

15.06– जहाँ अभिभार के किसी आदेश पर आपत्ति करने के लिये किसी न्यायालय में कोई वाद संस्थित किया जाय और ऐसे वाद में परीक्षक या राज्य सरकार प्रतिवादी हो, वहाँ वाद का प्रतिवाद करने में उपगत समस्त खर्चे का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा और विश्वविद्यालय का यह कर्त्तब्य होगा कि वह इसका भुगतान बिना किसी विलम्ब के करे।''

अध्याय–16

दीक्षान्त समारोह

धारा 49 (द)

16.01– (1) विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि, डिप्लोमा और विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्टतायें प्रदान करने के लिए वर्ष में एक बार ऐसे दिनांक को और ऐसे समय पर, जैसा कार्य परिषद् नियत करे, एक दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।

(2) कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा विशेष दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।

(3) दीक्षान्त समारोह में धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट ब्यक्ति होंगे जिनसे विश्वद्यिालय का नियमित निकाय गठित हो।

धारा 49 (द)

16.02– इस अध्याय में निर्दिष्ट दीक्षान्त समारोह में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और इससे सम्बन्धित अन्य विषय ऐसे होंगे जैसा अध्यादेशों में निर्धारित हो।

धारा 49 (द)

16.03– जहाँ विश्वविद्यालय के लिए परिनियम 18.01 और परिनियम 18.02 के अनुसार दीक्षान्तसमारोह आयोजित करना सुविधाजनक न हो, वहाँ उपाधि, डिप्लोमा और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टतायें सम्बद्ध अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है।

परिशिष्ट–क

(परिनियम 4.11 और 14.02 देखिए)

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन

भाग–1

सामान्य

1– जब तक कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किसी निर्वाचन के प्रति निर्देश से विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो :

(i) **"अभ्यर्थी"** का तात्पर्य निर्वाचन लड़ने के लिए सम्यक रूप से अर्ह ऐसे व्यक्ति से है जो सम्यक रूप से नाम–निर्दिष्ट किया गया हो;

(ii) **"अनवरत अभ्यर्थी"** का तात्पर्य ऐसे ब्यक्ति से है जो न तो निर्वाचित हुआ हो और न किसी समय विशेष पर मतदान से अपवर्जित हुआ हो;

(iii) **"निर्वाचक"** का तात्पर्य ऐसे ब्यक्ति से है, जो निर्वाचन में अपना मत देने के लिए, सम्यक रूप से अर्ह हो,

(iv) **"निःशेष–पत्र"** का तात्पर्य ऐसे मत–पत्र से है जिस पर किसी अनवरत अभ्यर्थी के लिए कोई अग्रेतर अधिमान अभिलिखित न हो, परन्तु कोई पत्र तब भी निःशेषित समझा जाएगा, यदि–

(क) उसमें दो अथवा अधिक अभ्यर्थियों के नाम चाहे वे अनवरत हों या न हों, समान अंक से चिन्हित हों और उनका स्थान अधिमान क्रम में अगला हो; या

(ख) अधिमान–क्रम में अगले अभ्यर्थी का नाम चाहे वह अनवरत हो या न हो–

(1) ऐसे अंक से चिन्हित हो जो मतपत्र में किसी अन्य अंक के पश्चात् क्रमानुसार न हो, या

(2) दो अथवा अधिक अंकों से चिन्हित हों।

(v) **"प्रथम अधिमान मत"** का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष में मत से है जिसके नाम के सामने मतपत्र में अंक "1" लिखा हो; **"द्वितीय अधिमान मत"** का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष में मत से है जिसके नाम के सामने अंक "2" लिखा हो, **"तृतीय अधिमान–मत"** का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष में मत से है जिसके नाम के सामने अंक "3" लिखा हो और इसी प्रकार क्रम में आगे भी लिखा हो;

(vi) किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में, **"मूल मत"** का तात्पर्य ऐसे मतपत्र द्वारा प्राप्त मत से है जिस पर उस अभ्यर्थी के लिए प्रथम अधिमान अभिलिखित हो;

(vii) **"कोटा"** का तात्पर्य मतों के उस न्यूनतम मूल्यांक से है जो किसी अभ्यर्थी के निर्वाचिन होने के लिए पर्याप्त हो;

(viii) **"आधिक्य"** का तात्पर्य उस संख्या से है जितने से कि किसी अभ्यर्थी के मूल और संक्रमित मतों का मूल्यांक कोटा से अधिक हो;

(ix) किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में, **"संक्रमित मत"** का तात्पर्य ऐसे मत–पत्र द्वारा प्राप्त मत से है जिस पर उस अभ्यर्थी के लिए, द्वितीय अथवा उसके बादवाला कोई अधिमान लिखा हो और जिसका मूल्यांक का भाग उस अभ्यर्थी के पक्ष में जोड़ा जाय;

(x) **"अनिःशेष पत्र"** का तात्पर्य ऐसे मत–पत्र से है जिस पर किसी अनवरत अभ्यर्थी के लिए अग्रेतर अधिमान अभिलिखित हो।

2– **"कुलसचिव"** रिटर्निंग आफिसर होगा जो सभी निर्वाचनों के संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।

3– कुलपति

(i) प्रत्येक निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों के लिए परिनियमों के उपबन्धों के अनुरूप दिनांक नियत करेगाा तथा उसे आपातिक स्थिति में इन दिनांकों में परिवर्तन करने की, सिवाय उस दशा के जब ऐसे परिवर्तन से परिनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन होता हो, शक्ति होगी।

(ii) संदेह की दशा में, किसी अभिलिखित मत की वैधता अथवा अवैधता का विनिश्चय करेगा।

4– सभा के रजिस्ट्रीकृत स्नाताकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का निर्वाचन (तथा अन्य ऐसे निर्वाचन जिनके विषय में कुलपति सुविधा तथा मितव्ययिता के कारण निर्देश दे) डाक द्वारा मत–पत्र से किया जायेगा। अन्य निर्वाचन सम्बन्धित प्राधिकारियों अथवा निकायों के अधिवेशनों में किये जायेंगे।

5– मतपत्र निम्नलिखित प्रपत्र में होगा–

विश्वविद्यालय का नाम

..... निर्वाचन–क्षेत्र द्वारा निर्वाचन

(अभ्यर्थियों के नाम तथा अधिमान–क्रम 1, 2, 3 इत्यादि अंकों द्वारा रिक्त स्थान में इंगित किये जायेंगे)

.....

.....

.....

6– निर्वाचक अपना मत देने में–

(i) अपने मतपत्र पर अंक 1 उस अभ्यर्थी के नाम के सामने लिखेगा जिसको कि वह अपना मत दे; और

(ii) इसके अतिरिक्त जितने अन्य अभ्यर्थियों को वह चाहे, अपनी पसन्द या अधिमानता को उन अभ्यर्थियों के नाम के सामने क्रमशः 2, 3, 4 तथा इसी प्रकार अविच्छिन्न अंकों द्वारा लिख कर ब्यक्त कर सकता है।

7– वह मत–पत्र अविधिमान्य होगा–

(i) जिस पर अंक 1 न लिखा हो; या

(ii) जिस पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के आगे अंक 1 लिखा हो; या

(iii) जिस पर अंक 1 तथा कोई अंक एक ही अभ्यर्थी के नाम के आगे लिखा हो; या

(iv) जिस पर अंक 1 ऐसा लिखा हो जिससे यह सन्देह हो कि वह किसी अभ्यर्थी के लिए अभिप्रेत है; या

(v) मतपत्र द्वारा निर्वाचन की दशा में, जिस पर कोई ऐसा चिन्ह बना हो जिससे कि मतदाता बाद में पहचाना जा सके; या

(vi) जिस पर मतदाता के अधिमान को व्यक्त करने वाला अंक मिटाया गया हो या उसमें परिवर्तन किया गया हो; या

(vii) जो उक्त प्रयोजन के लिए ब्यवस्थित प्रपत्र न हो।

भाग–2

डाक मत–पत्र द्वारा संचालित निर्वाचन

8– डाक मत–पत्र द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियाँ होने के कम से कम तीन मास पहले कुलसचिव प्रत्येक अर्ह मतदाता के पास, उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर, रजिस्ट्रीकृत डाक से नोटिस भिजवायेगा, जिसमें उससे नोटिस भेजे जाने के पन्द्रह दिन के भीतर नाम–निर्देशन–पत्र प्रस्तुत करने को कहा जायेगा। नोटिस के साथ निर्वाचकों की एक सूची होगी।

9– कुलसचिव को, मतदाताओं की सूची की प्रत्येक ऐसी अशुद्धि तथा लोप को, जो उसकी जानकारी में लाया जाय, ठीक करने की शक्ति होगी। यदि किसी ब्यक्ति का नाम सूचनी से निकाल दिया जाय तो उसके मत की गणना नहीं की जायगी, भले ही उसे मतपत्र मिल गया हो और उसने अपना मत दे दिया हो, और एक प्रमाण–पत्र कि ऐसा किया गया है, कुलसचिव तथा निर्वाचन तैयार करने में उससे सम्बद्ध व्यक्तिओं द्वारा, यदि हो, अभिलिखित किया जायगा।

10– प्रत्येक निर्वाचक को भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनधिक अभ्यर्थियों का नाम–निर्देशन का विकल्प होगा।

11– प्रत्येक नाम–निर्देशन पत्र पर प्रस्तावक द्वारा जो स्वयं निर्वाचक होगा, हस्ताक्षर किया जायगा, और उसके साथ निर्वाचन के लिए नाम–निर्दिष्ट अभ्यर्थी की सहमति होगी जो या तो लिखित होगी या नाम–निर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा की गई होगी। उसमें नाम–निर्देशन के समर्थकों के रूप में अन्य निर्वाचकों के हस्ताक्षर हो सकते हैं, किन्तु कोई भी अभ्यर्थी किसी ऐसे नाम–निर्देशन–पत्र पर, जिसमें उसका नाम अभ्यर्थी के रूप में लिखा हो, प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर नहीं करेगा।

12– नाम–निर्देशन–पत्र नोटिस में उल्लिखित समय के भीतर कुलसचिव को बन्द लिफाफे में या तो स्वयं प्रस्तावक या किसी ऐसे निर्वाचक द्वारा दिया जायगा जो नाम–निर्देशन का समर्थन करता हो या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा।

13– कोई अभ्यर्थी निर्वाचन से अपना नाम वापस लेने की लिखित सूचना, जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और जो किसी वैतनिक मजिस्ट्रेट, राजपत्रित अधिकारी या विश्वविद्यालय से सहयुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अनुप्रमाणित होगा, कुलसचिव को इस प्रकार भेजकर कि वह नाम–निर्देशन की प्राप्ति के लिए अन्तिम दिन के रूप में निश्चित दिन तथा समय के पूर्व पहुँच जाय, निर्वाचन से अपना नाम वापस ले सकता है। अनुप्रमाणन पर सम्बन्धित अधिकारी की मुहर लगी होनी चाहिए।

14– कुलसचिव नाम–निर्देशन पत्रों के लिफाफों को खोलने का स्थान, दिनांक और समय अधिसूचित करेगाा। ऐसे अभ्यर्थी या निर्वाचक जो उपस्थित होना चाहें, उस पर उपस्थित हो सकते हैं।

15– कुलसचिव विधिमान्य नाम–निर्देशनों की एक सूची तैयार करेगा। यदि कोई नाम–निर्देशन–पत्र कुलसचिव द्वारा अस्वीकृत किया जाय, तो वह अस्वीकृत करने के कारणों की सूचना अभ्यर्थी को दो दिन के भीतर देगा। यह अभ्यर्थी पर निर्भर होगा कि वह ऐसी संसूचना की प्राप्ति के तीन दिन के भीतर आवेदन–पत्र भेजे कि मामला कुलपति को निर्दिष्ट किया जाय। ततपश्चात् वह मामला कुलपति को निर्दिष्ट किया जायगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

16– यदि सम्यक् रूप से नाम–निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक न हो तो कुलसचिव उन्हें निर्वाचित घोषित कर देगा। यदि कोई स्थान भरने से रह जाय तो उसे भरने के लिए पूर्वोक्त रीति से नया निर्वाचन किया जायगा और ऐसा निर्वाचन समामान्य निर्वाचन का भाग समझा जाएगा।

17– यदि सम्यक रूप से नाम–निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की संख्या, भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक हो तो निर्वाचन किया जाएगा।

18– कुलसचिव संवीक्षा पूरी होने के 15 दिन के भीतर प्रत्येक निर्वाचक को रजिस्ट्रीकृत डाक से उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर एक मतपत्र के साथ एक लिफाफा भेजेगा जिस पर केवल निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखा होगा और एक बड़ा लिफाफा भी भेजेगा जिसके बाईं ओर निर्वाचन नामावली में निर्वाचक की संख्या, निर्वाचन–क्षेत्र का नाम, और दाहिनी ओर विश्वविद्यालय के कुलसचिव का पता लिखा अथवा छपा होगा। कुलसचिव अभिज्ञान का एक प्रमाण–पत्र भी संलग्न करेगा।

19– (i) निर्वाचक अभिज्ञान के प्रमाण–पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और उसे निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक से सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित करायेगा :–

(क) तत्समय भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलसचिव,

(ख) किसी ऐसे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय का प्राचार्य अथवा उस विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग का अध्यक्ष,

(ग) सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी।

(ii) अनुप्रमाणक अधिकारी अपने पूर्ण हस्ताक्षर और अपनी मुहर से अनुप्रमाणित करेगा।

(iii) निर्वाचक मतपत्र को, बिना अपने नाम अथवा हस्ताक्षर के, सम्यक रूप से भरकर छोटे लिफाफे में बन्द करेगा, और तब उसे सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित अभिज्ञान के प्रमाण–पत्र के साथ बड़े लिफाफे में बन्द कर देगा और उसे सम्यक रूप से मुहर बन्द करके या तो रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कुलसचिव के पास भेज देगा या उन्हें स्वयं देगा।

20– मतपत्र कुलसचिव के पास निश्चित समय और दिनांक तक अवश्य पहुँच जाना चाहिये। यदि नियत समय और दिनांक के पश्चात् प्राप्त हो तो वह उसके द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायगा।

21– यदि दो या उससे अधिक मत–पत्र एक ही लिफाफे में भेजे जायँ तो उनकी गणना नहीं की जायगी।

22– कोई मतदाता जिसे अपना मत–पत्र तथा अन्य सम्बन्धित पत्रादि प्राप्त न हुए हों अथवा जिससे वे खो गये हों, अथवा जिसके पत्रादि कुलसचिव को वापस किये जाने के पूर्व अनवधानतावश विकृत हो गये हों, इस आाशय का स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र कुलसचिव को भेजकर उनके प्राप्त न हुए, खो गये अथवा विकृत पत्रादि के स्थान पर, पत्रादि की दूसरी प्रति भेजने का अनुरोध कर सकता है। कुलसचिव, प्राप्त न हुए, खो गये या विकृत पत्रादि के स्थान पर, यदि उसका समाधान हो जाय, "द्वितीय प्रति" अंकित करके, दूसरी प्रति जारी कर सकता है।

23– कुलसचिव मत–पत्रों को उनकी संवीक्षा के लिए निश्चित दिनांक और समय तक मुहरबन्द तथा बिना खोले सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

24– संवीक्षा के दिनांक, समय तथा स्थान की सम्यक् सूचना कुलसचिव द्वारा सभी अभ्यर्थियों को दी जायगी जिन्हें संवीक्षा के समय उपस्थित होने का अधिकार होगा :

परन्तु किसी अभ्यर्थी को किसी मत–पत्र का निरीक्षण करने की मांग करने का हक नहीं होगा।

25– कुलसचिव को, यदि आवश्यक हो, ऐसे अन्य ब्यक्तियों द्वारा सहायता दी जायेगी जिन्हें कुलपति संवीक्षा कार्य में सहायता देने के लिए नियुक्त करे।

26– नियत दिनांक, समय तथा स्थान पर कुलसचिव मत पत्रों के लिफाफे खोलेगा तथा उनकी संवीक्षा करेगा और जो विधिमान्य न हों उन्हें अलग कर देगा।

27– विधिमान्य मत–पत्रों को छांटकर उनकी पार्सल बनायी जायेगी। एक पार्सल में वे समस्त मत–पत्र होंगे जिसमें किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए प्रथम अधिमान अभिलिखित हो।

28– इस परिनियम द्वारा विहित प्रक्रिया को सुगम बनाने के प्रयोजन से प्रत्येक मत–पत्र का मूल्यांकन एक सा समझा जायेगा।

29– परिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए कुलसचिव–

(i) सभी भिन्नों की उपेक्षा करेगा;

(ii) निर्वाचित हो चुके अथवा मतदान से अपवर्जित अभ्यर्थियों के लिए अभिलिखित सभी अधिमानों पर ध्यान न देगा।

30– कुलसचिव तब समस्त पार्सलों के मतपत्रों के मूल्यांकन का योग निकालेगा। उस योग को ऐसी संख्या से भाग देगा जो कि भरी जानेवाली रिक्तियों की संख्या से एक अधिक हो, तथा भागफल में एक जोड़ेगा। इस प्रकार प्राप्त संख्या 'कोटा' होगी।

31– यदि किसी समय उतनी संख्या में अभ्यर्थी कोटा प्राप्त कर लें जितने कि निर्वाचित होने हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को निर्वाचित समझा जायगा और आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायगी।

32– (i) प्रत्येक ऐसा अभ्यर्थी जिसके पार्सल का मूल्यांक प्रथम अधिमान गिनने पर कोटा के बराबर अथवा उससे अधिक हो, निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।

(ii) यदि किसी ऐसे पार्सल में मत–पत्रों का मूल्यांक कोटा के बराबर हो तो वे मतपत्र अन्तिम रूप से बरते गये के रूप में अलग रख दिये जायेंगे।

(iii) यदि किसी ऐसे पार्सल में मत–पत्रों का मूल्यांक कोटा से अधिक हो तो आधिक्य उन अनवरत अभ्यर्थियों को इस परिनियम में आगे दी हुई रीति से संक्रमित कर दिया जायगा जो कि मतपत्रों में निर्वाचक के अधिमान–क्रम में निकटतम अनुगामी के रूप में इंगित हो।

33– (i) यदि उपर्युक्त परिनियम द्वारा विहित किसी प्रयोग के फलस्वरूप जब कभी किसी अभ्यर्थी को कुछ आधिक्य प्राप्त हो तो वह आधिक्य इस परिनियम के उपबन्धों के अनुसार संक्रमित किया जाएगा।

(ii) यदि एक से अधिक अभ्यर्थी को आधिक्य प्राप्त हो, तो अधिकतम आधिक्य पहले बरता जायगा तथा परिणाम के न्यूनता–क्रम के अनुसार दूसरों से बरता जायगा, परन्तु मतों की प्रथम गणना में उद्‌भूत प्रत्येक आधिक्य दूसरी गणना में उद्‌भूत आधिक्य से पहले बरता जायगा और यही क्रम आगे भी चलेगा।

(iii) यदि दो अथवा उससे अधिक आधिक्य बराबर हों तो कुलसचिव उपर्युक्त उपखण्ड (ii) में विहित शर्तों के अनुसार यह विनिश्चिय करेगा कि किसके सम्बन्ध में पहले बरता जाय।

(iv) (क) यदि किसी अभ्यर्थी का संक्रमित किया जानेवाला आधिक्य केवल मूल मतों से उद्‌भूत हों, तो कुलसचिव उस अभ्यर्थी के, जिसका कि आधिक्य संक्रमित किया जाने वाला हो पार्सल के सब मतपत्रों की जाँच करेगा और अनिःशेष पत्रों को उनमें अभिलिखित निकटतम अनुगामी अधिमानों के अनुसार उप–पार्सलों में विभाजित करेगा। वह निःशेष पत्रों का भी एक पृथक उप–पार्सल बनायेगा।

(ख) वह प्रत्येक उप–पार्सल मतपत्रों का तथा अनिःशेष मतपत्रों का मूल्यांक अभिनिश्चित करेगाा।

(ग) यदि अनिःशेष मतपत्रों का मूल्यांक आधिक्य के बराबर अथवा उससे कम हो तो वह सब अनिःशेष मतपत्रों को उस मूल्यांक पर, जिस पर कि वे उस अभ्यर्थी को प्राप्त हुए थे, जिसका आधिक्य संक्रमित किया जा रहा हो, संक्रमित करेगा।

(घ) यदि अनिःशेष पत्रों का मूल्यांक आधिक्य से अधिक हो तो वह अनिःशेष पत्रों के उप–पार्सलों का संक्रमण करेगा और मूल्यांक जिस पर प्रत्येक मत–पत्र संक्रमित किया जायेगा, आधिक्य को अनिःशेष पत्रों की कुल संख्या से विभाजित करके अभिनिश्चय किया जायेगा।

(v) यदि किसी अभ्यर्थी का संक्रमित किया जानेवाला आधिक्य संक्रमित तथा मूलमतों से उद्‌भूत हुआ हो तो कुलसचिव अभ्यर्थी की सबसे अन्त से संक्रमित उपपार्सल के समस्त मत–पत्रों की पुनः जाँच करेगा तथा अनिःशेष पत्रों को उन पर अधिलिखित अनुगामी अधिमानों के अनुसार उप–पार्सलों में विभाजित करेगा। तदुपरान्त वह उप–पार्सलों से उसी रीति से बरतेगा जैसी कि पूर्वगामी अन्तिम उपखण्ड में निर्दिष्ट उप–पार्सलों के सम्बन्ध में ब्यवस्थित है।

(vi) प्रत्येक अभ्यर्थी को संक्रमित मत–पत्र ऐसे अभ्यर्थी के पहले के ही मतपत्रों में उप–पार्सल के रूप में मिला दिये जाएंगे।

(vii) निर्वाचित अभ्यर्थी के पार्सल अथवा उप–पार्सलों के वे सब मतपत्र जो इस खण्ड के अधीन संक्रमित न किये गये हों, अन्तिम रूप से बरते गये के रूप में अलग रख दिये जायेंगे।

34–(i) यदि उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार सब आधिक्यों के संक्रमित कर दिये जाने के पश्चात् अपेक्षित संख्या से कम अभ्यर्थी निर्वाचित हुये हों तो कुलसचिव मतदान के निम्नतम अभ्यर्थी को मतदान से अपवर्जित कर देगा और उसके अनिःशेष पत्रों को अनवरत अभ्यर्थियों में उन अनुगामी अधिमानों के अनुसार वितरित कर देगा जो उन पर अभिलिखित हों, कोई निःशेष अन्तिम रूप से बरते गये के रूप में अलग रख दिया जायेगा।

(ii) उन पत्रों को जिनमें अपवर्जित अभ्यर्थी का मूलमत अन्तर्विष्ट हो, सर्वप्रथम संक्रमित किया जायगा, प्रत्येक मत–पत्र का संक्रमण मूल्यांक एक सौ होगा।

(iii) फिर उन पत्रों को, जिनमें किसी अपवर्जित अभ्यर्थी के संक्रमित मत हों, संक्रमण के उसी क्रम में संक्रमित किया जायेगा जिस क्रम में और जिस मूल्यांक पर उसे प्राप्त हुये हैं।

(iv) ऐसा प्रत्येक संक्रमण पृथक संक्रमण समझा जायगा।

(v) मतदान में एक के बाद दूसरे निम्नतम अभ्यर्थियों के अपवर्जन पर इस खण्ड द्वारा निर्देशित प्रक्रिया तब तक दोहराई जायगी जब तक कि अन्तिम रिक्ति की पूर्ति किसी अभ्यर्थी के कोटा प्राप्त कर लेने पर निर्वाचन द्वारा अथवा आगे के उपबन्धों के अनुसार न हो जाय।

35– यदि मत–पत्रों के संक्रमण के फलस्वरूप अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों का मूल्यांक कोटा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जाय तो संक्रमण की कार्यवाही पूरी की जायगी, किन्तु अग्रेतर कोई मत–पत्र उसे संक्रमित नहीं किया जायगा।

36–(i) यदि उक्त खण्ड के अधीन किसी संक्रमण के पूरा होने के पश्चात् किसी अभ्यर्थी के मतों का मूल्यांक कोटा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जाय तो उसे निर्वाचित घोषित किया जायगा।

(ii) यदि किसी ऐसे अभ्यर्थी के मतों का मूल्यांकन कोटा के बराबर हो जाय तो सभी मत–पत्र जिनपर ऐसे मत अभिलिखित हों, अन्तिम रूप से बरते गये के रूप में अलग रख दिये जायेंगे।

(iii) यदि किसी ऐसे अभ्यर्थी को मत–पत्रों का मूल्यांक कोटा से अधिक हो जाय तो तदुपरान्त किसी अन्य अभ्यर्थी को अपर्जित करने के पूर्व उसका आधिक्य एतद् पूर्व व्यवस्थित रीति से वितरित कर दिया जायेगा।

37– (i) जब अनवरत अभ्यर्थियों की संख्या घटकर अपूर्त रिक्त स्थानों की संख्या के बराबर रह जायें, तो अनवरत अभ्यर्थियों को निर्वाचित घोषित किया जायगा।

(ii) जब केवल एक ही रिक्त स्थान अपूर्त रह जाये और किसी अनवरत अभ्यर्थी के मत पत्रों का मूल्यांक अन्य अनवरत अभ्यर्थियों के सभी मतों के मूल्यांक के पूर्ण योग तथा असंक्रमित आधिक्य से अधिक हो जाय तो वह अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित किया जायगा।

(iii) जब केवल एक ही रिक्त स्थान अपूर्त रह जाय और केवल दो अनवरत अभ्यर्थी हों और उन दोनों अभ्यर्थियों में से प्रत्येक के मतों का मूल्यांक एक बराबर हो और संक्रमण के योग्य कोई आधिक्य न रह जाये तो अगले खण्ड के अधीन एक अभ्यर्थी को अपवर्जित तथा दूसरे को निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

38– जब कभी एक से अधिक आधिक्य वितरण के लिये हो, और दो या उससे अधिक आधिक्य बराबर हों अथवा यदि किसी समय किसी अभ्यर्थी को अपवर्जित करना आवश्यक हो जाय और दो या अधिक अभ्यर्थी मतदान में निम्नतम हों और उनके मत पत्रों का मूल्यांक बराबर हो तो प्रत्येक अभ्यर्थी के मूल मतों पर ध्यान दिया जायेगा, और जिस अभ्यर्थी के सबसे कम मूल मत हों, तो यथास्थिति उसका आधिक्य पहले वितरित किया जायेगा अथवा उसको पहले अपर्जित किया जायगा। यदि उनके मूल मतपत्रों का मूल्यांक बराबर हो तो कुलसचिव पर्ची डालकर यह विनिश्चय करेगा कि किस अभ्यर्थी का आधिक्य वितरित किया जाये अथवा किसको अपवर्जित किया जाय।

39– पुनर्गणना–यदि कुलसचिव पूर्वतन गणना की शुद्धता के विषय में संतुष्ट न हो तो वह या तो स्वतः या किसी अभ्यर्थी के अनुरोध पर मतों की पुनर्गणना एक या उससे अधिक बार करा सकता है;

परन्तु यहाँ भी किसी बात से कुलसचिव के लिए यह बाध्यकर नहीं होगा कि वह उन्हीं मतों की एक से अधिक बार पुनर्गणना कराये।

40– संवीक्षा पूरी हो जाने के पश्चात् कुलसचिव निर्वाचन परिणाम की रिपोर्ट कुलपति को तुरन्त देगा।

41– कुलसचिव नाम–निर्देशन पत्र तथा मत पत्रों को मुहरबन्द पैकेट में रखेगा, जिन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखा जायगा।

भाग–3

अधिवेशनों में निर्वाचनों का किया जाना

42– विश्वविद्यालय प्राधिकारी के किसी अधिवेशन में आयोजित किसी निर्वाचन की स्थिति में दावा तथा अपत्तियाँ आमंत्रित करने के प्रयोजन से पहले से निर्वाचक नामावली को प्रकाशित करना अथवा नाम–निर्देशन आमंत्रित करना आवश्यक नहीं होगा। सम्यक रूप से बुलाये गये अधिवेशन में सम्बद्ध प्राधिकारी या निकाय के उपस्थित सदस्यगण निर्वाचन में भाग लेंगे। निर्वाचन के लिये नाम अग्रिम रूप से अथवा अधिवेशन में प्रस्तावित किये तथा वापस लिये जा सकते हैं। मतदाताओं को दिये गये मत पत्रों में वे नाम होंगे जिनकी सूचना छपने के लिये ठीक समय पर प्राप्त हो गयी हो तथा उसमें अन्य नाम जिनके अन्तर्गत अधिवेशन में प्रस्तावित नाम भी हैं, बढ़ाने के लिए रिक्त स्थान होगा, कुलसचिव प्रत्येक सदस्य को ऐसे अधिवेशन की, जिसमें निर्वाचन होना है, सूचना भेजेगा, और उसमें सदस्यों की सूची के साथ ऐसे अधिवेशन का समय, दिनांक और स्थान का उल्लेख होगा। सूचना की अवधि कुलपति द्वारा निश्चित की जायगी।

परिशिष्ट – 'ख'

वैयक्तिक प्रोन्नति योजना

10.03(क)(i) परिनियम 10.02(ii) एवं 10.02(iii) या किसी अन्य परिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, निम्नलिखित श्रेणियों के विश्वविद्यालय के ध्यापक, यथास्थिति, उपाचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति के लिए पात्र होंगे–

सह आचार्य का पद

(I) प्राध्यापक जो पी–एच0डी0 हो और इस रूप में कम से कम 13 वर्ष की पूर्णकालिक निरन्तर सेवा की हो।

(II) प्राध्यापक जो पी–एच0डी0 न हो किन्तु इस रूप मे कम से कम 16 वर्ष की पूर्णकालिक निरन्तर सेवा की हो।

आचार्य का पद

उपाचार्य जिन्होंने इस रूप में कम से कम 10 वर्ष की पूर्णकालिक निरन्तर सेवा की हो।

स्पष्टीकरण : "उपाचार्य का तात्पर्य ऐसे अध्यापक से होगा जिसने किसी विश्वविद्यालय में उपाचार्य के रूप में कार्य किया हो।"

(2) खण्ड(1) में निर्दिष्ट सेवा किसी अनुमोदित पद पर –

(i) स्थायी, अस्थायी या तदर्थ रूप में की गयी होनी चाहिए।

(ii) इस विश्वविद्यालय में या किसी अन्य विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर या अधिस्नातक महाविद्यालय या संस्थान में इस प्रकार की गयी होनी चाहिए कि कम से कम पाँच वर्ष की स्थायी सेवा अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से नियमित चयन के पश्चात इस विश्वविद्यालय में की गयी हो।

(3) विश्वविद्यालय का अध्यापक जो वैयक्तिक पदोन्नति के लिए पात्र हो, "संलग्न प्रपत्र" में दिये गये निदर्श में स्वमूल्यांकन विवरण कुलसचिव को प्रस्तुति करेगा जिसमें उसके संतोषप्रद कार्य के संबंध में सूचना होगी।

स्पष्टीकरण : "सन्तोषप्रद कार्य" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विनयमों, परिनियमों या अध्यादेशों के अधीन विश्वविद्यालय के अध्यापक से प्रत्याशित कार्य के निर्देश में किये गये कार्य से होगा।

(4) अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति स्व–मूल्यांकन विवरण, सेवा अभिलेख(जिसके अन्तर्गत चरित्र पंजी भी है) और ऐसे अन्य सुसंगत अभिलेखों पर जो उसके समक्ष रखा जाये या उसके द्वारा आवश्यक समझे जांय, विचार करेगी। वैयक्तिक पदोन्नति के मामलों पर विचार करने के लिए चयन समिति का अधिवेशन प्रति वर्ष कम से कम एक बार होगा।

(5) चयन समिति कार्य परिषद को अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी और कार्य परिषद खण्ड (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसी संस्तुति के आधार पर वैयक्तिक पदोन्नति स्वीकृत करेगी।

(6) प्राध्यापकों को वैयक्तिक पदोन्नति का लाभ केवल उपाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए अनुमन्य होगा और इस प्रकार पदोन्नति द्वारा नियुक्त प्राध्यापक आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति के लिए हकदार नहीं होंगे।

(7) यथास्थिति, उपाचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति उक्त पद का भर ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावी होगी।

(8) वैयक्तिक पदोन्नति के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय के अध्यापक के कार्यभार में कोई कमी नहीं की जायगी।

(9) यदि विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक वैयक्तिक पदोन्नति के लिए उपयुक्त न पाया जाय तो वह दो वर्ष के पश्चात् ऐसी पदोन्नति के लिए पुनः आवेदन कर सकता है और उसके मामले पर विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापकों के साथ–साथ जो उस समय तक पात्र हो गये हों, चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

(10) यदि चयन समिति विश्वविद्यालय के किसी अध्यापकों को वैयक्तिक पदोन्नति के लिए उपयुक्त न पाये तो वह कारणों का उल्लेख करेगी।

(11) (i) उपाचार्य का आचार्य के पद को जिस पर वैयक्तिक पदोन्नति की जाय, यथास्थिति, आचार्य या उपाचार्य के संवर्ग में अस्थायी वृद्धि समझी जायगी, और पदधारी का उक्त पद पर न रह जाने पर पद समाप्त समझा जाएगा।

(ii) उपाचार्य का आचार्य के पद पर उसे वैयक्तिक पदोन्नति दी गयी थी, न रह जाने पर, उपाचार्य के पद पर नई नियुक्ति, यदि कोई हो, की जायगी और इसी तरह प्राध्यापक का उपाचार्य के पद पर न रह जाने पर प्राध्यापक के पद पर नई नियुक्ति, यदि कोई हो, की जायेगी।

द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नति योजना

10.03(क)(ii) परिनियम 10.02(ii) एवं 10.02(iii) या किसी अन्य परिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, निम्नलिखित श्रेणियों के विश्वविद्यालय के अध्यापक यथा स्थिति, उपाचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे –

सह आचार्य का पद

(1) प्राध्यापक जो अनुमोदित पद पर पी–एच0डी0 हो और इस रूप में कम से कम 13 वर्ष की पूर्णकालिक निरन्तर सेवा की हो।

(2) प्राध्यापक जो पी–एच0डी0 न हो, किन्तु इस रूप में कम से कम 16 वर्ष की पूर्णकालिक निरन्तर सेवा की हो।

आचार्य का पद

उपाचार्य जिन्होंने इस रूप में कम से कम 10 वर्ष की पूर्णकालिक निरन्तर सेवा की हो।

(2) खण्ड (1) की निर्दिष्ट सेवा

(1) स्थायी, अस्थायी या तदर्थ रूप में

(2) इस विश्वविद्यालय में या किसी अन्य विश्वविद्यालय में , स्नातकोत्तर या अधिस्नातक महाविद्यालय या संस्थान में इस प्रकार की गयी होनी चाहिए कि अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के उपखण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से चयन के पश्चात् कम से कम पाँच वर्ष की सेवा इस विश्वविद्यालय में की गई हो।

(3) विश्वविद्यालय का अध्यापक जो वैयक्तिक प्रोन्नति के लिए पात्र हो "संलग्न प्रपत्र" में दिये गये निदर्श में स्वमूल्यांकन विवरण, जो उसके कार्य से सम्बन्धित है कुलसचिव को प्रस्तुत करेगा।

(4) अधिनियम की धारा 31 की उपधारा(4) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति स्वमूल्यांकन विवरण, सेवा अभिलेख (जिसमें चरित्र पंजी सम्मिलित है) और ऐसे अन्य सुसंगत अभिलेखों पर, जो उसके समक्ष रखे जायं, या उसके द्वारा आवश्यक समझे जांय, विचार करेगी तथा संबंधित अध्यापक से साक्षात्कार करेगी। वैयक्तिक पदोन्नति के मामलों पर विचार करने के लिए चयन समिति का अधिवेशन प्रतिवर्ष कम से कम एक बार होगा।

(5) चयन समिति कार्य परिषद् को अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी और कार्य परिषद खण्ड(6) के उपबन्धों के अधीन, ऐसी संस्तुति के आधार पर वैयक्तिक प्रोन्नति स्वीकृत करेगी।

(6) वैयक्तिक प्रोन्नति का लाभ विश्वविद्यालय के केवल उन्हीं अध्यापकों को अनुमन्य होगा, जिन्होंने शासनादेश संख्या–5714/15–11–87–14 (5)/87 दिनांक–10सितम्बर, 1987 के अधीन वैयक्तिक प्रोन्नति का विकल्प समय से चुना हो।

(7) यथास्थिति, उपाचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक प्रोन्नति उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

(8) वैयक्तिक प्रोन्नति के परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के कार्यभार में कोई कमी नहीं की जायेगी, और वह अधिनियम की धारा 31 के अधीन नियुक्त पद के लिए निर्धारित कार्य को पूर्ण करता रहेगा।

(9) किसी दशा में विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक वैयक्तिक प्रोन्नति के योग्य नहीं पाया जाता तो दो वर्ष के पश्चात् प्रोन्नति के लिए पुनः आवेदन कर सकता है, और उसके मामले पर

विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापकों के साथ जो उस समय तक पात्र हो गये हों चयन समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

(10) अगर चयन समिति विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को वैयक्तिक प्रोन्नति के लिए उपयुक्त न पाये तो वह कारणों का उल्लेख करेगी।

(11) उपाचार्य या आचार्य के पद को जिस पर वैयक्तिक प्रोन्नति की जय, यथास्थिति, उपाचार्य या आचार्य के सम्वर्ग में अस्थायी वृद्धि समझी जायेगी, और पदधारी का उक्त पद पर न रह जाने पर समाप्त समझा जायेगा।

संलग्नक

प्रपत्र

(परिनियम 11.14 देखिये)

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

स्व–मूल्यांकन विवरण का निदर्श

दिनांक.....

खण्ड–एक

1–नाम.....

2–पदनाम.....

3–जन्म दिनांक.....

4–शैक्षिक अर्हताएँ.....

5–विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक.....

6–स्थायीकरण का दिनांक.....

7–अध्यापन कार्य का अनुभव :

संस्था का नाम	धृत पद	किस दिनांक से	किस दिनांक तक	कुल अवधि

–यह भी इंगित करें कि क्या स्थायी/तदर्थ/ अस्थायी है।

8– विभिन्न स्तर पर अध्यापित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों का नाम (विस्तृत ब्योरा दीजिए)

(क) अधि स्नातक

(ख) स्नातकोत्तर

9– गत तीन वर्षों में अध्यापित पाठ्यक्रम (ठीक–ठीक ब्योरा दीजिए)

(क) अधि स्नातक

(ख) स्नातकोत्तर

–– कृपया समस्त स्तम्भों को भरें। जहाँ आवश्यक न हो, वहाँ ''लागू नहीं है'' लिखिए।

10– पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम के लिए सामग्री के स्रोत का ब्योरा जिनका आपने अध्ययन किया (पुस्तकें, जर्नल आदि)।

11– आपके द्वारा प्रयोग की गयी अध्यापन की रीति का ब्योरा (अध्यापन, ट्यूटोरियल, संगोष्ठी, प्रैक्टिकल आदि)

12– पिछले शिक्षा सत्र के दौरान टयूटोरियल का ब्योरा।

अधिस्नातक पाठ्यक्रम **स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम**

कितनी बार निर्दिष्ट कार्य की जांच।

13– पिछले शिक्षा सत्र में आवंटित कक्षायें नीचे दी गयी नियमितता के किस स्तर में ले सकें :– (जो प्रयोज्य हो उस पर घेरा बना दीजिए)

(क) 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक।

(ख) 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक।

(ग) 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक।

(घ) 70 प्रतिशत से नीचे।

खण्ड – दो

1– निम्नलिखित उपाधियों का ब्योरा दीजिए :–

विश्वविद्यालय	उपाधि	दिये जाने का वर्ष	शोध प्रबन्ध का विषय
	एम0फिल0		
	पी–एच0डी0		
	डी0लिट0		
	डी0एस–सी0		

2– शोध प्रबन्ध (थीसिस) यदि प्रकाशित हुआ हो, का ब्योरा (इसकी एक प्रति संलग्न की जाय)।

3– प्रकाशित शोध–पत्र, पुस्तक, विशेष निबन्ध (मोनोग्राफ), समीक्षा (रिव्यूज), पुस्तक के प्रकरण, अनुवाद और सृजनात्मक रचना आदि, यदि कोई हो, का ब्योरा।

4– सम्मेलन, संगोष्ठी, कर्मशाला (वर्कशाप) जिनमें भाग लिया। प्रस्तुत किये गये निबन्ध और/या धृत पदीय स्थिति का ब्योरा दीजिए।

5– ग्रीष्मकालीन संस्थान, अभिनव (रेफ्रेशर) या अभिस्थापन पाठ्यक्रम (ओरियेन्टेशन कोर्स) जिसमें भाग लिया। ब्योरा दीजिए।

6– शोध मार्गदर्शन (रिसर्च गाइडेन्स) वृत्कि परामर्श (प्रोफेशन कन्सल्टेंसी) यदि कोई हो, का ब्योरा दीजिए।

7– वृत्तिक/शैक्षिक निकायों, सोसाइटी आदि की सदस्यता या फेलोशिप (ब्योरा दीजिए)।

8– ऐसे शैक्षिक कार्यकलापों के संबंध में जो इस खण्ड के अर्न्तगत न आते हों, कोई अन्य सूचना।

खण्ड – तीन

अपनी संस्था के समष्टिगत जीवन (कारपोरेट लाइफ) में अपने अंशदान का ब्योरा –

1– (क) पाठ्यचर्या विकास

(ख) सांस्कृतिक /पाठ्येत्तर कार्य–कलाप

(ग) खेलकूद/सामूदायिक और प्रसार सेवायें

(घ) प्रशासनिक कार्य

(ड़) कोई अन्य

2– कोई अन्य सूचना जो उपर्युक्त प्रश्नावली के अन्तर्गत न आती हो।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गयी सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही और वास्तविक है।

हस्ताक्षर.....

विभाग .....

परिशिष्ट – ग

भाग – 1

शैक्षणिक सत्र.....हेतु विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों का वार्षिक शैक्षणिक प्रगति प्रतिवेदन।

1. शिक्षक का नाम .....
2. विभाग .....
3. पदनाम .....
4. सत्र के दौरान प्राप्त की गई शैक्षणिक योग्यता या विशिष्ट उपलब्धियाँ।
5. सत्र के दौरान प्रकाशनों या किए गए शोध का विवरण (शोध जर्नल पत्रिका) का नाम लिखें।
   1. प्रकाशित पुस्तकें
      (क) पाठ्य पुस्तक
      (ख) संदर्भ पुस्तक
   2. राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित पत्र।
      (क) स्वलेखन (Independent authorship)
      (ख) सह–लेखन (Co-cuthorship)
   3. प्रकाशनार्थ स्वीकृत शोध पत्र .....
   4. परिसंवाद/सम्मेलनों मे प्रस्तुत शोध पत्र
   5. राज्य या राष्ट्रीय आयोग/समितियों/राज्य निकायों के समक्ष प्रस्तुत भेजे गये ज्ञापन।
6. शिक्षक के मार्गदर्शन में शोध छात्रों का विवरण।
      (क) पंजीकृत शोध छात्रो की कुल संख्या .....

(ख) शोध उपाधि प्राप्त छात्रों की संख्या .....

7. दिए गये विशेष व्याख्यानों का विवरणः

(क) विश्वविद्यालय स्तरीय

(ख) अन्य संस्थान/विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय स्तरीय

8. शैक्षणिक उपलब्धियों के संदर्भ में अन्य कोई सूचना।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि शैक्षणिक प्रगति प्रतिवेदन में दी गई सूचनाएं मेरे व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही है

दिनांक..... शिक्षक का हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षर

(विभागाध्यक्ष/प्रधानाचार्य)

भाग – दो

1. शैक्षणिक योग्ताओं का विस्तृत विवरण

परीक्षा	विषय	वर्ग	श्रेणी
हाई स्कूल			
इण्टर			
स्नातक			
स्नातकोत्तर			
शोध उपाधि			
डिप्लोमा या प्रमाण पत्र			

2. प्रकाशित शोध पत्र, पुस्तक, एकल विषय पर लेख (मोनोग्राफ) पुस्तक संख्या, पुस्तकों के अध्याय, अनुदान तथा रचनात्मक लेखन आदि, यदि कोई हो, का विस्तृत विवरण।

3. पूर्ण की गई/चल रही शोध परियोजनाओं का विवरण

परियोजना का शीर्षक	निधि प्रदान करने वाले अभिकरण का नाम	अवधि	अभ्युक्ति

4. शैक्षिक सम्मेलनों/परिसंवाद तथा कार्यशालाओं में भागीदारी का विवरण (प्रस्तुत किये गये शोध पत्रों तथा स्वीकृत का पूरा विवरण)

5. ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम, पुनश्चर्या या अभिविन्यास पाठ्क्रम में भागीदारी (पूरा विवरण दें)।

6. किसी शोध पत्रिका के सम्पादकीय मंडल/शैक्षणिक निकायों की सदस्यता का विवरणः

भाग – तृतीय

अपनी संस्था के निगमित जीवन में आप द्वारा दिए गए योगदान का विवरण

(1) (क) पाठ्यक्रम विकास

(ख) सांस्कृतिक/पाठयेत्तर गतिविधयां

(ग) खेलकूद/सामुदायिक एवं प्रसार सेवाएं

(घ) प्रशासनिक समनुदेशन

(ङ) प्रवेश परीक्षा कार्यो में भागीदारी

(च) अन्य कोई

(2) जो उपर्युक्त प्रपत्र (प्रोफार्मा) में आच्छादित न हुई हो (कोई अन्य सूचना)

मैं सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त दी गई सूचनाएं सही एवं तथ्यातमक हैं।

दिनांकः हस्ताक्षर

पद नाम

परिशिष्ट – 'घ'

स्वमूल्यांकन हेतु प्रपत्र

मूल्यांकन वर्ष.....

भाग – 1

1. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का पूरा नाम :
2. प्राध्यापक का नाम :
3. पदनाम :
4. जन्मतिथि :
5. वर्तमान विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में
   अध्यापक पद पर नियुक्त आदेश सं0 सहित :
6. कार्यभार ग्रहण करने की तिथि :
7. स्थायीकरण की तिथि :
8. शिक्षण अनुभव :

संस्था का नाम	धारित पद	नियुक्ति की प्रकृति	कब से	कब तक	कुल अवधि
		अंशकालिक/अवकाश प्रबन्ध/तदर्थ/अस्थायी/स्थायी (स्पष्ट उल्लेख किया जाय)			

9. विभिन्न स्तरों पर पढाये गये विषय एवं प्रश्नपत्रों का विवरण –

(क) स्नातक .....

(ख) स्नातकोत्तर .....

10. पढाये गये पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में आप द्वारा प्रयुक्त सामग्री का स्रोत (पुस्तकें, शोध पत्रिकाएं, आदि का विवरण दें)

11. आप द्वारा अपनायी गयी शिक्षण विधियों का विवरण (व्याख्यान, उपशैक्षणिक कक्षायें टयूटोरियल परिसंवाद, प्रायोगिक, घटना, केस स्टडी, समूह चर्चा आदि)

12. वास्तविक व्याख्यानों का विवरणः

सत्र	कक्षा	विषय/प्रश्नपत्र का नाम	सत्र में आवंटित व्याख्यानों की संख्या	सत्र में दिये गये व्याख्यानों की संख्या	प्रतिशत परीक्षाफल
1	2	3	4	5	6

13. सत्र में असाधारण अवकाश का विवरण (यदि सत्र में कोई लिया हों)

परिशिष्ट–ड.

(परिनियम 12.04(i) देखिये)

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अध्यापक वर्ग के सदस्यों के साथ करार का पत्र

यह करार आज दिनांक–.....20..... को श्री/श्रीमती/कुमारी..... ..... प्रथम पक्ष तथा जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया विश्वविद्यालय (जिसे आगे विश्वविद्यालय कहा गया है)/प्रबन्धक,..... महाविद्यालय दूसरे पक्ष के मध्य किया गया,

एतद् द्वारा निम्नलिखित करार किया जाता है :–

1– विश्वविद्यालय/महाविद्यालय एतदद्वारा प्रथम पक्ष के पक्षकार श्री/श्रीमती/कुमारी .... को दिनांक–..... से जब प्रथम पक्ष का पक्षकार, जिसे आगे अध्यापक कहा गया है, अपने पद के कर्तव्यों का कार्यभार ग्रहण करता है, विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय का अध्यापक नियुक्त करता है, और अध्यापक एतद्द्वारा नियुक्ति स्वीकार करता है, और विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के ऐसे कार्यों में भाग लेने तथा ऐसे कर्तब्यों का पलान करने का वचन देता है जिनकी उससे अपेक्षा की जाय, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की सम्पत्ति या निधियों का प्रबन्ध और संरक्षण शिक्षण का संगठन, औपचारिक या अनौपचारिक अध्यापन और छात्रों का परीक्षण, अनुशासन बनाये रखना और किसी पाठ्यचर्या या नैवासिक कार्यकलाप के सम्बन्ध में छात्र–कल्याण की प्रोन्नति और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य पाठ्यचर्यारिक्ति कर्तव्यों का पालन करना भी है जो उसे सौंपे जायं, तथा ऐसे अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करता/करती है, जिनके अधीन वह विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा तत्समय रख

जाय और विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यापकों की आचरण संहिता का, जैसा कि समय समय पर उसे संशोधित किया जय, पालन करेगा और उसके अनुरूप चलेगा :

परन्तु अध्यापक प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा और कार्य परिषद्/प्रबन्ध समिति स्वविवेकानुसार परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

2— अध्यापक विश्वविद्यालय के परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवानिवृत्ति होगा।

3— अध्यापक के पद का, जिस पर वह नियुक्त किया गया है, वेतनमान ..... होगा। अध्यापक को उस दिनांक से जब से वह अपने उक्त कर्तब्यों का भार ग्रहण करत है, उपर्युक्त वेतनमान में .... रूपया प्रतिमास की दर से वेतन दिया जायगा और वह, जब तक कि परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक वेतन–वृद्धि रोकी नहीं जाती है, अनुवर्ती प्रक्रमों पर वेतन प्राप्त करेगा :

परन्तु जहाँ समयमान में कोई दक्षता–रोक विहित है, वहाँ दक्षता–रोक के ऊपर अगली वेतन–वृद्धि प्रथम पक्ष के पक्षकार को वेतन–वृद्धि रोकने के लिये सशक्त प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं दी जायगी।

4— अध्यापक, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के किसी ऐस अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के, जिसकी प्राधिकारिता के अधीन वह, जब यह करार प्रवृत्त हो, उक्त अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अधीन हो, विधिपूर्ण निर्देशों का पालन करेगा और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से उन्हें कार्यान्वित करेगा।

5— अध्यापक, एतद्द्वारा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यापकों की आचरण संहिता का, जैसा कि समय–समय पर उसे संशोधित किया जाय, पालन करने और उसके अनुरूप चलने का वचन देता है।

6— किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति पर अध्यापक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की समस्त पुस्तकें, सचित्र, अभिलेख और अन्य वस्तुएँ, जो उसके कब्जे में हो, विश्वविद्यालय को दे देगा।

7— समस्त मामलों में, इन पक्षकारों के आपसी अधिकार और दायित्व तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा, जिन्हें इसमें समाविष्ट और उसी प्रकार से इस करार का भाग समझा जायगा मानों वे इसमें प्रत्युत्पादित किये गये हों, और उत्तर प्रदेश राज्य विश्विद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगे।

जिसके साक्ष्य में इन पक्षकारों ने प्रथम उपरिलिखित दिनांक तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये और मुहर लगाई।

....

अध्यापक के हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने
वाले वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर

साक्षी

1– .....

2– .....

अध्यापकों के लिए आचरण संहिता

(परिशिष्ट–ड. का क्रमांक–5 देखें)

अतः जो अध्यापक अपने उत्तरदायित्व के प्रति तथा युवकों के चरित्र–निर्माण एवं ज्ञान, बौद्धिक स्वतंत्रता और सामाजिक प्रगति को अग्रसर करने के सम्बन्ध में, जो विश्वास उसमें निहित किया गया है उसके प्रति जागरूक है, उस अध्यापक से इस बात का अनुभव करने की आशा की जाती है कि वह नैतिकता सम्बन्धी नेतृत्व की अपनी भूमिका का निर्वाह, समर्पण, नैतिक निष्ठा तथा मन, वचन एवं कर्म में पवित्रता की भावना से ओतप्रोत रह कर उपदेश की अपेक्षा आचरण द्वारा अधिक कर सकता है;

अतः उसकी वृत्ति की गरिमा के अनुरूप यह आचरण संहिता बनाई जाती है कि इसका पालन वस्तुतः निष्ठापूर्वक किया जाय;

1– प्रत्येक अध्यापक अपने शैक्षिक कर्तब्यों का पालन पूर्ण निष्ठा एवं कर्त्तब्य परायणता से करेगा।

2– कोई भी अध्यापक छात्रों का अभिनिर्धारण करने में न तो कोई पक्षपात या पूर्वाग्रह प्रदर्शित करेगा, न उन्हें उत्पीड़ित करेगा।

3– कोई भी अध्यापक किसी छात्र को अन्य छात्र के विरूद्ध या अपने साथी या विश्वविद्यालय के विरूद्ध नहीं उत्तेजित करेगा।

4– कोई भी अध्यापक जाति, मत पंथ, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता या भाषा के आधार पर शिष्यों में भेद–भाव न करेगाा। वह अपने साथियों, अधीनस्थ ब्यक्तियों तथा छात्रों में भी ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करेगा और अपने भविष्य की उन्नति के लिए उपर्युक्त विचारों का प्रयोग करने की चेष्टा नहीं करेगा।

5– कोई भी अध्यापक, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के समुचित निकायों तथा कृत्यकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने से इनकार नहीं करेगा।

6– कोई भी अध्यापक, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के कार्यकलाप से सम्बन्धित कोई गोपनीय सूचना किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रकट नहीं करेगा जो उसके सम्बन्ध में प्राधिकृत न हो।

7– कोई भी अध्यापक अन्य कोई रोजगार, अंशकालिक गृह शिक्षण (ट्यूशन) तथा कोचिंग कक्षाएं नहीं चलायेगा।

8– सभी अध्यापक कक्षा शिक्षण अवधि के उपरान्त भी छात्रों को आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बिना किसी परिश्रमिक के उपलब्ध रहेंगे।

9– शैक्षिक कार्यक्रम पूरा करने की दृष्टि से कोई भी अध्यापक जहाँ तक सम्भव हो पूर्व अनुमति से अपरिहार्य परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही अवकाश लेगा।

10– विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक निरन्तर अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण द्वारा अपनी शैक्षिक उपलब्धियों का विकास करता रहेगा।

11– विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक प्रवेश, छात्रों को परामर्श एवं सहायता, परीक्षा संचालन, निरीक्षण परिप्रेक्षण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा पाठ्य एवं पाठ्येत्तर गतिविधियों में अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगा।

12– प्रत्येक अध्यापक लोकतंत्र, देशभक्ति और शान्ति के उपदेशों के अनुरूप छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं शारीरिक श्रम के प्रति आदर का भाव उत्पन्न करेगा और 15 अगस्त, 2 अक्टूबर एवं 26 जनवरी आदि राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर स्वदेशी की भावना को जागृति करने हेतु यथा संभव खादी वस्त्रों का प्रयोग करेगा और छात्रों एवं छात्राओं को भी प्रेरित करेगा।

परिशिष्ट–च

प्रपत्र

(परिनियम 10.07(3)(1) देखिये)

शैक्षिक सत्र ..... की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट

1. अध्यापक का नाम .....
2. विभाग जिससे वह सम्बद्ध हो.....
3. क्या प्राध्यापक(असिस्टेंट प्रोफेसर), उपाचार्य(एसोसिएट प्रोफेसर), आचार्य आदि है.....
4. सत्र में प्राप्त शैक्षिक अर्हताये या विशिष्टतायें, यदि काई हों.....

5. अध्यापक की प्रकाशित रचनाएँ या उसके द्वारा किये गये अनुसंधान कार्य और या किसी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पढ़े गये पत्रादि विवरण .....
.....

6. सत्र के दौरान उसके मार्गदर्शन में कार्य करने वाले अनुसंधान छात्रों की संख्या और क्या उनमें से किसी को अनुसंधान कार्य के लिये उपाधि प्रदान की गयी .....
.....

7. सत्र के दौरान विश्वविद्यालय या संस्थान या महाविद्यालय में दिये गये व्याख्यानों (पाठन कक्षा को छोङकर) की संख्या .....

8. अभ्युक्ति

मैं, एत्दद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट की अन्तर्वस्तुएँ मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य हैं।

दिनांकः अध्यापक का हस्ताक्षर

प्रति हस्ताक्षरित

पदनाम

परिशिष्ट–''छ''

अनापत्ति/निर्वाधन/अस्थायी/स्थायी सम्बद्धता हेतु शासन द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देश एवं मानक

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया, से अस्थायी/स्थायी सम्बद्धता हेतु रू0 तीन हजार मात्र विश्वविद्यालय के शुल्क काउन्टर पर नकद जमा कर रसीद प्राप्त कर निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन करना होगा। शासनादेश संख्या–3075/सत्तर–2–2002(166)/2002, दिनांक 27 सितम्बर 2002, शासनादेश संख्या–585 मु0 मं0/सत्तर–2– 2005(166)/2002, दिनांक 21.10.2005 तथा शासनादेश संख्या–743 मु0 मं0/सत्तर–2–2006–2 (166)/2002, दिनांक 07 नवम्बर 2006 एवं अद्यतन संशोधन के साथ प्रभावी शासनादेश द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देश एवं मानक की शर्तों को पूर्ण करते हुए प्रपत्र सं0–1 द्वारा निर्वाधन (क्लीयरेंस)/अनापत्ति (एन0ओ0सी0) हेतु आवेदन पत्र वांछित संलग्नकों सहित कुलसचिव को दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा। वांछित संलग्नको के साथ पूर्ण प्रस्ताव निम्नलिखित दिशा–निर्देश /मानक के अनुसार प्रस्तुत किया जाए।

(1) ऐसे प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने हेतु न प्रस्तुत किये जायँ जिनमें प्रस्तावित महाविद्यालय द्वारा अनापत्ति एवं सम्बद्धता हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र का कोई भी कॉलम स्पष्ट रूप से न भरा गया हो। जैसे यदि किसी कॉलम के आगे यह अंकित किया गया हो कि विवरण संलग्न है तो वह अपूर्ण आवेदन पत्र की श्रेणी में होगा, जिसे पूर्ण कराने के पश्चात् ही संगत अभिलेखों की प्रमाणित प्रति के साथ प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को भेजने हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

(2) मानकानुसार भूमि व भवन की वर्गमीटर में उपलब्धता की सुस्पष्ट सूचना एवं अभिलेख उपलब्ध कराये जायँ। यदि भूमि कई गाटों/प्लाटों में है तो सक्षम अधिकारी (ए0डी0एम0) द्वारा जारी संयुक्तता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध कराया जाय। महाविद्यालय राजस्व अभिलेखों की मूल या छाया प्रतियाँ सम्बन्धित तहसीलदार/उप जिलाधिकारी से प्रमाणित कराके ही भेजेंगे, अन्यथा विचार न होगा।

(3) शासन के आदेश संख्या–4954/सत्तर–2–2008–2(166)/2002, दिनांक 10 अक्टूबर, 2008 द्वारा संशोधित समय सारिणी के अनुसार राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार वाँछित सूचनाएँ/अभिलेख उपलब्ध कराये जायेंगे। अन्यथा प्रस्ताव संस्तुत कर शासन को प्रेषित करना सम्भव नही होगा।

(4) सुसंगत शासनादेश में दिये गये प्राविधानानुसार निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के साथ भवन का फोटोग्राफ, जिसमें भवन के चारों तरफ का फोटोग्राफ, चाहर दीवारी निर्मित होने का प्रमाण, व्याख्यान कक्षों, पुस्तकालय, प्रयोगशाला के सुसज्जन का निरीक्षण दल के साथ स्पष्ट फोटोग्राफ प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में अतिरिक्त विषय/नवीन पाठ्यक्रम हेतु उक्त के अतिरिक्त निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के साथ प्राचार्य एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों के अध्यापकों फोटोग्राफ आवश्यक है।

(5) व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित मानक संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होता है। अतः ए0आई0सी0टी0ई0, एन0सी0टी0ई0 अथवा बार काउन्सिलिंग ऑफ इण्डिया की परिधि में आने वाले पाठ्यक्रमों के लिए उनके द्वारा निर्धारित मानक की पूर्ति करने पर ही अनापत्ति/सम्बद्धन हेतु आवेदन–पत्र विचार हेतु प्रस्तुत किये जाए।

(6) विधि संकाय के पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाते समय बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ही सम्बद्धन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जायँ तथा विशेष रूप से विधि महाविद्यालयों हेतु पहँच मार्ग एवं आवागमन के साधन की उपलब्धता के सम्बन्ध में सुस्पष्ट सूचना/प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय। विधि पाठ्यक्रम त्रिवर्षीय/पंचवर्षीय में से एक ही पाठ्यक्रम की सम्बद्धता हेतु अनापत्ति का आवेदन–पत्र विचारणीय होगा।

(7) **यह सारे निर्देश/अनुबन्ध शासन के आदेशानुसार तात्कालिक प्रभाव से लागू हैं।**

महाविद्यालय की सम्बद्धता हेतु मानक

भूमि :	नगर निगम क्षेत्र	–	5000 वर्गमीटर
	नगर पालिका क्षेत्र	–	5000 वर्गमीटर
	शेष क्षेत्र	–	10,000 वर्गमीटर

कृषि महाविद्यालय के लिये उपर्युक्त मानकानुसार भूमि के अतिरिक्त न्यूनतम 15 एकड़ भूमि कृषि प्रायोगिक कार्य के लिये उपलब्ध होना अनिवार्य है।

(महिला महाविद्यालय की स्थिति में उपरोक्त की आधी भूमि)

विधि महाविद्यालय (त्रिवर्षीय) – 1200 वर्गमीटर

विधि महाविद्यालय (पंचवर्षीय) – 1500 वर्गमीटर

1. **भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने का प्रमाण।**

अथवा

भूमि संचालक सोसायटी/ट्रस्ट के नाम होने पर **महाविद्यालय के नाम 30 साल की पंजीकृत लीज डीड – भूमि एक जगह सटी होने का प्रमाण सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा।**

2. **(क) भवन :** मानक के अनुसार स्नातक कला संकाय के 07 विषय हेतु **06 व्याख्यान कक्ष (प्रत्येक)** 85 से 90 वर्गमीटर

(ख) स्नातक विज्ञान संकाय के 05 विषय हेतु **04 अतिरिक्त व्याख्यान कक्ष** 85 से 90 वर्गमीटर

04 प्रयोगशाला कक्ष 80 वर्गमीटर

(ग) स्नातक वाणिज्य संकाय हेतु **03 अतिरिक्त व्याख्यान कक्ष** 85 से 90 वर्गमीटर

प्रयोगशाला (प्रति विषय) 80 वर्गमीटर

पुस्तकालय 80 वर्गमीटर

अध्यापक कक्ष 20 वर्गमीटर

कामन रूम 20 वर्गमीटर

प्रशासनिक खण्ड (प्राचार्य, कार्यालय, परीक्षा कक्ष) 80 वर्गमीटर

बरामद 100 वर्गमीटर

शौचालय (04 अलग–अलग) 08 वर्गमीटर

पेयजल की सुविधा

3. प्राचार्य/प्राध्यापकों की अनुमोदनोपरान्त नियुक्ति, संविदा प्रपत्र प्रबन्धक एवं प्रवक्ता के फोटो सहित।

4. अध्यापक उपस्थिति पंजिका तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की वेतन एवं उपस्थिति पंजिका।

5. वेतन पंजिका तथा बैंक से भुगतान होने का प्रमाण (पूर्व से संचालित महाविद्यालय की दशा में)।

6. **प्राभूत :** महाविद्यालय के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यूनतम 3 वर्ष हेतु एफ.डी. के रूप में जमा तथा कुलसचिव के पक्ष में बन्धक हो तथा विषय/संकाय का उल्लेख एफ.डी. पर हो।

7. पुस्तकालय में पुस्तकों का एक्सेसन रजिस्टर।

8. (क) प्रति विषय पुस्तकों का मूल्य–	**(अनावर्तक व्यय**	**(आवर्तक व्यय) प्रति वर्ष**
कला संकाय के अप्रायोगिक विषय हेतु	रु. 10,000/– प्रति विषय	रु. 2000/–
प्रायोगिक विषय (गणित सहित)	रु. 15,000/– प्रति विषय	रु. 2000/–
विज्ञान संकाय हेतु	रु. 20,000/– प्रति विषय	रु. 3000/–
वाणिज्य एवं विधि संकाय हेतु	रु. 50,000/– प्रति विषय	रु. 5000/–
कृषि संकाय हेतु	रु. 75,000/– प्रति विषय	रु. 7000/–
स्नातकोत्तर विज्ञान तथा कृषि संकाय हेतु	रु. 75,000/– प्रति विषय	रु. 5000/–
स्नातकोत्तर कला प्रायोगिक	रु. 45,000/– प्रति विषय	रु. 5000/–

स्नातकोत्तर कला अप्रायोगिक	रु. 35,000/– प्रति विषय	रु. 4000/–
स्नातकोत्तर वाणिज्य/विधि	रु. 50,000/– प्रति विषय	रु. 7000/–

(ख) प्रयोगशाला उपकरण/सामग्री शासनादेश के अनुसार।

(ग) **काष्ठोपकरण :** कार्यालय काष्ठोपकरण/फर्नीचर तथा काष्ठोपकरण प्रयोगशाला एवं अध्यापन कक्ष हेतु मानकानुसार, शासनादेश के अनुसार/छात्र संख्या के आधार पर।

परिशिष्ट–"ज"

1. **प्राभूत राशि– स्नातक – कला संकाय –** दो लाख, **विज्ञान संकाय –** तीन लाख, **वाणिज्य संकाय –** दो लाख, **कृषि संकाय –** तीन लाख, **शिक्षा संकाय –** ढाई लाख, **विधि संकाय –** त्रिवर्षीय चार लाख, पंचवर्षीय छः लाख, **स्नातक अतिरिक्त विषय** (प्रति विषय रु. पचास हजार कला संकाय, रु. पचपन हजार विज्ञान संकाय), **स्नातकोत्तर प्रति अप्रायोगिक विषय** रु. 75 हजार, वाणिज्य एवं **प्रायोगिक** विषय दो लाख, **बी.बी.ए. –** तीन लाख, **बी.सी.ए. –** तीन लाख।
2. सोसायटी/ट्रस्ट के खाते में संकायवार न्यूनतम धनराशि जमा होने का प्रमाण–

1. स्नातक स्तर पर कला संकाय के सात विषयों हेतु	रु. 05.00 लाख
2. स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु	रु. 01.00 लाख
3. स्नातक स्तर के वाणिज्य संकाय हेतु	रु. 07.00 लाख
4. विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर के पाँच परम्परागत विषय हेतु	रु. 10.00 लाख
5. विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर के प्रत्येक नवीन पाठ्यक्रम हेतु	रु. 05.00 लाख
6. स्नातक स्तर के कृषि/बी.बी.ए./बी.सी.ए./बी.पी.ई. के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु	रु. 10.00 लाख
7. विधि (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु	रु. 10.00 लाख
8. विधि (पंचवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु	रु. 10.00 लाख
9. बी.एड./बी.पी.एड. के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु	रु. 15.00 लाख
10. एम.एड./एम.पी.एड. के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु	रु. 15.00 लाख
11. बी.ए.–बी.एड./बी.एल.एड. के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु	रु. 10.00 लाख

3. क्रीड़ा हेतु खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की उपलब्धता मानकानुसार।
4. सोसायटी पंजीकरण एवं नवीनीकरण प्रमाण–पत्र।
5. प्रबन्ध समिति का अनुमोदन – विश्वविद्यालय द्वारा।
6. नजरी नक्शा भूमि/भवन के स्थल का, रकबा वर्गमीटर में।
7. भवन का ब्लू प्रिन्ट/नक्शा।

टिप्पणी:–उत्तर प्रदेश शासन, विधायी अनुभाग–1 के पत्र संख्याः 1408/79–वि–1–16–1(क)–30–2016, दिनांकः 16 सितम्बर. 2016 में यथावर्णित प्राविधानों–"जब तक कि उपधारा(2) के अधीन जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के प्रथम अध्यादेश न बना लिये जाय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के अध्यादेश, जैसा वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होंगे" के अनुसार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी की परिनियमावली अद्यतन अंगीकृत है और उसी आधार पर तैयार की गयी जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया की प्रथम परिनियमावली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की गयी है, जिसका प्रख्यापन अभी शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है।